सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन संबंधी निदेशों का सार–संग्रह,

जनवरी, 2022 – अगस्त, 2023

Compendium of Pension related Instructions,

January, 2022 - August, 2023

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पेंशन संबंधी निदेशों का सार–संग्रह, जनवरी, 2022–अगस्त, 2023

Compendium of Pension related Instructions, January, 2022 - August, 2023

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक जारी किए गए परिपत्रों का सार-संग्रह

Compendium of circulars issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare during January, 2022 to August, 2023

क्र. सं. S. No.	परिपत्र सं. Circular No.	विषय Subject	दिनांक Date	पृष्ठ सं. Page No.
1	1/4/2021-पी&पीडब्ल्यू(ई) भाग-I	सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी / कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय	19.01.2022	1-2
	1/4/2021 P&PW(E) Part I	Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner	19.01.2022	3-4
2	12(9)/2020-पी&पीडब्ल्यू (सी) - 6450	नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।	23.02.2022	5-6
	12(9)/2020-P&PW(C)-6450	Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension.	23.02.2022	7-8
3	4/05/2019-पी&पीडब्ल्यू (डी)	पेंशनभोगी / कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (ओपीडी) सुविधा और विपर्येण विकल्प में परिवर्तन करने की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में।	23.03.2022	9-16
	4/05/2019-P&PW(D)	Procedure for implementation of change of option by a Pensioner/Family Pensioner from FMA to CGHS(OPD) facility and vice-versa - reg	23.03.2022	17-22
4	1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन	31.03.2022	23-25
	1/2(40)/2022-P&PW (E)	Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.	31.03.2022	26-28
5	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2022 से लागू।	05.04.2022	29-30

	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners / family pensioners - Revised rate effective from 01.01.2022	05.04.2022	31-32
6	1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।	06.04.2022	33-41
	1/2(40)/2022-P&PW (E)	Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.	06.04.2022	42-52
7	57/03/2020-पी&पीडब्ल्यू (बी)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए लापता सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ देने के प्रावधान से संबंधित |	28.04.2022	53-56
	57/03/2020-P&PW (B)	Provision for extending benefits under CCS (Pension) Rules or CCS (EOP) Rules to family of missing Central Government employees covered under National Pension System (NPS)-reg.	28.04.2022	57-59
8	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू (डी)	मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) लाभार्थियों को 01.01.2022 से पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई रहत की मंजूरी।	11.05.2022	60-61
	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg.	11.05.2022	62-63
9	11(45)2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।	23.05.2022	64-65
	11(45)2022-P&PW (E)	Eligibility for two family pensions- clarification regarding.	23.05.2022	66
10	38/46/2017-पी&पीडब्ल्यू (ए) (4879)	सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति/पदच्युति/हटाए जाने के पश्चात् अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन।	14.06.2022	67-70
	38/46/2017-P&PW(A) (4879)	Revision of Pension / family pension in respect of the pensioners drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance after compulsorily retirement/dismissal/removal from service - reg	14.06.2022	71-73
11	3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू (एफ)/6728	अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों से संबंधित |	18.08.2022	74-75
	3/7/2020-P&PW (F)/6728	Missing entries in GPF accumulation of subscriber regarding	18.08.2022	76-77
12	1(8)/2021-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7468	वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	30.09.2022	78-81

	1(8)/2021-P&PW(H)-7468	Submission of Annual Life Certificate	30.09.2022	82-85
13	1(3)/2022-पी&पीडब्ल्यू (एच) –8371	डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।	02.11.2022	86-89
	1(3)/2022-P&PW(H)-8371	Nation-wide Campaign for submission of Digital Life Certificate.	02.11.2022	90-106
14	3/13/2022-पी&पीडब्ल्यू(एफ) (8353)	वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अनुदेश से संबंधित |	02.11.2022	107-108
	3/13/2022-P&PW(F) (8353)	Ceiling of Rs. 5.00 lakh on subscription to General Provident Fund (Central Services) in a financial year- instructions regarding.	02.11.2022	109-110
15	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों / रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना ।	03.03.2023	111-113
	57/05/2021-P&PW(B)	Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment on or before 22.12.2003.	03.03.2023	114-116
16	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी दिनांक 01.01.2023 से संशोधित दर लागू ।	06.04.2023	117-118
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners Revised rate effective from 01.01.2023.	06.04.2023	119-120
17	38/41/19-पी&पीडब्ल्यू(ए) [6018]	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में।	10.04.2023	121-122
	38/41/19-P&PW(A) [6018]	Amendment of Rule 8 of CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10.04.2023	123-124
18	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	दिनांक 22.12.2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/ रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर करने के संबंध में।	14.06.2023	125
	57/05/2021-P&PW(B)	Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.	14.06.2023	126

19	57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का. ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।	22.06.2023	127
	57/02/2021-P&PW(B)	Setting up of NPS oversight mechanism in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019-reg.	22.06.2023	128-135
20	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2023 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी I	06.07.2023	136-137
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in 5th CPC series on ex-gratia effective from 01.01.2023.	06.07.2023	138-139
21	1(2)/2023-पी&पीडब्ल्यू (एच)	राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डी एल सी) अभियान 2.0, 1-30, नवंबर,2023 के लिए व्यापक दिशानिर्देश	09.08.2023	140-147
	1(2)/2023-P&PW(H)	Comprehensive Guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate Campaign 2.0, November 1-30, 2023	09.08.2023	148-154

****

सं.1/4/2021-पी & पी डब्ल्यू (ई) भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 जनवरी, 2022

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ई-मेल द्वारा)

विषयः सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के बच्चे को, जो किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्तहै या शारीरिक रूप से निःशक्त है, जिससे वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, कुटुंब पेंशन, कुछ शर्तों के अध्यधीन, आजीवन संदेय है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(iv) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (iii))के अनुसार, ऐसे पुत्र या पुत्री को, जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का संदाय.संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो।

3. सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)) में, तथापि यह प्रावधान है कि मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में, कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नाम निर्देशन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो तत्पश्चात यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को, कुटुंब पेंशन संदेय होगी। किसी स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 14 के अधीनजारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी, उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए संरक्षक के नाम निर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा।

4. इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक रूप से मंद बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में नाम निर्देशन को विधिवत सम्मिलित किया गया है, कुछ मामलों में, पेंशन संवितरण बैंक केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)), के अनुसार पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं।ये बैंक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कुटुंब पेंशन कासंदाय करने का आग्रह करते हैं जिसके पास न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाण पत्र हो।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज) में खंड (vii) का उद्देश्य मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात कुटुंब पेंशन का दावा करने में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसका पति/पत्नी मानसिक रूप से मंद बच्चे को संदेय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा ऐसा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया हो, न्यायिक अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा किए गए नाम निर्देशन को मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, यह पेंशन संवितरण बैंकों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसे नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे कोकुटुंब पेंशन संवितरित करें। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए आग्रह करना, ऐसे नाम निर्देशन करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन भी होगा।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके बैंक की सीपीपीसी/पेंशन संदाय शाखाओं को सीसीएस (पेंशन) नियमों के सांविधिक उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की मांग न की जाए। सभी पेंशन संवितरण शाखाओं को भी इन निर्देशों की अभिप्राप्ति की सूचना देने के निर्देश दिए जाएं।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन: 24635979

प्रति:

1. लेखा महानियंत्रक
2. केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी
3. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को सूचनार्थ

1/4/2021-पी एंड पी डब्लू (ई) भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क - ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक-जनवरी 19, 2022

To

CMDs of All Pensions Disbursing Banks
(Through E-mail)

Sub: Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner

I am directed to say that in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules, family pension is payable for life, subject to certain conditions, to a child of a deceased Government servant/pensioner, who is suffering from any disorder or disability of mind or is physically disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years,.

2. As per Rule 50(9)(h)(iv) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (iii) of second proviso to Rule 54(6) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor.

3. Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972), however, provides that in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension can be paid to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. The Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Act,1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act.

4. It has been brought to the notice of this Department that in some cases, the Pension Disbursing Banks are not allowing family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the pensioner or his/her spouse in accordance with Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972) in spite of the fact that such nomination has been duly incorporated in the Pension Payment Order issued to the mentally retarded child. These banks insist for payment of family pension through a person having a guardianship certificate issued by a court of law.

5. Clause (vii) in the Rule 54(9)(h) of the CCS (Pension) Rules, 2021 is intended to avoid any hassles to the child suffering from a mental disability in obtaining the guardianship certificate from the court and in claiming family pension after the death of his/her parents. As per this rule, a Government servant/pensioner or his/her spouse can nominate a person to receive family pension payable to a mentally retarded child. In cases where such nomination is submitted by a Government servant/pensioner/family pensioner, a guardianship certificate issued by a court of law is not necessary.

6. Accordingly, in cases where a nomination made by the Government servant/pensioner/family pensioner has been incorporated in the Pension Payment Order issued to child suffering from a mental disability, it is incumbent on the Pension Disbursing Banks to disburse the family pension in respect such child through the person so nominated. Insisting for a guardianship certificate by the Banks in such cases would defeat the very purpose of such nomination and would also amount to violation of the statutory provisions of the CCS (Pension) Rules, 2021.

7. It is requested that suitable instructions may be issued to the CPPCs/Pension Paying Branches of your Bank for payment of family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner in accordance with the statutory provisions of CCS (Pension) Rules and not to insist for a guardianship certificate issued by a court of law in such cases. All Pension disbursing branches also be asked to acknowledge receipt of these instructions.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
टेलीफोन-24635979

Copy to:

1. CGA,
2. CPAO
3. CPPCs of all Pension Disbursing Banks
4. Secretary, Department of Financial Services for information

फा.सं/ 12(9)/ 2020-पी&पीडबल्यू(सी)-6450

भारत सरकार
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-एच)

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक 23 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के अनुसार, नियमित पेंशन प्राधिकृत करते वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की आशंका होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन/ उपदान मंजूर किया जाना अपेक्षित होता है। **केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 में यह उपबंध है कि ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान(अनंतिम पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान सहित) मंजूर नहीं किया गया है या विलंबित है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है तो पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर और रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा।** पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और जहां यह पाया जाए कि पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो प्रभावित पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी को ब्याज का संदाय करना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में, उन सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा जो प्रशासनिक चूक के कारण विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. यद्यपि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अनुसार, अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा, नियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उक्त छह मास की अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त छह अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा। अतः, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां छः मास की अवधि की समाप्ति तक, लेखा अधिकारी द्वारा किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियमित पेंशन प्राधिकृत न की गई हो।

जारी.....2

4. सभी मंत्रालयों/ विभागों और उनके लेखा अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करें। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि उक्त छः मास की अवधि की समाप्ति तक यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी द्वारा नियमित पेंशन के लिए पीपीओ जारी नहीं किया जा सका तो पेंशन को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23310108

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
2. विभाग से सभी अधिकारी/ डेस्क।
3. एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि:

महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

फा.सं/ 12(9)/2020-P&PW(C)-6450

भारत सरकार
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(Desk-H)

8th Floor, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi,
Dated the 23rd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension – reg

The undersigned is directed to say that in accordance with Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (Rule 64 of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), the Head of Office is required to sanction a provisional pension/gratuity, in cases where a delay is anticipated in issuing a PPO authorizing regular pension. **Rule 65 of the CCS (Pension) Rules, 2021 further provides that in all cases where pension/ family pension/gratuity (including provisional pension/ family pension/gratuity) has not been sanctioned or is delayed, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension/family pension/gratuity at the rate and in the manner as applicable to General Provident Fund amount.** Every case of delayed payment of pension/family pension/gratuity in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer authorized by him, and where it is found that the delay in the payment of pension/family pension/ gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, interest shall be required to be paid to the affected pensioner/family pensioner. In such cases, responsibility shall be fixed and disciplinary action shall be taken against the Government servant or servants who are found responsible for the delay on account of administrative lapses.

2. Although as per Rule 62 of CCS(Pension) Rules, 2021, payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of the Government servant, the Rule further provides that the Accounts Officer shall treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the aforesaid period of six months.

Cont..2

3. In view of the provisions of Rule 62 of CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier Rule 64 of CCS (Pension) Rules, 1972), the Accounts Officer has to treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months provided in the Rule, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the said period. Therefore, there should not be a situation where regular pension is not authorized by the Accounts Officer to a retired Government servant on expiry of the period of six months.

4. All Ministries/Departments and their Account Officers are advised to strictly comply with the provisions of Rule 62 of the CCS (Pension) Rules, 2021. It is further emphasized that pension should not be discontinued under any circumstances, if, for any reason, PPO for regular pension could not be issued by the Accounts Officer till the expiry of the aforesaid period of six months.

23/2/2022

(Ashok Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph: 23310108

To

1. All the Ministries/ Departments, Government of India.
2. All Officers/Desks of the Department.
3. NIC, DoPPW: for uploading on website of this Department.

Copy to:

Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, New Delhi.

सं. 4/05/2019-पी&पीडबल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(ओपीडी) सुविधा और विपर्यण विकल्प में परिवर्तन करने की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सदृश स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहने वाले, केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्यय, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, को पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) पाने के हकदार हैं। एफएमए की राशि को समय-समय पर संशोधित किया गया था और इस विभाग के दिनांक 19.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 4/34/2017-पी&पीडब्ल्यू(डी) द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को अंतिम बार संशोधित करके दिनांक 01.07.2017 से 1000/- रु. प्रतिमास किया गया था।

2. केवल ऐसे पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, और विशेष रूप से निकटतम सीजीएचएस डिस्पेंसरी में ओपीडी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं, चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत होने वाले कार्मिक द्वारा ओपीडी चिकित्सा सुविधा या एफएमए का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प देना अपेक्षित होता है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के जीवनकाल में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन करने की अनुमति है।

3. "पेंशनभोगियों की शिकायतें - पेंशन अदालतों और केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपेनग्राम्स) का प्रभाव" पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफ़ारिश की गई है:

जारी/.......

(3.22) समिति पेंशनभोगियों द्वारा अपने नियत चिकित्सा भत्ते (एफएमए) को लौटाने और सीजीएचएस की अंतरंग और बहिरंग (ओपीडी) सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एफएमए समर्पण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को नोट करती है और तदनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और सीजीए को सिफारिश करती है कि इसमें आने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को दूर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से एफएमए समर्पण प्रमाणपत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए।

4. यदि ऐसा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निवास करता है और एफएमए प्राप्त कर रहा है, सीजीएचएस आदि के तहत ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के लिए पात्र होने के लिए एफएमए को छोड़ना होगा। तथापि, बैंक द्वारा एफएमए को बंद करने और ओपीडी सुविधा के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशानिर्देशों के अभाव में, पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

(i) यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करता है, तो वह एफएमए के लिए पात्र नहीं रहता, भले ही वह सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाता हो या नहीं। अतः यह पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का दायित्व होगा कि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर और गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में पते में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करते समय, वे अपने एफएमए को बंद करने के लिए बैंक को **प्ररूप 2** में आवेदन भेजें। पेंशन संवितरण बैंक भी अपनी प्रणाली में एक ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि जब भी कोई पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने के बारे में सूचना दे, तो पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को संदत्त किया जाने वाला एफएमए स्वचालित रूप से बंद हो जाए, भले ही पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ने अपने एफएमए को बंद करने के लिए प्ररूप-2 में अनुरोध किया हो या नहीं।

गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त होने पर, बैंक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एफएमए बंद करने के संबंध में उक्त प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से **तीन कार्यदिवसों के भीतर प्ररूप-3** में एक

प्रमाणपत्र जारी करेगा। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस अंशदानों के अपेक्षित भुगतान द्वारा ओपीडी और आईपीडी सुविधा दोनों के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों के पास आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करता है और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को अन्यथा पूरा करता है, तो उसे सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाएगा। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से **चार कार्यदिवसों के भीतर** पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम कार्ड जारी करेंगे और यह अनंतिम कार्ड अंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी होने तक वैध रहेगा।

(ii) यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला और ओपीडी सुविधा के बदले एफ़एमए का लाभ उठाने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह एफ़एमए को बंद करने के लिए, प्ररूप-2 में पेंशन संवितरण बैंक की संबंधित शाखा में आवेदन कर सकता है, ताकि वह सीजीएचएस सुविधा के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सके। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, बैंक को प्ररूप-2 में एक वचनबंध भी देगा कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और उसने पूर्व में सीजीएचएस से एफ़एमए में विकल्प परिवर्तन करने की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण बैंक ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत एफ़एमए का संदाय बंद करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से **तीन कार्यदिवसों के भीतर** उसे एफ़एमए बंद करने के संबंध में प्ररूप-3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

तत्पश्चात्, पेंशनभोगी अपेक्षित सीजीएचएस अंशदान का यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है, तो उसका भुगतान करने के पश्चात्, ओपीडी और आईपीडी दोनों सुविधाओं के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है। यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को अन्यथा पूरा करता है, तो सीजीएचएस प्राधिकारी अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसे सीजीएचएस कार्ड(ओपीडी सुविधा सहित) जारी करेंगे। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से चार कार्यदिवसों के

भीतर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम कार्ड जारी करेंगे और ऐसा अनंतिम कार्ड मूल सीजीएचएस कार्ड के जारी होने तक वैध रहेगा।

(iii) एफएमए को बंद करने के पश्चात्, बैंक एफएमए को बंद करने के संबंध में पीपीओ के दोनों हिस्सों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। संबंधित बैंक का सीपीपीसी, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए प्ररूप-4 के प्रोफार्मा में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को सूचित करेगा। तत्पश्चात सीपीएओ PARAS (अर्थात सीपीएओ का डेटाबेस) में डेटा अपडेट करने के पश्चात् संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) को सूचित करेगा। सीपीएओ से सूचना प्राप्त होने पर, पीएओ रिकॉर्ड के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख को स्थिति में परिवर्तन की सूचना देगा।

5. यदि ऐसा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस/चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर एफएमए का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो वह सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा को सरेंडर करने के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है। इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर, सीजीएचएस प्राधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर समुचित पृष्ठांकन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्यदिवसों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेंगे, कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है और सीजीएचएस के अंतर्गत केवल आईपीडी सुविधा ले रहा है। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी एफएमए के संदाय के लिए संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करने के लिए अपना आवेदन सरेंडर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सहित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करने के मामले को पीएओ और सीपीएओ के माध्यम से सामान्य तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और मासिक पेंशन के साथ एफएमए के संदाय के लिए पेंशन संवितरण बैंक को भेजा जाएगा। इस संबंध में पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से **दो मास के भीतर** संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में एफएमए का संदाय सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से किया जाएगा।

संलग्नक: नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप

च तनेजा

(चरणजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीपीसी
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
4. लेखा महानियंत्रक

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-2

सेवा में,

प्रबंधक,

............................बैंक

....

विषय: नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के लिए आवेदन

महोदय/महोदया,

मैं वर्तमान में आपके बैंक से एफएमए के साथ पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा हूं और मेरा विवरण नीचे दिया गया है:

1. नाम :- ....
2. पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी:---------------------------------
3. पीपीओ सं.:- ....
4. बैंक खाता सं.:-.........................
5. संपर्क नंबर :-...................
6. वर्तमान पता :-........................

2. मैं आपसे निम्नलिखित कारणों से अपना एफएमए बंद करने का अनुरोध करता हूं:

(क) मैंने अपना निवास गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र में परिवर्तित किया है

(ख) मैं गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास कर रहा हूं किंतु आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखता हूं

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

3. यह भी अनुरोध है कि मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए एफएमए को बंद करने के संबंध में मुझे प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

(घोषणा)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और मैंने पूर्व में एफएमए से सीजीएचएस में विकल्प परिवर्तन की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

तारीख:

(पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर)

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम

अभिप्राप्ति

श्री/सुश्री ...., पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (पीपीओ संख्या ....) से उनकी पेंशन के भाग के रूप में नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।

तारीख:

बैंक की मुहर

बैंक के प्रतिनिधि का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-3

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के संबंध में बैंक से प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से अनुरोध प्राप्त होने पर, उसकी पेंशन/कुटुंब पेंशन के भाग के रूप में नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) का संदाय बैंक द्वारा बंद कर दिया गया है:

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का ब्यौरा

1. नाम :- ________________________
2. पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी :- ________________________
3. पीपीओ सं. :- ________________________
4. बैंक खाता संख्या :- ________________________
5. दूरभाष सं. :- ________________________
6. वर्तमान पता :- ________________________
7. एफएमए बंद करने की तारीख:- __________________
8. एफएमए बंद करने के लिए पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा दिया गया कारण:

(क) गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान का परिवर्तन

(ख) गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करते हैं किंतु सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ने बैंक को वचनबंध दिया है कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और उसने पूर्व में सीजीएचएस से एफएमए में विकल्प परिवर्तन की सुविधा का लाभ नहीं उठाया था।

...

संलग्नक : पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से आवेदन और वचनबंध की प्रति।

(नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-4)

[नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) को बंद करने के संबंध में संबंधित बैंक के सीपीपीसी द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को दी जाने वाली सूचना]

सेवा में

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकुट-II
नई दिल्ली -110066

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नियत चिकित्सा भत्ता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, बंद कर दिया गया है:

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम	
पीपीओ संख्या	
सेवानिवृत्ति की तारीख	
वेतन एवं लेखा कार्यालय	
नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने की तारीख	

संलग्नक: एफएमए बंद करने के संबंध में पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से प्राप्त आवेदन की प्रति

बैंक की मुहर के साथ प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम....

बैंक का नाम व पता

No. 42/05/2019-P&PW(D)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 मार्च,2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Procedure for implementation of change of option by a pensioner from FMA to CGHS (OPD) facility and vice-versa

The undersigned is directed to say that the Central Government civil pensioners/family pensioners residing in areas not covered under Central Government Health Scheme administered by the Ministry of Health & Family Welfare and corresponding health schemes administered by other Ministries/Departments for their retired employees for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization, are entitled to receive a monthly Fixed Medical Allowance (FMA). The amount of FMA was revised from time to time and was last revised to Rs. 1000/- p.m. w.e.f. 01.07.2017 vide this Department's OM No. 4/34/2017-P&PW(D) dated 19.07.2017.

2. Only those pensioners who are residing in an area not covered by CGHS, and specifically opt for not availing of OPD facilities in the nearest CGHS dispensary, are entitled medical allowance. An option is required to be exercised by a pensioner at the time of retirement for availing OPD medical facility or FMA. Only one change in option in the life-time of a pensioner is allowed.

3. The Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, in its 110th report on "Pensioner's Grievances-Impact of Pension Adalats and Centralized Pensioners Grievance Redress and Monitoring System (CPENGRAMS)" has made following recommendation :

> 3.22. The Committee takes note of the difficulties faced by pensioners in surrendering their Fixed Medical Allowance (FMA) and getting FMA Surrender Certificate to avail CGHS indoor & outdoor (OPD) facilities, and, accordingly, recommends DoPPW and CGA that the procedural loopholes coming in this way should be plugged and ensure that all such pensioners should get FMA Surrender Certificates in a hassle free manner through online mode under intimation to the bank concerned and a timeline should be fixed in this regard.

Contd/....

4. If a pensioner who is residing in a non-CGHS areas and is in receipt of FMA, intends to avail the OPD facility under CGHS, etc, he has to forego FMA to become eligible for OPD facility under CGHS. However, in the absence of any guidelines for discontinuance of FMA by the Bank and issue of CGHS card for OPD facility, pensioners are often facing difficulty in exercising revised option in this regard. The matter has been examined in consultation with Ministry of Health and Family Welfare and Central Pension Accounting Office and the following procedure is laid down in this regard:-

i. If a pensioner/family pensioner residing in non-CGHS area shifts his residence to a CGHS covered area, he no longer remains eligible for FMA irrespective whether he avails the CGHS facility or not. It will, therefore, be the responsibility of the pensioner/family pensioner that on shifting from a non-CGHS area to a CGHS covered area and while requesting for change of address from a non-CGHS area to a CGHS covered area, he will apply to the Bank in Form 2 for discontinuation of his/her FMA. The pension disbursing banks will also make a provision in their system so that whenever a pensioner/family pensioner gives an intimation regarding change of residence from a non-CGHS area to a CGHS covered area, the FMA being paid to the pensioner would automatically be stopped, irrespective whether or not the pensioner/family pensioner has requested in Form-2 for stoppage of his/her FMA.

   On receipt of an application in Form-2 from the pensioner/family pensioner, who has shifted from a non-CGHS area to a CGHS covered area, the Bank will issue a certificate in Form-3 regarding discontinuation of FMA to the pensioner/family pensioner **within three working days** from the date of receipt of the application for the said certificate. Thereafter, it will be open to the pensioner /family pensioner to apply to the CGHS authorities for issue of a CGHS card for both OPD and IPD facility, by payment of requisite CGHS contributions.

   In case the pensioner/family pensioner applies for issue of a CGHS card, the same will be issued to him/her by the CGHS authorities as per their laid down procedure, if the pensioner/family pensioner otherwise fulfils the eligibility conditions for issue of CGHS Card. The CGHS authorities will, however, issue a provisional card to the pensioner/family pensioner **within four working days** from the date of completion of all formalities and deposit of contributions by the pensioner/family pensioner and such provisional Card will remain valid till issue of a final CGHS Card.

ii. If a pensioner/family pensioner, residing in a non-CGHS area and availing FMA in lieu of OPD facility, intends to avail CGHS facility for both OPD and IPD, he may apply to the concerned branch of the pension disbursing bank in Form-2 for discontinuation of FMA, to enable him/her to apply to the CGHS authorities for the CGHS facility. The pensioner/family pensioner will also give an undertaking in Form-2 to the Bank that the option being exercised by him/her to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time option and that he has not availed the facility of change of option from CGHS to FMA in the past. The pension disbursing bank

shall, thereafter, stop the payment of FMA in respect of such pensioner/family pensioner and issue a certificate in Form-3 to him/her regarding discontinuance of FMA, **within three working days** from the date of receipt of application.

Thereafter, the pensioner may apply to the concerned CGHS authorities for issue of CGHS card for both OPD as well as IPD facility after paying requisite CGHS contribution, if not already paid. The CGHS authorities will, issue the CGHS Card (including OPD facility) to him/her as per their procedure, if the pensioner/family pensioner otherwise fulfils the eligibility conditions for issue of CGHS Card. The CGHS authorities will, however, issue a provisional card to the pensioner/family pensioner **within four working days** from the date of completion of all formalities and deposit of contributions by the pensioner/family pensioner and such provisional Card will remain valid till issue of a final CGHS Card.

(iii) After discontinuing the FMA, the bank will make necessary changes in both halves of PPO in regard to discontinuance of FMA. The CPPC of the concerned bank, shall send an intimation to the Central Pension Accounting Office (CPAO) in the proforma at Form-4 for updating the record. CPAO will thereafter forward the intimation to the concerned Pay & Account Office (PAO) after updating the data in the PARAS (i.e. CPAO's database). On receipt of intimation from CPAO, PAO will inform the change in status to the concerned Head of Office for record.

5. If a pensioner, who is availing CGHS/medical facility for both IPD and OPD, intends to avail FMA while residing in a non-CGHS area or on shifting of residence from a CGHS area to a non-CGHS area, he may apply to the CGHS authorities for surrender of OPD facility under CGHS. On receipt of an application to this effect, the CGHS authorities will make necessary endorsement on the CGHS card and issue a certificate within four working days from the date of receipt of application, that the pensioner/family pensioner is not availing OPD facility and is availing only IPD facility under CGHS. Thereafter, the pensioner will submit an application to the to the Head of Office copy of the surrender certificate for issue of a revised pension payment authority for payment of FMA. The case for issue of the revised pension payment authority will then be processed in the usual manner through PAO and CPAO and sent to the Pension Disbursing Bank for payment of FMA along with monthly pension. The revised Pension Payment Authority will be issued **within two months** from the date of submission of application by the pensioner/family pensioner in this regard. The payment of FMA in such cases will, however, be made **from the date of issue of the surrender certificate by the CGHS authorities**.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
2. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks
3. Comptroller & Auditor General of India
4. Controller General of Accounts

FMA Form 2

To

The Manager,
............................Bank
....

Sub: Application for discontinuation of Fixed Medical Allowance

Sir/Madam,

I am presently drawing pension/family pension, with FMA, from your Bank and my particulars are as given below:

1. Name :-................................
2. Pension Sanctioning Authority :--------------------------------
3. PPO Number :-........................
4. Bank Account Number :-............................
5. Contact Number :-......................
6. Present Address :-.........................

2. I hereby request you to discontinue my FMA due to the following reason::

(a) I have changed residence from a Non-CGHS area to a CGHS covered area

(b) I am residing in a non-CGHS area but intend to avail CGHS facility for both IPD and OPD

* (strike out which is not applicable)

3. It is also requested that a certificate regarding discontinuation of FMA may be issued to me for taking further action in the matter.

(Undertaking)

I hereby declare that the option being exercised by me to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time change in option and that I have not availed the facility of change of option from FMA to CGHS in the past.

Date:

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner)
Name of the Pensioner/Family Pensioner

ACKNOWLEDGEMENT

Received request from Shri/Ms. ...., a pensioner/family pensioner (PPO No. ....) for discontinuation of Fixed Medical Allowance as part of his/her pension.

Date:

Seal of the Bank

Name, Designation & Signature of the representative of the Bank

FMA Form 3

Certificate from Bank regarding Stoppage of Fixed Medical Allowance of pensioner

This is to certify that on receipt of request from the following Pensioner/ Family Pensioner, payment of Fixed Medical Allowance (FMA) as part of his/her pension/family pension has been discontinued by the bank:

Details of Pensioner/ Family Pensioner:

1. Name :- ______________________
2. Pension Sanctioning Authority :- ______________________
3. PPO Number :- ______________________
4. Bank Account Number :- ______________________
5. Contact Number :- ______________________
6. Present Address :- ______________________
7. Date from which FMA has been discontinued :- ______________________
8. Reason given by pensioner/family pension for discontinuation of FMA:

   (a) Change of residence from a non-CGHS area to a CGHS covered area

   (b) Residing in Non CGHS area but intends to avail OPD facility under CGHS

   *(strike out which is not applicable)

The pensioner/family pensioner has given an undertaking to the Bank that the option being exercised by him/her to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time option and that he has not availed the facility of change of option from CGHS to FMA in the past.

...

Encl: Copy of application and undertaking from Pensioner/ Family Pensioner.

(FMA Form-4)

[Intimation to be given by CPPC of the concerned bank to the Central Pension Accounting Office regarding stoppage of Fixed Medical Allowance (FMA)]

To

Central Pension Accounting Office
BhikajiCama Place, Trikoot-II
New Delhi-110066

Sir,

It is intimated that on receipt of a request in this respect, Fixed Medical Allowance to the pensioner/family pensioner, whose details are given below, has been discontinued:

Name of the Pensioner	
PPO Number	
Date of Retirement	
Pay and Accounts Office	
Date of discontinuation of FMA	

Encl: Copy of application from pensioner regarding stoppage of FMA

Signature of Officer issuing Certificate along with stamp of bank

Name of Officer issuing the certificate....

Name and address of Bank.

सं. 1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: मार्च 31, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सभी सीपीपीसी

विषय: जीवन-पर्यंत बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.09.1983 (अनुबंध-I) को अधिसूचित पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं, उन्हें संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को नामनिर्देशन जमा करना था। प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् सेवानिवृत हुआ है/होगा, उसके लिए उस कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जहां से वह सेवानिवृत हुआ है/हो रहा है, प्रपत्र 'क' तीन प्रति में नामनिर्देशन जमा करना अपेक्षित था/है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन की सत्यापित प्रतिलिपि पेंशनभोगी को वापस करना अपेक्षित है। पेंशन संदाय आदेश के साथ नामनिर्देशन की तीसरी प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वेतन और लेखा अधिकारी/केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

2. पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रपत्र 'क' तीन प्रति में जमा करा कर नामनिर्देशन (नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, या अन्यथा) में परिवर्तन कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकारी नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नामनिर्देशन की सत्यापित दूसरी प्रति पेंशनभोगी को वापस करेगा। तीसरी प्रति उस विभाग के, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ, लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और नामनिर्देशन की मूल प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास रखी जाएगी। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत पेंशन की कोई बकाया राशि होती है, तो ऐसे पेंशन बकायों को उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन उपलब्ध है।

3. इस विभाग में कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ज्यादातर मामलों में, जब पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी(पीडीए) को नामनिर्देशन जमा करता है, बैंक कर्मी इसे जमा करने में आनाकानी करते हैं क्योंकि वे इस नियम से अवगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्देशन बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, पेंशनभोगी इसे सुरक्षित रखने और आवश्यकतानुसार अभिप्राप्त करने के बारे में अनभिज्ञ हैं क्योंकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि इसे बैंक के प्रणाली में फीड किया गया है।

4. इस विभाग में मामले की जांच की गई। पेंशन के आजीवन बकायों के लिए नामनिर्देशन की प्रस्तुति और पावती की प्रक्रिया पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 में अच्छी तरह परिभाषित है। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन कागजात भरते समय प्रपत्र 'क' में पेंशन बकायों के लिए नामनिर्देशन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नामनिर्देशन इसके पश्चात पीपीओ सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है।

5. अधिकांश मामलों में, नामनिर्देशन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामनिर्देशनों का भलीभांति रखरखाव नहीं करने के कारण होती है, क्योंकि बैंक द्वारा नामनिर्देशनों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामनिर्देशन अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी प्रपत्र 'क' में बैंक को नया नामनिर्देशन जमा नहीं कर पाता या बैंक शाखा में बैंक कर्मी अज्ञानतावश नामनिर्देशन स्वीकार नहीं करते।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों को पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामनिर्देशनों का रखरखाव करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है। संक्षेप में, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:

<u>मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन तीन प्रतियों में प्राप्त करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से नामनिर्देशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति पावती के रूप में कर्मचारी को वापस करनी होगी।
ii. नामनिर्देशन प्रपत्र की तीसरी प्रति में नामनिर्देशन की स्वीकृति चिपकाएं और पेंशन संदाय आदेश के साथ सीपीएओ/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए इसे पेंशन कागजात/पेंशन मामले के साथ लेखा अधिकारी को अग्रेषित करें।

<u>लेखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए नामनिर्देशन प्रपत्र की तीन प्रतियां, पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करें।

<u>केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक को पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामनिर्देशन फॉर्म की तीसरी प्रति अग्रेषित करे।

<u>पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. लेखा अधिकारी/सीपीएओ से प्राप्त पेंशनभोगी के नामनिर्देशन की तीसरी प्रति को अभिलेख के लिए सुरक्षित रखें।
ii. लेखा कार्यालयों/सीपीएओ से प्राप्त नामनिर्देशनों की बाबत अपनी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
iii. सभी पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी की बाबत पीडीए/बैंक के रिकॉर्ड में नामनिर्देशन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पेंशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत प्रपत्र 'क' में जमा करने की सलाह दी जाए।
iv. पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के प्रपत्र 'क' (तीन प्रतियों में) में पेंशनभोगी से मौजूदा नामनिर्देशन में किए किसी भी संशोधन/नए नामनिर्देशन को स्वीकार करें और पेंशनभोगी को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर वापस करें।
v. नामनिर्देशन की तीसरी प्रति उस विभाग के सीपीएओ/लेखा अधिकारी को भेजें जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे और नामनिर्देशन की मूल प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें।

vi. पेंशनभोगियों के साथ संव्यवहार करने वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 'क' में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए मौजूदा नामनिर्देशन में किसी संशोधन या नए नामनिर्देशन को स्वीकार करने का निर्देश दें।

vii. पेंशनभोगियों से प्राप्त नए नामनिर्देशनों/संशोधनों के संबंध में उनकी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।

viii. पेंशन सेवा पोर्टल या उनके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य समान पोर्टल में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

ix. पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जारी मासिक पेंशन पर्चियों में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

7. उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
फोन: 24635979

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. लेखा महानियंत्रक/केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी, विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3" Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated March 31, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears

I am directed to say that in accordance with the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 notified on 10.09.1983 (Annexure-1), pensioners who retired before the notification of the Rules were required to submit nomination to the respective Pension Disbursing Authority. Every employee who retired or will retire after the notification of the Rules, was/is required to submit the nomination, in triplicate, in Form "A" to the Head of Office or the Department from where he retired/ is retiring. The Head of Office is required to return a duly attested duplicate copy of the nomination in Form "A" to the pensioner. The triplicate copy of the nomination is to be passed on to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order, through the PAO/CPAO.

2. The pensioner can, subsequently, modify the nomination (if nominee pre-deceases the pensioner, or otherwise) by submitting Form "A" in triplicate to the Pension Disbursing Authority. The Pension Disbursing Authority is required to return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination. The triplicate copy is to be sent to the Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired while the original copy of the nomination shall be recorded with the PDA. If any arrears of pension accrue after the death of a pensioner, such arrears of pension are paid to the person in whose favour a nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 exists.

3. Representations have been received in this Department from some pensioners/pensioners' associations that, quite often, when pensioners submit their nominations to the Pension Disbursing Authority (PDA), there is reluctance on the part of the bank staff to accept these nominations as they are not quite conversant with the above rules. Further, in case a nomination is accepted by the bank, the pensioner is not aware of its safe custody and its retrieval when needed because he is not sure whether the nomination has been fed into the system of the Bank.

4. The matter has been examined in this Department. The procedure for submission and acknowledgement of nominations for life-time arrears of pension is well defined in the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. All retiring Government employees are mandatorily required to submit the nomination for arrears of pension in Form A while filling up the pension papers. This nomination is then forwarded to the Pension Disbursing Authority along with the PPO.

5. In most cases, the problem of non-availability of nomination may be due to improper handling of the nominations by the Banks, as the Banks may not be keeping a proper record of the nominations. The problem may also arise if the nomination submitted at the time of retirement becomes invalid on account of the nominee predeceasing the pensioner or for some other reason and the pensioner fails to submit a fresh nomination to the Bank in Form A or the staff in the Bank Branches does not accept the nomination due to ignorance.

6. In view of the above, all Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks are enjoined upon to strictly follow the procedure for handling of the nominations of the pensioners submitted under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In short, the following actions are required to be taken by Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks in this regard:

Actions by Ministries/Departments and attached/subordinate offices thereunder

i. Obtain nomination in Form A from the retiring employees, in triplicate. The Head of Office or Department must return the duly attested duplicate copy of the nomination to the retiring employee, as acknowledgement, within 30 days of the receipt of nomination from the retiring employee.

ii. Affix the acceptance of nomination in the triplicate copy of the nomination form and forward it to the Accounts Officer, along with the pension papers/pension case, for onward transmission to the CPAO/Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order.

Action by the Accounts Officers

i. Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order, to the Central Pension Accounting Office for onward transmission to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.

Action by the Central Pension Accounting Office

i Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order to the Pension Disbursing Authority/Bank along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.

Actions by the Pension Disbursing Authority/Bank

i. Retain the triplicate copy of the nomination of the pensioner, as received from Accounts Officer/CPAO, for record.

ii. Keep a proper record in their system in respect of the nominations received from the Accounts offices/CPAO.

iii. Review the availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in respect of all pensioners. In case, nomination in respect of any pensioner is not available in the record of the PDA/Bank, the concerned pensioner may be advised by the PDA/Bank to submit the same in Form A forthwith

iv. Accept any modification of existing nomination/fresh nomination from the pensioner in Form A (in triplicate) of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination.

v. Send the triplicate copy of the nomination to the CPAO/Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired and retain the original copy of the nomination for record.

vi. Instruct the staff dealing with pensioners to accept any fresh nomination or modification in the existing nomination submitted by the pensioners in Form A.

vii. Keep a proper record in their system in respect of the fresh nominations/modifications received from the pensioners.

viii. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in Pension Seva Portals or any other similar portal maintained by them.

ix. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in the monthly pension slips issued by them to the pensioners.

7. The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website

सं. 42/07/2022-पी&पी डब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 5 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2022 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.10.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/07/2021-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को दिनांक 01.01.2022 से मौजूदा 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के ऐसे पेंशनभोगी जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सभी सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, सिविल पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती हैं।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को शासित करने वाले अन्य उपबंधों को, इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. 45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी), समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

6. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

7. महालेखाकार और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958/जीए-64(ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय की व्यवस्था करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/2/2022-ई.II (बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/07/2022-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, LokNayakBhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date:- 5th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2022.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/7/2021-P&PW(D) dated 27.10.2021 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 31% to 34% w.e.f 01.01.2022.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
ii. The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
iii. All India Service Pensioners
iv. Railway Pensioners/family pensioners
v. Pensioners who are in receipt of provisional pension
vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/2/2022-E.II(B) dated 31.03.2022.

Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं.1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी

विषयः पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.03.2022 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.03.2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-235 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसमें पेंशनभोगी द्वारा जीवन-काल बकायों के नामनिर्देशन के लिए प्रपत्र 'क' निर्धारित किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष के साथ-साथ बैंक को नामनिर्देशन जमा करने के लिए इस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। अतः, बैंक को नामनिर्देशन/उपांतरण जमा करने के लिए 28.03.2014 से पूर्व प्रयोग किया जा रहा प्रपत्र-'ख', अब अस्तित्व में नहीं है।

2. इस विभाग में संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन प्रायः वेतन आयोग आदि की सिफारिश के आधार पर संशोधित नहीं की जाती है और पेंशन संवितरण बैंक द्वारा मृतक पेंशनभोगी की बाबत पेंशन के बकायों का संदाय नामनिर्देशिती को नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो 01.01.2016 को जीवित थे, की बाबत संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी मृत्यु 01.01.2016 के पश्चात् हुई है, के परिवारों को जीवन-काल बकायों का संदाय करना अपेक्षित है।

3. मृतक पेंशनभोगी, जिसके मामले में; पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक के पास वैध नामनिर्देशन मौजूद है के संबंध में बकायों का भुगतान। इस संबंध में, नई योजना पुस्तिका (5वां संस्करण, जुलाई 2021) के पैरा 21.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नवत पुनः प्रस्तुत है:-

21.5.1- <u>ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है:</u>

सीपीपीसी पीपीओ के संवितरणकर्ता भाग में पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख दर्ज करेगा और इस जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध-IX के रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखेगा। पीएएचबी द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशनभोगी के आधे भाग में की जाएगी। यदि कुटुंब पेंशन उसी पीपीओ द्वारा अधिकृत है, तो पीपीओ के पेंशनभोगी का आधा भाग नामनिर्देशिती को वापस किया जाएगा; अन्यथा इसे सीपीपीसी द्वारा संवितरणकर्ता के आधे भाग के साथ सीपीएओ को वापस

कर दिया जाएगा। सीपीएओ अपने रिकॉर्ड को अद्यतित करेगा और अपने रिकॉर्ड में आवश्यक नोट रखने के बाद पीपीओ के दोनों हिस्सों को पीएओ/एजी को प्रेषित करेगा, जिन्होंने इस कार्रवाई और रिकॉर्ड के लिए पीपीओ जारी किया था। नामनिर्देशिती को बकायों के संदाय के लिए, बकायों की अवधि दर्शाते हुए पेंशनभोगी के पीपीओ के आधे भाग के साथ पीएएचबी में आवेदन करने को कहा जाएगा। पीएएचबी, इस तथ्य कि संदाय वास्तव में मृतक पेंशनभोगी को देय है, और नामनिर्देशन में दिए गए नामनिर्देशिती के विवरण की पुष्टि करने के बाद, दावेदार के खाते में जमा करके संदाय करने के लिए पीपीओ के पेंशनभोगियों के भाग के साथ सीपीपीसी को सूचित करेगा। इस नियम के उपबंध उन मामलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा जहां कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु, उसके पुनर्विवाह/विवाह या पेंशनभोगी द्वारा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु प्राप्त करने पर कुटुंब पेंशन का संदाय बंद हो जाता है।

21.5.2- ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है:-

पेंशनभोगी द्वारा कोई नामनिर्देशन न किए जाने पर, उसकी पेंशन के बकायों का संदाय भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/22/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

4 उपरोक्त निर्देश सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन-24635979

प्रति:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. सीजीए/सीपीएओ
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं .... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष / प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम............................ कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ...., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ .... खंड .... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated ...., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari.....................................

Designation..

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ....Volume..........of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, ।"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वेध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3" Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated April 6, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.

In continuation of DoP&PW Letter of even number dated 31.03.2022, the undersigned is directed to enclose a copy of Notification No GSR-235 dated 28.03.2014 wherein Form-A has been prescribed for Nomination by a pensioner for life time arrears. This Form is to be used for submission of nomination to Head of Office as well as Bank. Therefore, Form-B which was being used for submission of nomination/modification to the Bank before 28.03.2014 no longer exists.

2. References/representations have been received in this Department mentioning that Pension of deceased pensioners is not often revised based on recommendation of Pay Commission etc and arrears of pension in respect of deceased pensioner are not paid by the Pension Disbursing Bank to the nominee. It is clarified that revised pension payment authority is required to be issued in respect of all pensioners/family pensioners who were alive as on 01.01.2016 and lifetime arrears is required to be paid to the families of such pensioners/family pensioners who died after 01.01.2016.

3. Payment of Arrears in respect of deceased pensioner, in whose case; a valid nomination exists with the Pension Disbursing Authority/Bank. In this connection, attention is invited to para 21.5.1 of the new Scheme Booklet, (5th Edition, July 2021) which is reproduced below:-

21.5.1- Cases where valid nomination exists:

The CPPC will enter the date of death of the pensioner in the disburser's portion of the PPO and will retain this information on its database with suitable audit trail and in the register maintained in their software in the form as Annexure-IX. An entry for date of death of the pensioner will be made in pensioner's half by PAHB. The pensioner's half of PPO will then be returned to the nominee if family pension stands authorised through the same PPO; otherwise it will be returned by CPPC to CPAO along with the disburser's half. The CPAO will up-date its record and transmit both halves of the PPO after keeping necessary note in their records to the PAO/AG who had issued the PPO for similar action and record. For payment of arrears to the nominee, he/she will be asked to apply for the same to the PAHB along with the pensioner's half of the PPO showing the period of arrears. The PAHB, after verifying the fact that the payment is actually due to the deceased pensioner, and also the particulars of the nominee as given in the nomination, will intimate the CPPC along with pensioners portion of PPO for making payment by crediting the account of the claimant. The provision of this rule will apply mutatis mutandis to cases where the family pension ceases to be payable either due to death of the family pensioner, his/her remarriage/marriage or on the pensioner attaining the maximum age prescribed in the rules.

21.5.2- Cases where valid nomination does not exist:-

In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrear of his/her pension are paid as per procedure prescribed in the Government of India, Ministry of PPG & Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare New Delhi OM No. 1/22/2012-P&PW (E) dated 10.07.2013.

4 The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं .... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष / प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम............................ कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ...., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ .... खंड .... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated ...., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari....................................

Designation...

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ....Volume..........of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, |"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

No. 1/22/2012-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 10th July, 2013

Office Memorandum

Sub: (i) Payment of arrears of pension in cases where valid nomination has not been made under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983;
(ii) payment of arrears of family pension – reg.

Attention is invited to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 which provide that after the death of the pensioner, all moneys payable to the pensioner on account of pension will be paid to the nominee of the deceased pensioner. In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrears of his/her pension are paid to the legal heir as per the procedure indicated in para 4 of part A of annexure to Ministry of Finance OM No. 1(3)-E.V/83, dated 11.10.1983. However, dependants of some pensioners expressed difficulties in obtaining the legal heir-ship certificates and represented that the necessity of production of legal heir-ship certificates may be waived where the amount of arrears payable is small.

2. The matter had been examined in Ministry of Finance, D/o Expenditure vide OM dated 04/06/1985 and it was decided that in case where a valid nomination does not exist under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and the dependent of pensioner is unable to produce the legal heir-ship certificate, the Payment of Lifetime Arrears of Pension accruing to the deceased pensioner may be authorized on the basis of any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant if the gross amount of arrear does not exceed Rupees 25,000. In such cases, if the gross amount did not exceed Rupees 5,000 and case represented no peculiar features, the accounts officer was authorised to make the payment on his own authority.

3. The Government has further looked into the matter and decided to increase the limits of Rupees 5000 and 25000 as indicated in Department of Expenditure OM, dated 4.6.85 to Rupees 50,000 and 2,50,000 respectively. The conditions and the procedure of payment as indicated in Department of Expenditure OM, dated 22.10.1983 and 04.06.1985 will remain the same, which are reiterated hereunder.

4. The Pension Disbursing Authority (PDA) may receive application along with any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant. In case the claimant is the recipient of family pension, the disbursing Officer will verify the identity of the claimant with reference to the disburser's half as well as pensioner's half of the PPO and give a certificate of having done so. PDA will duly attest the documents received from the applicant and forward these along with the application to the Accounts Officer. The Accounts Officer, on receipt of application along with a copy of PPO of the pensioner and other documents from the PDA, will calculate the amount of arrears and issue necessary authority for payment of life-time arrears to the disbursing authority if the case does not present any peculiar features and the amount does not exceed Rs.50,000. In case the amount exceeds Rupees 50,000 but does not exceed Rupees 2,50,000, the Accounts Officer will obtain the

orders of the Head of Department or Administrator or the CAG in the case of pensioners from Indian Audit & Accounts Department or any Officer of that Department declared as an HOD. Payment will be made on execution of a duly stamped indemnity bond in Form T.R. 14/G.A.R. 26, with such sureties as necessary in terms of para 7 below. In case of any doubt and also in cases where the amount of arrears exceeds Rupees 2,50,000, payments shall be authorized to be made only to the persons producing the legal authority.

5. This department's OM No. 43/4/95-P&PW(G), dated 30.10.1995 stipulates that in the event of death of a family pensioner, the right to receive any arrears of family pension would automatically pass on to the eligible member of the family next in line. The requirement of succession certificate for payment of any arrears occurs only where there is no member in the family who is eligible to receive family pension after the death of the family pensioner. Therefore, it has been decided that the provisions of this office memorandum will also apply to the payment of arrears of family pension where no member of family is eligible to receive family pension.

6. The Head of Department here means the Head of Department as defined in rule 2 (xvi) of the General Financial Rules, 2005. However, in order to ensure that the citizens do not have to face unnecessary hardships, it has been decided that in the case of field establishments, the Administrative Ministries/Departments may delegate the power of Head of Department to the Head of Office in the rank of Deputy Secretary/Director, if felt necessary by them. It is also clarified that this OM will cover all such past cases.

7. Normally, there should be two sureties, both of known financial stability. However, in case the amount of claim is less than Rs.75,000/-, the authority accepting the indemnity bond for and on behalf the President of India should decide on the merits of each case whether to accept only one surety instead of two. The obligor as well as the sureties executing the indemnity bond should have attained majority so that the bond has legal effect or force. The bond is required to be accepted on behalf of the President by an officer duly authorised under Article 299 (1) of the Constitution.

8. These orders will not be applicable in cases where a valid nomination exists under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In such cases, the payment of arrears will be authorised to be made to the nominee (s).

9. As regards pensioners/family pensioners belonging to the Indian Audit and Accounts Departments, these Orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID Note No.568/E.V/2013, dated 28th June, 2013 and O/o Controller General of Accounts vide their ID No. 1(7)/TA-III/2011-12/Miscl/116, dated 13.02.2013.

Choudhury

(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary to the Govt. of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. O/o The Comptroller & Auditor General of India
3. O/o The Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. Pensioners' Associations as per mailing list maintained in this department.

संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वैध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।

सं.57/03/2020-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक-28.04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए लापता सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ देने के प्रावधान से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन प्रणाली (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है) को लागू किया गया था। यह प्रावधान किया गया कि 1 जनवरी, 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्रीय सरकारी सेवा में नियुक्त सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली में संशोधन किया गया कि उक्त नियम 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त हुए सरकारी सेवकों पर लागू होंगे।

2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा. सं. 38/41/06/पी&पीडब्ल्यू(ए) द्वारा एनपीसएस द्वारा कवर किए गए सरकारी सेवकों की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त कर दिए जाने की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के लाभ अनंतिम आधार पर प्रदान किए गए थे।

3. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को दिनांक 31.03.2021 को अधिसूचित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों का लाभ लेने के लिए, विकल्प चयन करने अथवा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर अथवा अशक्तता/नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उनकी संचित पेंशन निधि से लाभ लेने के लिए विकल्प का चयन करने का प्रावधान किया गया है।

सिद्धेश्वर

4. यदि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किया गया सरकारी सेवक लापता हो जाता है, तो इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. सं.1/17/2011-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को वेतन बकायों, कुटुंब पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का संदाय किया जाता है। दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. के उपबंधों को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए ऐसे सरकारी सेवक, जो सेवा के दौरान लापता हो जाते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सका, के लिए विस्तारित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। ऐसे सरकारी सेवकों के कुटुंब द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. सं.1/17/2011-पी&पीडब्ल्यू(ई) का लाभ एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी सेवकों, जो सेवा के दौरान लापता हो गए, के कुटुंब को देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहां एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी सेवक, सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसने सेवा के दौरान इस आशय का विकल्प दिया था कि उसकी मृत्यु होने पर अथवा अशक्तता/निःशक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में उसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ दिया जाए अथवा उसके मामले में केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अधीन दिया गया हितलाभ डिफॉल्ट विकल्प लागू होता हो तो उसके कुटुंब को कुटुंब पेंशन दी जा सकेगी। वेतन बकायों, सेवानिवृत्ति उपदान और छुट्टी नकदीकरण का लाभ उन सभी मामलों में कुटुंब को प्रदान किया जा सकेगा, जहां एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, इस बात का विचार किए बिना कि कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के अधीन हितलाभ के विकल्प का चयन किया है या नहीं। तथापि, लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को हितलाभ का संदाय, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाउल्लिखित शर्तों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

6. यदि एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी सेवक सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसके कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन कुटुंब पेंशन दी जाती है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सरकारी कर्मचारी के पुनः प्रकट होने या विधि के अनुसार उसके मृत घोषित किए जाने तक निलंबित रहेगा। सरकारी सेवक के पुनः प्रकट होने की दशा में, एनपीएस खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा और एनपीएस के अंतर्गत वही खाता चालू हो जाएगा। लापता एनपीएस कर्मचारी के कुटुंब को किए गए संदाय की वसूली इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाउपबंधित क्षतिपूर्ति नियमों के अनुसार की जाएगी। तथापि, किसी भी समय या सात वर्ष के पश्चात् सरकारी कर्मचारी के मृत घोषित किए जाने पर, एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और संचित पेंशन रकम से प्रतिलाभ सरकारी खाते में अंतरित किया जाएगा और शेष रकम जिसमें कर्मचारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सम्मिलित है, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तरधिकारी को केंद्रीय सिविल सेवा(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अनुसार संदत्त किया जाएगा और कुटुंब, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभ प्राप्त करता रहेगा।

7. सरकारी सेवक या कुटुंब द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए दावा, प्रासंगिक नियमों तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाविहित रीति से प्रस्तुत किया जा सकेगा। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली अथवा केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) के अधीन हितलाभ प्रदान करने की प्रक्रिया सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विकल्प या केंद्रीय सिविल सेवा(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन विहित डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार प्रारंभ की जाएगी। साथ ही, एनपीएस के अंतर्गत खाते को फ्रीज करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली अथवा केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ प्रदान करने की प्रक्रिया, एनपीएस के अंतर्गत खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया के पूरा होने तक टाली नहीं जाएगी।

8. ये आदेश 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली में यथाउपबंधित, सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित संदाय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर समय-समय पर लागू दरों और ऐसी रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा। तथापि, इन अनुदेशों के जारी होने से पूर्व किसी बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

9. ऐसे सभी मामलों में जहां किसी लापता सरकारी सेवक, जिसका पता नहीं लगाया जा सका था, के पुनः प्रकट होने पर तथा जहां पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन हितलाभ प्रदान किया गया, यदि संदत्त कुटुंब पेंशन की राशि वसूलीयोग्य परिलब्धियों से अधिक हो, तो मामले को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से सुलझाया जाएगा।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की अंतर्वस्तु को अपने अधीन लेखा नियंत्रकों/वेतन एवं लेखा अधिकारियों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29.03.2022 के आई.डी. नोट सं.I(II)/ईवी/2021 द्वारा और लेखा महानियंत्रक के दिनांक 15.03.2021 के आई.डी. नोट सं.टीए-3-104/5/2019-टीए-III/सीएस-557/235 द्वारा परामर्श करके जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

3. राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में महालेखाकार।
4. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
7. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
8. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
9. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

No. 57/03/2020-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 28th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Provision for extending benefits under CCS (Pension) Rules or CCS (EOP) Rules to family of missing Central Government employees covered under National Pension System (NPS)-reg.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) (NPS) was introduced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' notification No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces. Simultaneously, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules were amended to provide that those rules would be applicable to the Government servants appointed on or before 31.12.2003.

2. However, considering the hardship being faced by the Government servants appointed on or after 01.01.2004, benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, as the case may be, were extended on provisional basis, in the event of death of Government servant covered by NPS or his discharge from service on invalidation / disablement, vide this Department's OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009.

3. Further, the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 have been notified on 31.03.2021 inter-alia providing Government servants covered under these rules for exercise of options during their service for availing benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, as the case may be, or benefits from their Accumulated Pension Corpus under National Pension System, in the event of death of the Government servant covered under NPS or his discharge from service on account of invalidation or disablement.

4. If a Government servant covered by the CCS (Pension) Rules, 1972 goes missing, the benefits of arrears of salary, family pension, retirement gratuity, leave encashment, etc. are paid to the families of the missing employees in accordance with the instructions issued vide this Department's OM No. 1/17/2011-P&PW(E) dated 25.06.2013. References have been received from Ministries / Departments for extending the provisions of the OM dated 25.06.2013 to Government servants covered under NPS, who go missing during service and whose whereabouts are not known.

5. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel and Training, Department of Financial Services and Department of Expenditure. Considering the hardship faced by the family of such Government servants, it has been decided to extend the benefits of this Department's OM No. 1/17/2011-P&PW(E) dated 25.06.2013 to the families of Government servants covered by NPS who go missing during service. Accordingly, in all cases where a Government servant covered by NPS goes missing during service, the benefits of family pension may be paid to the family if the missing Government servant had exercised option for benefits under CCS (Pension) Rules on death or discharge from service on disability/invalidation or the benefits under CCS (Pension) Rules is the default option under the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021. The benefit of arrears of salary, retirement gratuity and leave encashment shall be paid to the family in all cases where a Government employee covered under NPS goes missing during service, irrespective whether the employee had exercised option for benefits under CCS (Pension) Rules or under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. Payment of the benefits to the family of the missing Government servant would, however, be subject to the conditions and procedural requirements, as mentioned in this Department's OM dated 25.06.2013.

6. In the case of a Government servant covered under NPS goes missing during service and his family is given family pension under CCS(Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, the Permanent Retirement Account under National Pension System would remain suspended till the Government servant re-appears or till he is declared dead in accordance with the law. In the event of re-appearance of Government servant, the NPS account would be re-activated and the same account under NPS will become operative. Recoveries of payments made to the family of missing NPS employee would be made from the indemner as provided under this Department's OM dated 25.06.2013. However, in the event of Government servant being declared dead at any time or after seven years, Government contribution and returns thereon from the accumulated pension corpus under NPS would be transferred to the Government account and remaining corpus comprising of employees' contribution and returns thereon would be paid to the nominee or legal heir as the case may be in accordance with CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 and family will keep getting benefits as per CCS (Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, as the case may be.

7. The claim by the Government servant or the family for getting benefits under CCS (Pension) Rules, or CCS(EOP) Rules, as the case may be, would be submitted in the same manner as prescribed under the relevant rules and DoPPW OM dated 25.06.2013. The process for grant of benefits under CCS(Pension) Rules, or CCS(EOP) Rules would be initiated in accordance with the option exercised by the Government servant or default option prescribed under CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021. Necessary action for freezing of account under NPS would be started simultaneously and the process of grant of benefits under CCS(Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, as the case may be, should not be deferred till the process of freezing of account under NPS is completed.

8. These orders shall take effect from 01.01.2004. Interest on delayed payment of retirement gratuity, as provided under the CCS(Pension) Rules, would be paid at the rates and manner applicable for Public Provident Funds deposits from time to time. However, no interest would be paid for any amount due before issue of these instructions.

9. In all those cases where on re-appearing of Government servant whose whereabouts were not known, and where benefits under DoPPW OM dated 25.06.2013 have been paid, the quantum of family pension awarded exceeds the recoverable emoluments, the matter needs to be settled in consultation with Department of Pension and Pensioners' Welfare and Department of Expenditure.

10 All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts / Pay and Accounts Officers and Attached / Subordinate Offices under them.

11. This issues in consultation with of Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure vide ID Note No. 1(11)/EV/2021 dated 29.03.2022 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-104/5/2019-TA-III/CS-557/235 dated 15.03.2021.

12. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

13. Hindi version will follow.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Chief Secretaries of all State Governments/UTs.
3. Accountant Generals in the States and UTs.
4. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
5. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
7. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
8. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
9. AD(OL) for Hindi version.
10. NIC for posting on the website of this Department.

सं.42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 11 मई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2022 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 23.11.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को दिनांक **01.01.2022** से निम्नलिखित रीति से बढ़ाया जाए:-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, और दिनांक 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा 04 जून, 2013 से समूह क, ख, ग तथा घ के लिए क्रमशः 3000/- रू, 1000/- रू, 750/- रू और 650/- रू के मूल अनुग्रह राशि पाने के हक़दार हैं, अब **01.01.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **368%** से मूल अनुग्रह राशि के **381%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) सीपीएफ लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां **01.01.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **360%** से मूल अनुग्रह राशि के **373%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी या 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र संतानें, 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से 645/- रूपये प्रतिमास की दर पर संशोधित अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं।

जारी/......

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ सहित सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें 654/- रूपये, 659/- रूपये, 703/- रूपये और 965/- रूपये की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के संदाय में जहां रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/3(2)/2008-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/07/2022-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated 11th May, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even no. dated 23.11.2021 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.01.2022** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **368%** of the basic ex-gratia to **381%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2022.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **360%** of the basic ex-gratia to **373%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2022**:-

(a) The widows and eligible children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 7th April, 2022.

6. Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं. 1/1(45)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 मई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से अर्थात सैन्य सेवा और सिविल सेवा की बाबत या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में की गई सेवा की बाबत, कुटुंब पेंशन के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विभाग में अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में 27 दिसंबर, 2012 को संशोधन से पूर्व, यदि किसी सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के विकल्प का चयन किया था, तो उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-क के अनुसार पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को सिविल पक्ष से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति प्रतिबंधित थी। इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-ख के अनुसार किसी व्यक्ति को दो कुटुंब पेंशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा था। दिनांक 27 दिसंबर, 2012 (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना संख्या 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू (ई) द्वारा उप-नियम 13-क और 13-ख हटा दिए गए थे। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। इस स्थिति को इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को 20 दिसंबर, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 की जगह अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 कुटुंब पेंशन से संबंधित है। इस नियम में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित मामले में, एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में कोई प्रतिबंध नहीं है।

5. तथापि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो कुटुंब पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उप-नियम 12 (क) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अध्यधीन बनी रहेगी।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. 1/1(45)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel Pension & Public Grievance
Department of Pension & Pensioners' Welfare
(Desk-E)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated May 23, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Eligibility for two family pensions- clarification regarding

The undersigned is directed to state that representations/references have been received in this Department seeking clarification in regard to entitlement of a member if family for family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, e.g. in respect of military service and civil service or in respect of service rendered in autonomous body and civil Government Department.

2. Before amendment of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on 27th December, 2012, sub rule 13-A of Rule 54 of those Rules prohibited grant of family pension from the civil side to a re-employed military pensioner, if the military pensioner had opted for family pension for the military service rendered by him. Similarly, sub-rule 13-B of Rule 54 of those Rule prohibited grant of two family pensions to a person who was already in receipt of Family Pension or was eligible therefor under any other rules of the Central Government or a State Government and/or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Local Fund under the Central or a State Government. Sub-rules 13-A and 13-B were omitted vide notification No. 1/33/2012-P&PW (E) dated 27th December, 2012 (effective from 24th September, 2012). Thus the restriction on entitlement of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner in such cases was removed by the aforesaid amendment notification. This position was also clarified vide this Department's O.M. No. 1/33/2012-P&PW (E) dated 16th January, 2013.

3. The Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 have been notified on 20th December, 2021 replacing the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with family pension. This rule also does not provide for any restriction on grant of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner.

4. In view of the above, it is clarified that there is no restriction in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on grant of family pension to a family member from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, in cases referred to in para 2 above.

5. However, entitlement of two family pensions to a member of the family consequent on death of two different Government servants/pensioners shall continue to be subject to the restriction in sub-rule 12(a) and sub-rule 13 of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. O/o the Comptroller & Auditor General of India
3. O/o the Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. NIC-for uploading on Department's Website

सं.38/46/2017-पीएंडपीडब्ल्यू(ए)(4879)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 14.06.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने के पश्चात् अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 27.10.1997 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए)-पार्ट II द्वारा पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

(ii) इस विभाग के दिनांक 10.02.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए)-पार्ट III द्वारा दिनांक 01.01.1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए।

(iii) इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/10/98-पीएंडपीडबल्यू(ए) द्वारा अनुदेश जारी किए गए कि उपरोक्त उप-पैरा(i) के तहत समेकित संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.01.1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

(iv) इस विभाग के दिनांक 25.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए) पार्ट V द्वारा स्पष्टीकरण/अनुदेश जारी किए गए कि उपरोक्त उप-पैरा (ii) और (iii) में

संदर्भित अनुदेश 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होगें यदि पेंशनभोगी दिनांक 01.01.1996 से पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे।

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 में, यह प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, महंगाई पेंशन, महंगाई राहत तथा फीटमेंट लाभ को समेकित करते हुए संशोधन किया जाएगा।

(ii) इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं.38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) तथा दिनांक 03.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) (पार्ट1) के पैरा 4.2 में, आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन/कुटुंब पेंशन का नियतन इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, किसी भी स्थिति में, पेंशनभोगी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व-संशोधित वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(iii) इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए), दिनांक 30.7.2015 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए), तथा दिनांक 06.04.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के अनुसार पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के तरीके के संबंध में आगे अनुदेश जारी किए गए।

(iv) इस विभाग के दिनांक 22.07.2011 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 का लाभ ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 और 41 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

3. सातवें केंद्रीय वेंतन आयोग की सिफारिशों पर, 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा दिनांक 01.01.2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.2016 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

(ii) दिनांक 12.05.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 11 में, यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 01.01.2016 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करने से संबंधित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे।

4. इस संबंध में कुछ पेंशनभोगियों से प्राप्त अभ्यावेदनों और कुछ अदालती फैसलों के आधार पर, व्यय विभाग से परामर्श करके मामले पर पुन:विचार किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 10.02.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडब्लयू(ए)-पार्ट-III और दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं.45/10/98-पीएंडपीडब्ल्यू(ए), छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) के पैरा 4.2 (समय-समय पर यथासंशोधित/स्पष्ट) तथा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) में निहित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए भी लागू होंगे जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। तदनुसार, 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में ऐसे पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन क्रमश: दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 से संशोधित की जायेगी।

5. ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई थी जो पूर्ण पेंशन से कम थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन घटी हुई प्रारंभिक पेंशन/अनुकंपा भत्ता के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने पर मंजूर की गई थी। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन/अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम की जाएगी जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने पर पेंशन/अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के

पूर्ण रूप से दी गई थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी।

6. उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित कुटुंब पेंशन की राशि में किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ते की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी।

7. तद्नुसार, इस विभाग के दिनांक 25.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडब्लयू(ए) पार्ट V, दिनांक 22.07.2011 के संख्या 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) तथा दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा. सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) के पैरा 11 में निहित स्पष्टीकरण/अनुदेश वापस ले लिए गए।

8. तद्नुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई थी, की बाबत दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 (जैसा लागू हो) से पेंशन/कुटुंब पेंशन का संशोधन करें।

9. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके दिनांक 29.04.2022 के आईडी/यू.ओ सं.1(11)/ईवी/2017 द्वारा जारी किए जाते हैं।

10. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

No.38/46/2017-P&PW(A)(4879)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated : 14.06.2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Revision of pension/family pension in respect of the pensioners drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance after compulsorily retirement/dismissal/removal from service-reg.

The undersigned is directed to say that on the recommendations of the 5th Central Pay Commission, the following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-1996 pensioners:

(i) Orders issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A)-Part II dated 27.10.1997 for revision of pension/family pension of pre-1996 pensioners/family pensioners by consolidating the pre-revised pension/family pension, dearness relief, interim relief and fitment benefit with effect from 01.01.1996.

(ii) Instructions issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A)-Part III dated 10.02.1998 for revision of pension/family pension of pre-1996 pensioners/family pensioners by notional fixation of pay as on 01.01.1986.

(iii) Instructions issued vide this Department's OM No. 45/10/98-P&PW(A) dated 17.12.1998 that the consolidated revised pension/family pension under sub-para (i) above would be stepped up to 50% / 30% of the minimum of the pay in the revised scale of pay as on 01.01.1996, corresponding to the scale held by the pensioner at the time of retirement/death.

(iv) Clarifications/instructions issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A) Pt.V dated 25.03.2004 that the instructions referred to in sub-para (ii) and (iii) above would not be applicable to the pre-1996 pensioners/family pensioners in cases where pensioners were drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance, for the purpose of revision of pension/family pension w.e.f. 01.01.1996.

2. On the recommendations of the 6th CPC, the following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-2006 pensioners:

(i) Orders issued vide this Department's OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 1.9.2008 for revision of pension/family pension of pre-2006 pensioners/family pensioners w.e.f. 01.01.2006. In para 4.1 of this OM, it was provided that pension/family pension of pre-2006 pensioners would be revised by consolidating the pre-revised pension/family pension, dearness pension, dearness relief and fitment benefit.

(ii) In para 4.2 of this Department's OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 1.9.2008 and O.M. No. 38/37/08-P&PW(A)(pt.1) dated 03.10.2008, it was further provided that the fixation of pension/family pension would be subject to the provision that the

revised pension/family pension, in no case, would be lower than 50% /30% of the minimum of the pay in the pay band plus the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale from which the pensioner had retired.

(iii) Further instructions regarding the manner for revision of pension/family pension in terms of para 4.2 of O.M. dated 01.09.2008 were issued vide this Department's O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 28.01.2013, 38/37/08-P&PW(A) dated 30.07.2015 and 38/37/08-P&PW (A) dated 06.04.2016.

(iv) It was clarified vide this Department's OM No.38/37/08-P&PW(A) dated 22.07.2011 that the benefit of para 4.2 of the OM dated 01.09.2008 would not be applicable in the case of revision of pension/family pension in respect of the pensioners who were in receipt of compulsory retirement pension and compassionate allowance under Rules 40 and 41 of CCS(Pension) Rules, 1972.

3. On the recommendations of the 7th CPC, following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-2016 pensioners:

(i) Orders were issued vide this Department's OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 for revision of pension/family pension of pre-2016 pensioners/family pensioners w.e.f. 01.01.2016 by notional fixation of pay as on 01.01.2016.

(ii) In para 11 of the said OM dated 12.5.2017, it was provided that the provisions regarding notional fixation of pay as on 01.01.2016 would not be applicable for the purpose of revision of pension/family pension in respect of the pensioners who were drawing compulsory retirement pension under Rule 40 of the CCS (Pension) Rules, 1972 or compassionate allowance under Rule 41 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

4. Based on representations received from some pensioners and also some court decisions in this regard, the matter has been re-considered in consultation with Department of Expenditure. It has now been decided that the provisions contained in this Department's OMs No.45/86/97-P&PW(A)-Part III dated 10.02.1998 and No. 45/10/98-P&PW(A) dated 17.12.1998 regarding revision of pension/family pension after 5th CPC, para 4.2 of this Department's OM No.38/37/08-P&PW(A) dated 01.09.2008 (as amended /clarified from time to time) regarding revision of pension/family pension after 6th CPC and this Department's OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 regarding revision of pension/family pension after 7th CPC by notional fixation of pay, would also be applicable for revision of pension/family pension in respect of pensioners who were drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance. Accordingly, pension/family pension of such pensioners/family pensioners shall be revised w.e.f. 01.01.1996, 01.01.2006 and 01.01.2016 in accordance with the aforesaid orders issued for revision of pension of the pre-1996, pre-2006 and pre-2016 pensioners/family pensioners, respectively.

5. In cases where compulsory retirement pension or compassionate allowance was sanctioned at a rate which was less than full pension, the revised pension computed as per the aforesaid OMs would be proportionate to the reduced initial pension/compassionate allowance which was sanctioned on compulsory retirement/dismissal/removal. In other

words, the revised pension/compassionate allowance computed as per the aforesaid OMs would be reduced by the same percentage by which the initial pension was reduced at the time of sanction of pension/compassionate allowance on compulsory retirement/ dismissal/ removal. In cases where the compulsory retirement pension was given in full without any reduction, the revised pension computed as per the aforesaid OMs would also be given in full without any reduction.

6. There will be no reduction in the amount of family pension computed as per the aforesaid OMs in any case, including in cases where the amount of initial compulsory retirement pension/compassionate allowance was less than full pension.

7. Accordingly, the clarifications/ instructions contained in this Department's OMs No.45/86/97-P&PW(A)pt.V dated 25.03.2004, No.38/37/08-P&PW(A) dated 22.07.2011 and para 11 of OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 stand withdrawn.

8. All Ministries/Departments are requested to revise the pension/family pension w.e.f. 01.01.1996, 01.01.2006 and 01.01.2016 (as may be applicable) in respect of the pensioners who were sanctioned compulsory retirement pension or compassionate allowance accordingly.

9. These orders are issued with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their ID/U.O No.1(11)/EV/2017 dated 29.04.2022.

10. In so far as persons belonging to the Indian Audit & Accounts Departments, these orders are issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

11. Hindi version will follow.

Pramod Kumar

(Dr. Pramod Kumar)
Director

All Ministries/Departments of Government of India

सं. 3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू(एफ)/6728

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-एफ)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से उनके जीपीएफ खातों में प्रायः लुप्त क्रेडिट के कई मामलों के कारण, उनकी सेवानिवृति पर, ब्याज सहित जीपीएफ के त्रुटिपूर्ण और विलंबित समायोजन से संबंधित अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जीपीएफ खाते में लुप्त क्रेडिट की सूचना प्रायः ऐसे अभिदाता द्वारा दी गई जो अपनी सेवा के दौरान एक प्रतिस्थापन से अन्य प्रतिस्थापन में स्थानांतरित होते हैं या जिन्हें विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार दिया गया या अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो अपने संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। अतः, इस विभाग ने दिनांक 17.07.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा जीपीएफ खातों में बेहतर पारदर्शिता और जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों को दूर करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, दिनांक 17.07.2020 के का.ज्ञा. की प्रति संलग्न है।

2. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा दिनांक 17.07.2020 को जारी किए गए का.ज्ञा में दिए गए अनुदेशों को, दोहराया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को **सख्ती से अनुपालन** हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
3. लेखा महानियंत्रक
4. सभी महालेखाकार (राज्य)
5. एनआईसी, डीओपीपीडब्ल्यू, इस विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए

सं. 3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू(डेस्क-एफ) ई-6574

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

*****

आठवां तल, बी- विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियां।

*****

इस कार्यालय को सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से उनके जीपीएफ खातों में प्रायः लुप्त क्रेडिट के कारण, उनकी सेवानिवृति पर, ब्याज सहित जीपीएफ के त्रुटिपूर्ण और बिलंबित समायोजन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जीपीएफ खाते में लुप्त क्रेडिट की सूचना प्रायः ऐसे अभिदाताओं द्वारा दी गई जो अपनी सेवा के दौरान एक प्रतिस्थापन से अन्य प्रतिस्थापन में स्थानांतरित होते हैं या जिन्हें विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार दिया गया या अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो अपने संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। इन मामलों में यह देखा गया कि जीपीएफ खाते का रखरखाव, उनके वेतन बिल तैयार करने और उनके जीपीएफ अंशदान की कटौती करने वाले प्रतिस्थापन से भिन्न प्रतिस्थापन द्वारा किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीपीएफ खातों के अद्यतित रखरखाव में किसी भी चूक को दूर करने के लिए ऐसे दो प्रतिस्थापनों के बीच एक समन्वय तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है।

2. ऐसी शिकायतों को दूर करने और बेहतर पारदर्शिता के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि,

i. जीपीएफ खातों का रखरखाव करने वाले सभी कार्यालयों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार, संबंधित अभिदाता को सूचित करते हुए, जीपीएफ अंशदान की कटौती के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को लुप्त क्रेडिट का विवरण देना अनिवार्य होगा।

ii. जीपीएफ खाते की शुरुआत के पश्चात् से सभी क्रेडिट, डेबिट और ब्याज का पूरा विवरण प्रत्येक अभिदाता को अनिवार्य रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व और तत्पश्चात सेवानिवृति की तारीख से एक वर्ष पूर्व प्रदान किया जाएगा। कोई भी अभिदाता उसे प्रदान किए गए ऐसे विवरण पर एक अभ्यावेदन दे सकता है और जीपीएफ खाते का रखरखाव करने वाला कार्यालय ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेगा।

3. सभी मंत्रालय/विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(राजेंद्र कुमार दत्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
3. लेखा महानियंत्रक
4. सभी महालेखाकार (राज्य)
5. एनआईसी, डीओपीपीडब्ल्यू, इस विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए

No. 3/7/2020-P&PW (F)/6728
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pension' Welfare
(Desk-F)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated: 18.08.2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Missing entries in GPF accumulation of subscriber regarding.

The undersigned is directed to say that this Department has been receiving representations/grievances from retired government servants for inaccurate and delayed GPF settlement alongwith interest, on their retirement, due to frequent instances of missing credits in their GPF accounts. The missing credits in GPF were reported mostly by subscribers, who during their service moved from one establishment to another or were assigned foreign deputation and also by officers of All India Services, who proceeded on deputation outside their cadres. Therefore, this Department vide OM of even number dated 17.07.2020 issued instructions in respect of GPF accounts for greater transparency and also to avoid missing entries in GPF accumulation, etc. A copy of the OM dated 17.07.2020 is attached.

2. In this connection, the instructions issued in this Department's OM dated 17.07.2020 are reiterated and all Ministries/Departments and their Attached and Subordinate Offices are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for **strict compliance**.

3. This issues with the approval of competent authority in the Department.

विशाल

(विशाल कुमार)
अवरसचिव, भारतसरकार

1. All Ministries/Departments, Government of India
2. Comptroller & Auditor General of India
3. Controller General of Accounts
4. All Accountant General (State)
5. NIC, DoP&PW: for uploading on website of this Department.

No.3/7/2020-P&PW (Desk-F) E.6574
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Pension & Pensioners' Welfare
*****

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhavan,
Janpath, New Delhi-110001,
Dated: July 17, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Missing entries in GPF accumulation of subscribers

*****

This office has been receiving grievances from retired government servants for inaccurate and delayed GPF settlement, along with interest, on their retirement, due to frequent instances of missing credits in their GPF accounts. The missing credits in GPF were reported mostly by subscribers, who during their service moved from one establishment to another or were assigned foreign deputation and also by officers of All India Service, who proceeded on deputation outside their cadres. In these cases it was observed that the GPF account is maintained by an establishment different from that generating their salary bills and deducting their GPF subscription. Needless to say that a co-ordination mechanism between such two establishments is most crucial to avoid any lapses in updated maintenance of GPF accounts.

2. In order to avoid such grievances and for the sake of greater transparency, it has henceforth been decided that,

i. it shall be mandatory for all offices maintaining GPF Accounts to intimate the particulars of missing credits, once every financial year, to the authority responsible for deducting the GPF subscription, under intimation to the concerned subscriber.

ii. A complete statement of all credits, debits and interest, since inception of the GPF account, shall be provided to every subscriber, mandatorily two years before his date of retirement and thereafter one year before the date of retirement. Any subscriber can make a representation on such a statement provided to him and the office maintaining the GPF account shall resolve the grievance within 60 days from the date of receipt of such a grievance.

3. The Administrative Divisions of all Ministries/Department and attached/subordinate offices are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for strict compliance.

(Rajendra Kumar Dutta)
Under Secretary to the Government of India
Tel No. 011- 23310106

i. All the Ministries/ Departments, Government of India

ii. Comptroller and Auditor General of India

iii. Controller General of Accounts

iv. All Accountant General (State)

v. NIC, DoPPW: for uploading on website of this Department.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

8वीं मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 30 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : - वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को पेंशन/कुटुंब पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में **वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष खिड़की देने के लिए, इस विभाग ने अपने दिनांक 18.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू(ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी थी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है –

i. पेंशन संवितरण बैंकों(पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को अभिलिखित किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।

ii. यदि पेंशनभोगी किसी 'नामित अधिकारी' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, तो पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगीI ऐसा पेंशनभोगी जो निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार प्रस्तुत करता है उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

iii. पेंशनभोगी **जीवन प्रमाण पोर्टल** के माध्यम ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "जीवन प्रमाण" के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए www.uidai.gov.in साइट पर जा सकते हैं।

iv. डाक विभाग के **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक**(आईपीपीबी) ने एमईआईटी के साथ मिलकर नवंबर 2020 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: "**डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा**" को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन के लिए डाकघरों में 1,36,000 से अधिक अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ 1,89,000 से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर से "**Postinfo APP**" डाउनलोड करना होगा। डाक सेवकों/ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/cERwM_U7g54 पर देखी जा सकती है।

v. बैंकिंग सुधारों में सुविधा के तहत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए "**डोरस्टेप बैंकिंग**" **12 लोक उपक्रम बैंकों** के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग के तहत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा किसी भी 3 चैनल अर्थात मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के माध्यम से इस सेवा को बुक किया जा सकता है।

- मोबाइल ऐप अर्थात "**डोरस्टेप बैंकिंग(डीएसबी)**" को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है ,
- पेंशनभोगी वेब ब्राउजर अर्थात https://doorstepbanks.com/ और https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर :- 18001213721, 18001037188 के माध्यम से

vi. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित **फेस ऑथेंटिकेशन** टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिससे जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करना संभव है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया प्रवाह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल → जीवन प्रमाण→ डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया प्रवाह पर उपलब्ध है। (http://pensionersportal.gov.in/Document/Face%20Authentication%20Process%20Jeevan%20Pramaan%20App%20.pdf)

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को संज्ञान में लाए और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23310108

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंक और पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के सीएमडी/सीपीपीसी ।
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट - II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
4. सचिव, रक्षा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
9. राज्य के सभी मुख्य सचिव।
10. एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।
11. पेंशनभोगियों के पोर्टल के तहत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए।

अनुबंध-I

जीवन प्रमाणपत्र हस्ताक्षर किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची (सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्तिं;

(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;

(iii) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी;

(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;

(v) डाकघर का कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या कोई निरीक्षक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक के अधिकारी (ग्रेड-II अधिकारी सहित);

(vii) कोई न्यायमूर्ति;

(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:

(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;

(x) किसी गांव की कार्यपालक समिति

(xi) संसद, राज्य विधान सभाओं के सदस्य, या संघ शासित प्रदेशों/प्रशासनों की विधान सभाओं के सदस्य;

(xii) कोषागार अधिकारी।

No. 1(8)/2021-P&PW(H)-7468
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhawan
Janpath, New Delhi-110001
Dated the 30th September, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of Annual Life Certificate

Every Central Government pensioner has to submit **Annual Life Certificate** in the month of November for further continuation of pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branches for this purpose.

2. As a measure to enable an additional exclusive window to very senior pensioners, this Department, vide its OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18.07.2019, has allowed the pensioners in the age group of 80 years and above, to submit Annual Life Certificate from 1st October onwards, instead of 1st November onwards, every year.

3. The different modes available to a pensioner for submission of Annual Life Certificate are once again summarized for Pensioners' awareness. An Annual Life Certificate can be submitted manually or digitally as per convenience of the pensioner by following modes: -

i. Life certificate can be recorded by Pension Disbursing Authorities (PDAs), if the pensioner physically appears before the PDA.

ii. Personal appearance of a pensioner will not be required, if the pensioner submits the life certificate form signed by any 'designated official'. In accordance with para 14.3 of the Scheme Booklet issued by CPAO, a pensioner who produces a life certificate in the prescribed form, signed by persons specified, is exempted from personal appearance. A list of designated officials specified for signing the Life Certificate as per the scheme booklet of CPAO is attached as **Annexure-I**.

iii. Pensioners can submit Life Certificate online through **Jeevan Pramaan Portal**. The process of submission of Digital Life Certificate through "Jeevan Pramaan" may be seen at https://youtu.be/nNMlkTYqTF8. UIDAI has provided details of all biometric devices which are permissible for capturing biometrics of a person. Pensioners may visit the site www.uidai.gov.in to get information of all such devices.

iv. **India Post Payments Bank** (IPPB) of Department of Posts along with Meity have successfully launched the initiative of the Department of Pension & Pensioners' Welfare: **"Doorstep Service for submission of Digital Life Certificate through Postman"** in November 2020. IPPB is utilizing its national network of more than 1,36,000 access points in Post Offices and more than 1,89,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks with smart phones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services for generation of Digital Life Certificates. For leveraging this facility through a mobile phone, a pensioner has to download **"Postinfo APP"** from Google Play store. The process of submission of Digital Life Certificate through Postmen/Gramin Dak Sevaks may be seen at https://youtu.be/cERwM_U7g54 .

v. **Doorstep Banking** is also available through the **Alliance comprising 12 Public Sector Banks which do "Doorstep Banking"** for its customers in 100 major cities of the country under Ease of Banking reforms. PSB Alliance has introduced the service for collection of Life Certificates under the umbrella of Doorstep Banking. DSB Agent shall visit the doorstep of Pensioner to render the service. Service can be booked by the pensioner through any of the 3 channels i.e. Mobile App, Website or Toll Free Number.

- Mobile App i.e **"Doorstep Banking (DSB)"** can be downloaded from Google Playstore.
- Pensioners can access through Web Browser i.e https://doorstepbanks.com/&https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login
- Through Toll free Number:- 18001213721,18001037188.

vi. Pensioners can also submit Life Certificates using the **Face Authentication** technology system based on UIDAI Aadhaar software whereby it is possible to generate a Digital Life Certificate from any Android based smart phone by capturing the live photograph of the pensioner for online submission on the Jeevan Pramaan mobile application. The process flow for generating DLCs through Face Authentication is available on DoPPW's Pensioners' Portal → Jeevan Pramaan → Process flow of face authentication technique for DLC generation. (https://pensionersportal.gov.in/Document/Face%20Authentication%20Process%20of%20Jeevan%20Pramaan%20App%20.pdf).

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this OM for compliance and give wide publicity of the same amongst pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Ashok Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23310108

To

1. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
2. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
3. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
5. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
6. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
7. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
8. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
9. All Chief Secretaries of States.
10. NIC: -for posting on website of this Department.
11. All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

Annexure-I

List of persons specified for signing the Life Certificate (para 14.3 of Scheme Booklet by CPAO)

i. A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure code;

ii. A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;

iii. A Gazetted officer of the Government;

iv. A Police Officer not below the rank of Sub-Inspector in–charge of a Police Station;

v. A Postmaster, a departmental Sub-Postmaster or an Inspector of Post Offices;

vi. A Class-I officer of the Reserve Bank of India, an officer (including Grade II officer) of the State Bank of India or of its subsidiary;

vii. A Justice of Peace;

viii. A Block Development Officer, Munsif, Tehsildar or Naib Tehsildar;

ix. A Head of Village Panchayat, Gram Panchayat, Gaon Panchayat or an

x. Executive Committee of a Village;

xi. A Member of Parliament, of State legislatures or of legislatures of Union Territory Governments/Administrations;

xii. Treasury Officer.

सं.1(3)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8371

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल, 'बी' विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
तारीख: 2 नवंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पेंशनभोगियों द्वारा अपनी पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर मास (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर मास में अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित है) में किया जाता है।

2. परंपरागत तरीके के अनुसार, पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण के पास स्वयं जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें बैंक शाखाओं में लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। इसे वृद्ध, बीमार और दुर्बल पेंशनभोगियों के लिए असुविधाजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण के अभिलेखों में अपने जीवन प्रमाणपत्र के अद्यतन से संबंधित स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' को सुनिश्चित करने के लिए, यह विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) को व्यापक रूप से बढ़ावा दे रहा है। प्रारंभ में, बायोमेट्रिक्स का प्रयोग करके डीएलसी प्रस्तुत करना शुरू किया गया था। तथापि, उम्र बढ़ने के कारण अंगुलियों के बायो-मेट्रिक्स कैप्चर न होने के कारण वृद्ध पेंशनभोगियों को डीएलसी के प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

4. अतः विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर यूआईडीएआई **आधार** डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की, जिसके माध्यम से किसी भी एंडरोइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रसुविधा के अनुसार, फेस रिकग्निशन तकनीक से व्यक्ति की पहचान की जाती है। यूआईडीएआई सर्वर उसकी पहचान करता है और डीएलसी जनरेट हो जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई, इस सफल तकनीक ने वाहय बायो-मीट्रिक यंत्रों पर पेंशनभोगियों की निर्भरता को कम कर दिया है और

स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से संबंधित सामान्य प्रचालन प्रक्रिया संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के प्रयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उनके 'सुविधापूर्ण जीवन' के लिए नवंबर 2022 के पूरे मास के दौरान राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रहा है।

6. निम्नलिखित हितधारकों से अनुरोध है कि सेवा का लाभ उठाने और अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक पहुंच के लिए डीएलसी के राष्ट्रव्यापी अभियान को नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार चलाया जाए: -

(i) बैंकों की भूमिका:

• राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जिसका पद सहायक महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।

• जागरूकता फैलाएं तथा डिजी-हट, एटीएम और शाखाओं में लगे बैनरों/पोस्टरों के माध्यम से डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उचित प्रचार करें।

• जहां डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है, यथासंभव, बैंककर्मी डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करें। यह तकनीक उपयोगी है क्योंकि इससे कागजी कार्रवाई करने की जरुरत नहीं रहती और भौतिक जीवन प्रमाण को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती।

• इसी तरह, जब पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए शाखा में जाते हैं, तो शाखाओं में समर्पित कर्मचारी के पास इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए एंड्रॉइड फोन होना चाहिए।

• बैंक शाखाओं द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगी बिना विलंब किए अपने डीएलसी जमा कर सकें।

• तथापि, जहां डीएलसी किसी भी कारण से कार्य नहीं करता है, किसी भी पेंशनभोगी को वापस नहीं भेजें और पारंपरिक तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करें।

(ii) मंत्रालयों/विभागों की भूमिका:

• सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो उप सचिव/निदेशक के पद से नीचे का न हो।

• अभियान के पूरे मास के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नामित व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन प्रदान करके डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मंत्रालय/विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ संगठनों में पहुंचने वाले सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

• बैनरों/सोशल मीडिया/व्हाट्सएप ग्रुपों/एसएमएस संदेशों/स्टाफ संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

• ऐसे अभियानों के ट्वीट पोस्ट करने के लिए तस्वीरें खींची जाएं।

• शय्याग्रस्त पेंशनभोगियों के अनुरोध के मामले में, किसी अधिकारी को डीएलसी प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

• अभियान के बारे में सूचना देने वाले साप्ताहिक पीआईबी नोट प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भूमिका:

• सभी सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों/अस्पतालों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक/बायोमेट्रिक का प्रयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपने परिसरों में शिविरों का आयोजन करने के लिए निदेश दिया जाए।

• शिविर में आने वाले पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन दिया जाए।

• प्रक्रिया के दौरान खींची गई तस्वीरों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को अग्रेषित करें।

(iv) पेंशनभोगी संघों की भूमिका:

• डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे मास विशेष डीएलसी शिविरों का आयोजन किया जाए।

• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशनभोगी संघों के सहयोग से 37 केंद्रों का दौरा करेंगे जहां बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करके उनके डीएलसी जारी करने की प्रसुविधा दी जाएगी।

• तस्वीरें खींची जाए और ट्विटर पर पोस्ट की जाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भी प्रेषित की जाएं।

(v) आईपीपीबी की भूमिका:

• वरिष्ठ स्तर के नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
• पेंशनभोगियों को उनके घर से डीएलसी प्रसुविधा देने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपनी पूर्व व्यवस्था के अनुसार, डाकघरों के गम्य स्थानों के अपने नेटवर्क तथा डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों का प्रयोग करे।
• तस्वीरें खींची जाए और ट्विटर पर पोस्ट की जाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भी प्रेषित की जाएं।

संलग्नक: यथोक्त।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23310108

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के सीएमडी/सीपीपीसी।
3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), वित मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
4. एनआईसी:- इस विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
5. पेंशनर्स पोर्टल के तहत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों में व्यापक प्रचार के लिए।

सं. 1(3)/2022-P&PW(H)-8371
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Nation-wide Campaign for Submission of Digital Life Certificate – reg.

The undersigned is directed to say that submission of Life Certificate is an important activity to be carried out by pensioners every year in the month of November (with special provision for pensioners aged 80 years and above to submit their Life Certificates in the month of October) to ensure continuity of their pension.

2. In the traditional mode, pensioners had to present themselves before the Pension Disbursing Authority for physical submission of their Life Certificate which entailed waiting at the bank branches in queues for this purpose. This was found inconvenient for the old, ailing and infirm pensioners. Further, there was no mechanism for the pensioners to get a status regarding updation of their Life Certificates in the records of the Pension Disbursing Authority.

3. To enhance 'Ease of Living' of Central Government pensioners, this Department has been promoting Digital Life Certificate (DLC) i.e. Jeevan Pramaan extensively. Initially, submission of DLCs using biometrics was commenced. However, issues regarding authentication processes of DLCs were faced by older pensioners due to non-capturing of finger bio-metrics on account of aging.

4. This Department therefore engaged with MeitY to develop a face-recognition technology system based on UIDAI Aadhaar database whereby it is possible to submit Life Certificate from any Android based smart phone. As per this facility, the identity of a person is established through face recognition technique. The UIDAI server identifies the same and DLC gets generated. This breakthrough technology launched in November 2021 has reduced the dependence of pensioners on external bio-metric devices and has made the process more accessible and affordable to masses by leveraging smartphone-based technology.

The SOP regarding the DLC/Face Authentication technique is attached for *reference.*

5. With a view to spread awareness amongst all the Central Government pensioners as well as the Pension Disbursing Authorities for use of DLC/Face Authentication Technology to submit Digital Life Certificate, DoPPW is launching nation-wide campaign for whole month of November 2022 for their 'Ease of Living.'

6. The Nation-wide Campaign for DLC may be carried out as per guidelines mentioned below to reach out to the maximum number of pensioners to avail the service as a request to the following stake-holders:-

(i) Role of Banks:

- A nodal officer, not below the rank of Assistant General Manager, may be nominated for the Nation-wide DLC Campaign.
- Spread awareness, give due publicity to DLC/Face Authentication technique through banners/posters placed in digi-huts, ATMs and branches.
- Where Doorstep banking services are availed, the Bank Correspondent should use DLC/Face Authentication technique as far as possible. This technique is beneficial since it avoids paper work and does away with the need to verify physical LCs.
- Similarly, dedicated staff at branches should be equipped with an Android phone to use this technology when pensioners visit the branch for submission of Life Certificate.
- Camps should be held by bank branches to enable pensioners to submit their DLCs without delay.
- **However, where DLC does not work due to any reason no Pensioner shall be returned and traditional manual LC can be submitted**.

(ii) Role of Ministries/Departments:

- A nodal officer, not below the rank of DS/Dir, may be nominated by all Ministries/Departments.

- Provision should be made for generating Digital Life Certificates using DLC/Face Authentication technique by providing an Android phone to the designated person at every field office for the entire month of the campaign. DLC should be issued for all Central Government pensioners visiting the Ministry/Department, field offices, and subordinate organizations.
- Wide publicity should be given to this campaign by spreading awareness through banners/social media/whatsapp groups/SMS Messages/through staff unions.
- Photographs to be taken for posting of tweets of such campaigns.
- In case of request from bed ridden pensioners, an officer shall be deputed for DLC submission.
- Weekly PIB notes giving information about the campaign should be published.

(iii) Role of Ministry of Health& Family Welfare:

- All CGHS Wellness centers/Dispensaries/Hospitals may be directed to set up camps in their premises for submission of Digital Life Certificates using DLC/Face Authentication technique/biometric.
- A dedicated person should be equipped with an Android phone for issue of Digital Life Certificate of the pensioners visiting the camp.
- Pictures taken during the process are to be forwarded to DoPPW.

(iv) Role of Pensioners' Associations:

- Special DLC camps should be organized through the month using DLC/Face Authentication technique
- DoPPW officials, in collaboration with Pensioners' Associations, will visit 37 centers where a large number of pensioners can be facilitated in issuance of their DLCs using DLC/Face Authentication technology.
- Pictures areto be taken and posted on twitter and also sent to DoPPW.

(v) **Role of IPPB:**

- A nodal officer may be nominated at a senior level.
- India Post Payments Bank (IPPB) to utilize its network of access points in Post Offices and Postmen & Gramin Dak Sevaks to provide doorstep DLC facility to pensioners as per their earlier arrangement.
- Pictures are to be taken and posted on twitter and also sent to DoPPW.

Encl: As Above.

अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

1. All Ministries/Departments to Government of India.
2. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
3. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
4. NIC: -for posting on website of this Department.
5. All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

One of the best practices in digital innovation launched by Department of Pension & Pensioners' Welfare.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

DOPPW in collaboration with UIDAI & MIETY has launched Face Authentication technology for submission of Digital Life Certificate for enhancing "Ease of Living" of 70 lakhs Central Govt. Pensioners'.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

DLC through Face Authentication Technology is based on Aadhaar using Android based smartphone.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

Process of submitting Life Certificate through "FACE AUTHENTICATION"

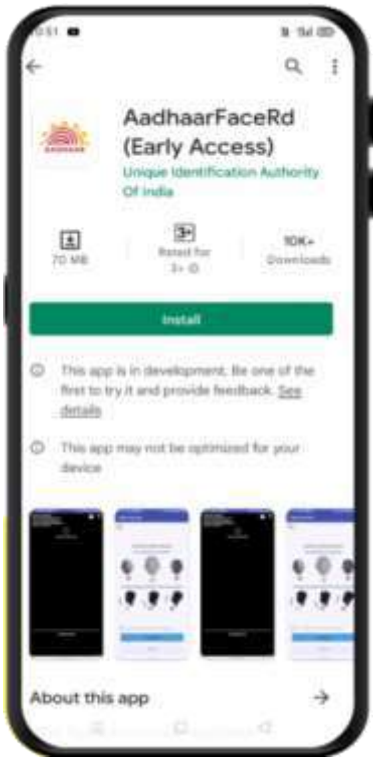

STEP-1

In this step, the pensioner/family pensioner needs to go to the Google Play Store and search for "Aadhaar Face RD (Early Access) Application" by UIDAI (Unique Identification Authority of India) with latest Version (presently 0.7.43).

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-2

After successfully installing the Aadhaar Face RD App on the device, it will appear in the Settings under App Manager or App Info. This application is used for the background process of the Jeevan Pramaan Application, so it is mandatory to install it.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-3

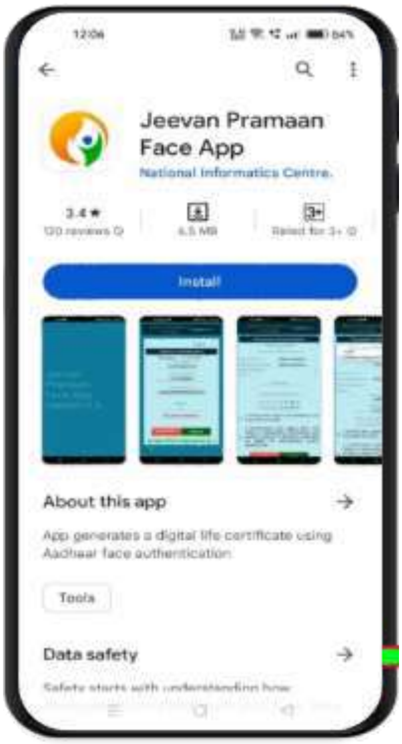

Once the Aadhaar Face RD App is installed on your smartphone/Android device, the pensioner/family pensioner needs to download another application called "Jeevan Pramaan" from the Google Play Store with Version 3.6.3.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-4

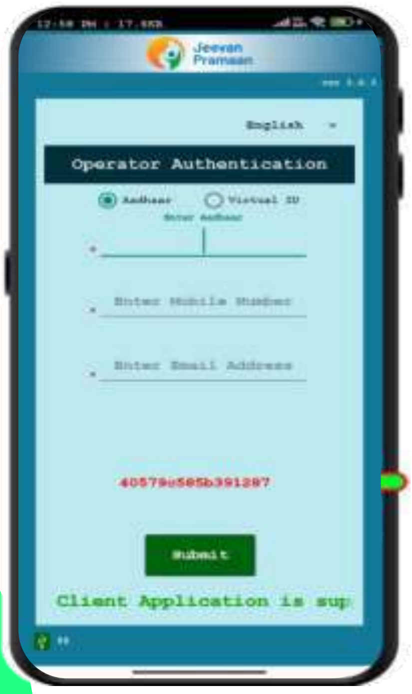

After successfully installing both applications, the pensioner/family pensioner should open the "Jeevan Pramaan" application. They will be taken to the "Operator Authentication" screen where they have to provide their personal details as follows:

1. Click on the Aadhaar checkbox.
2. Enter the Aadhaar Number.
3. Enter the Mobile Number.
4. Enter the Email Address.
5. Click on the Submit Button.

*Please ensure that all the information provided by pensioners/family pensioners/members of family pensioners is correct as per the records.

*All the sections marked with an asterisk (*) are mandatory to fill.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-5

After providing all the information, the pensioner/ family pensioner needs to submit the OTP (One Time Password) sent to their respective mobile number and email address.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-6

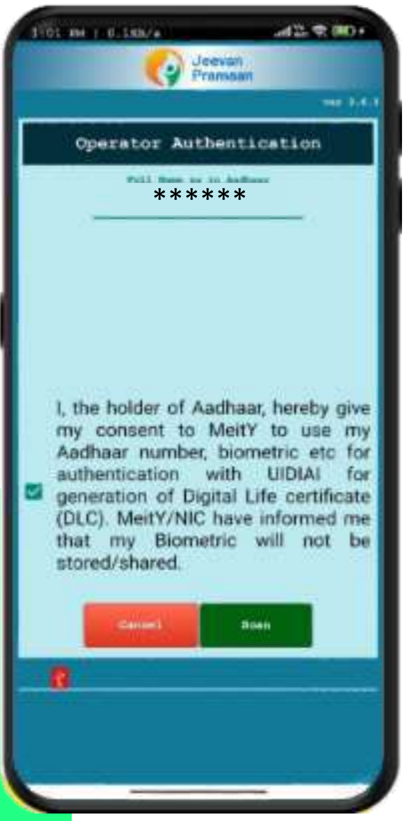

After submitting the OTP, the Jeevan Pramaan App will take the pensioner/family pensioner to a screen where they have to provide their "Name" as per the records. They should click on the checkbox and then click on Scan. The app will request permission for Face Scan, and the pensioner/family pensioner should press "Yes" to continue the process.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

STEP-7

Before the scan, the app will display instructions and guidelines for the face scan. The pensioner/family pensioner should read them carefully. Afterward, they need to click on the "I am aware of this" checkbox to continue and press proceed. The app will capture their face.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-8

Note:-

1. The operator authentication is a one time process.
2. Pensioner can also be the Operator.
3. After operator authentication, a screen will open for pensioner authentication.
4. One operator can generate multiples DLCs of Pensioners.

STEP-9

After successfully completing the face scan, the pensioner/family pensioner will be taken to the "Pensioner Authentication" screen. They or any family member will need to fill in the correct information as per the records. After filling in all the necessary details, they should click on the submit button, and it will generate the "DIGITAL LIFE CERTIFICATE."

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

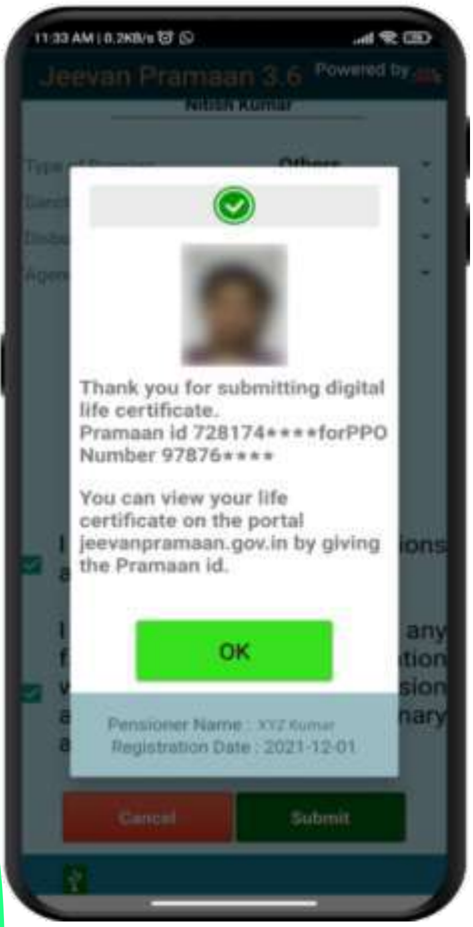

After face scanning DLC submission appears on the mobile screen along with the Pramaan ID and PPO no.

*For queries mail us at dlc.doppw@gov.in
*Follow us Facebook and Twitter

@facebook.com/DoPPW.India

@twitter.com/DOPPW_India

*DLC documentary- https://youtu.be/nNMlkTYqTF8

सं. 3/13/2022-पी&पीडबल्यू(एफ़) (8353)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 02.11.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अनुदेश से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबत सामान्य भविष्य निधि की अंशदान की राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी। सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के अंतर्गत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित, आकार नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उपखंड(i) में संदर्भित सीमा(वर्तमान में पांच लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी [वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.604(ड) द्वारा यथाअंतस्थापित)] ।

2. इसके अतिरिक्त, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के उपरोक्त संशोधित उपबंधों की सख्ती से कार्यान्वयन हेतु इस विभाग के दिनांक 11.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा निर्देश जारी किए गए।

3. इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सलाह मांगी गई है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जीपीएफ अंशदान को कैसे विनियमित किया जाए, जिन मामलों में चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) में जीपीएफ का कुल अंशदान पहले ही पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक हो गया है या सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के

जारी....

अधीन निर्धारित परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम अंशदान के साथ इस सीमा से अधिक होने की संभावना है।

4. अधिकतम वार्षिक जीपीएफ अंशदान को सीमित करने वाली संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.06.2022 को जारी की गई थी। यदि उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद उचित कदम उठाए गए होते तो चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक कुल अंशदान पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तथापि, मंत्रालयों/विभागों के समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनका चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) के दौरान जीपीएफ अंशदान पहले ही 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो गया है, चालू वित्तीय वर्ष में उनके वेतन से जीपीएफ अंशदान की कोई और कटौती नहीं की जाए। ऐसे मामलों में, परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के उपबंध को शिथिल माना जाए।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनका जीपीएफ अंशदान चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) के दौरान अभी तक 5 लाख रुपये की सीमा तक नहीं पहुंचा है/उससे अधिक नहीं हुआ है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ अंशदान के लिए अतिरिक्त कटौती को इस तरह से किया जाए कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल अंशदान 5 लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे मामलों में जहां परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के साथ कुल अंशदान 5 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है, चालू वित्तीय वर्ष में कुल अंशदान के 5 लाख रुपये तक पहुंचते ही वेतन से जीपीएफ अंशदान की कटौती बंद कर दी जाए। ऐसे मामलों में भी, परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के उपबंध को शिथिल माना जाए।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

F. No. 3/13/2022-P&PW(F) (8353)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
dated: 02.11.2022

Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (Central Services) in a financial year- instructions regarding.

The undersigned is directed to say that in accordance with the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

2. Further, instructions have been issued vide this Department's OM No 3/6/2021-P&PW (F) dated 11.10.2022 for strict implementation of the above amended provisions of the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

3. References have been received in this Department seeking advice as to how the GPF subscription is to be regulated in the case of those Government servants in which cases the total subscription of GPF in the current financial year (i.e 2022-23) has already exceeded the limit of Rupees Five Lakh or is likely to exceed this limit even with the minimum subscription of 6% of emoluments prescribed under General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

4. The amendment Notification limiting the maximum annual GPF subscription was issued on 15.06.2022. A situation of annual total subscription exceeding the limit of Rupees Five Lakh in the current financial year would not have arisen if appropriate steps were taken immediately after the issue of the above amendment notification. However, keeping in view the difficulties being faced by the Ministries/Departments, the matter has been examined and the following further instructions are issued in this regard:

(a) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has already exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakhs, no further deduction of GPF subscription may be made from their salary in the current financial year. In those cases, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

(b) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has not yet reached/exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakh, further deductions towards GPF subscriptions during the current financial year may be phased out in such a manner that the total subscription during the current financial year does not exceed Rs. 5 lakh. In cases where the total contribution is likely to exceed Rs. 5 lakh even with minimum monthly subscription of 6% of the emoluments, deduction of GPF subscription from the salary may be stopped as soon as the total contribution in the current financial year reaches Rs. 5 lakh. In such cases also, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

5. All Ministries/Departments are requested to bring the above instructions to the notice of the all concerned for strict compliance.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to the Govt of India

All Ministries/Departments/Organisations
(as per standard list)

सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 03 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ई.सी.बी. एंड पी.आर. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को लागू करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा(सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों पर नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारी, अनिवार्य रूप से उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और अन्य संबंधित नियमों को भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और उक्त संशोधनों के बाद, ये नियम दिनांक 31.12.2003 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

2. तत्पश्चात्, विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग तथा विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श करके, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के का.ज्ञा. सं.57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा निर्देश जारी किए जिनके द्वारा ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया। दिनांक 17.02.2020 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए नियत समय-सारणी थी।

3. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना से पूर्व, भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष हुई थी, जिनमें विभिन्न ऐसे माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जिनके द्वारा आवेदकों को ऐसे लाभों की अनुज्ञा दी गई थी।

पृष्ठ 1/3

4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में वित्तीय सेवाएं विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व**, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए **एक बार का विकल्प** दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक **31.08.2023 तक कर सकते हैं।**

5. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परंतु निर्धारित तारीख तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।

7 सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर करने से संबंधित मामले को, इन निर्देशों के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में **आवश्यक आदेश अधिकतम 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा।** फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का एनपीएस खाता दिनांक **31 दिसंबर, 2023** से बंद कर दिया जाएगा।

8. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ़) की सदस्यता लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कॉर्पस के लेखाकरण के संबंध में, लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) ने दिनांक 14.11.2019 के पत्र सं 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 तथा दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया हैं:

i. **खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:** रकम को व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) खाते में जमा किया जाए और आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए, खाते का पुनःनिर्धारण किया जाए (प्राधिकार एफ़.आर.-16 और सामान्य भविष्य निधि(जी.पी.एफ़.) नियमावली का नियम 11)।

पृष्ठ 2/3

एस. एन. मा...

ii. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन :** वस्तु शीर्ष 70 - मुख्य शीर्ष 2071 के तहत कटौती वसूली - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - लघुशीर्ष 911- अधिक भुगतान की कटौती वसूली में (-) डेबिट के रूप में लेखे हेतु लिया जाए (जी.ए.आर. 35 तथा लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची का पैरा 3.10)

iii. **निवेशों के अधिमूल्यन के कारण अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन :** मुख्य शीर्ष 0071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए अंशदान 800 - अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रकम को सरकारी खाते में जमा करके लेखाबद्ध किया जाएगा (एल.एम.एम.एच.ए. में उपर्युक्त शीर्ष के तहत टिप्पणी)।

9. <u>सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों का अनिवार्य रूप से व्यापक प्रचार करें।</u> ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, के मामलों का, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों के अनुसार निपटान किया जाए।

10. इसे वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05.12.2022 और 07.02.2023 के आई.डी. नोट सं.1(7) EV/2019 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 के परामर्श से जारी किया जाता है।

11. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन, यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

एस. एन. माथुर

(संजीव नारायण माथुर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एन.आई.सी. को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

पृष्ठ 3/3

No. 57/05/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 03rd March, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, **prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003** and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a **one-time option** to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants **latest by 31.08.2023**.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, **necessary order in this regard shall be issued latest by 31st October, 2023.** The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. **31st December, 2023.**

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding accountal of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts**: Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 &Rule 11 of GPF Rules).
ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts**: To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).

iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** – May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800-Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).

9. ***All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail***. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.

03.03.2023
(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.

सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

8वां तल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - दिनांक 01.01.2023 से संशोधित दर लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, दिनांक 01.01.2023 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-।। द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं. 23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. 45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे। जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, न्याय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश, जारी किए जाएंगे।

6. प्रत्येक पृथक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों का होगा।

7. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए. II/34 - 80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 03.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2023-ई.II (बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(ज्ञानेंद्र कुमार दत्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/04/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhavan,
Janpath, New Delhi - 110001
Date:- 06th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2023.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/07/2022-P&PW(D) dated 08.10.2022 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **38% to 42%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01.01.2023**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

Contd.....

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2023-E.II(B) dated 03.04.2023.

Hindi version will follow.

(Rajendra Kumar Dutta)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

फा. सं.38/41/19-पी&पीडब्ल्यू(ए) [6018]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.04.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 में दिनांक 07.10.2022 की अधिसूचना सं. जीएसआर 770(अ) द्वारा संशोधन किया गया है।

2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (जिसे निरस्त कर दिया गया है) के नियम 9 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास, सभी मामलों में, किसी पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने की शक्ति थी, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है।

3. संशोधित नियम 8, जिसे दिनांक 07.10.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया, के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी केवल उस पेंशनभोगी की बाबत पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए अपेक्षित होगी जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है और, अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगा, यदि पेंशनभोगी अपने सेवाकाल में किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है। इसी प्रकार, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी के मामले में पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना भी अपेक्षित नहीं होगा।

4. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं, किंतु केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तत्कालीन नियम 8 [या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9] के अनुसार, कतिपय परिस्थितियों में, राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त किए गए थे, जैसे:

(क) विभागीय कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के लिए, ऐसे मामलों में, जहां विभागीय कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति से पूर्व संस्थित की गई थीं और नियम 8 के अधीन की गई कार्यवाहियां समझी गई, या

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए मंजूरी जारी करने और उस प्राधिकारी की बाबत निर्देश देने के लिए जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है, ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई, आदि।

5. किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी के लिए विभागीय कार्यवाहियों में अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा, यदि कार्यवाहियों के दौरान किसी भी स्तर पर किन्हीं आदेशों के लिए मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो। अतः, ऐसे मामलों में, पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया जाना अपेक्षित है और ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

6. तथापि, ऐसे मामलों में जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई थी और कार्यवाहियों को नियम 8 [या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9] के अधीन की गई कार्यवाही समझा गया, किंतु पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय के लिए, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए रिपोर्ट तब तक राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की गई हो, तो ऐसे मामलों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा और तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं होगा। ऐसे मामलों में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के संशोधित नियम 8 के अनुसार, यथास्थिति, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव अथवा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अंतिम निर्णय दे सकेगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें इन मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी. सेठी)
भारत सरकार के उप सचिव
फ़ोन: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/41/19-P&PW(A) [6018]
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.04.2023

Office Memorandum

Subject: Amendment of Rule 8 of CCS (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 has been amended vide Notification No. GSR 770(E) dated 07.10.2022.

2. As per earlier Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 as well as rule 9 of the CCS (Pension) Rules, 1972 (since repealed), the President had the power, in all cases, to withhold/withdraw a pension/gratuity, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner was found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement.

2. As per the amended Rule 8 as amended vide Notification dated 07.10.2022, approval of President shall be required only for ordering withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from a post for which President is the appointing authority and, in other cases, Secretary of the Administrative Ministry or Department shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity, if the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service in any departmental or judicial proceedings. Similarly, the Comptroller and Auditor-General of India shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, for which an authority subordinate to the President is the appointing authority. Consultation with UPSC will also not be necessary in cases where the President is not the appointing authority

3. There may be cases where President is not the appointing authority but, in accordance with the then existing Rule 8 of CCS(Pension) Rules, 2021 [or Rule 9 of CCS(Pension) Rules, 1972], orders of President were obtained in certain circumstances, such as:

(a) for withholding/withdrawal of pension/gratuity after conclusion of the departmental proceedings, in cases where departmental proceedings were instituted before retirement and were deemed to be proceedings under Rule 8, or

(b) for issue of sanction for institution of departmental proceedings after retirement and for direction in regard to the authority by which the departmental proceedings are to be conducted, in cases where departmental proceedings were instituted after retirement, etc.

4. It may not be appropriate for any subordinate authority to take a final decision in the departmental proceedings, if the case has been submitted to the President at any stage for any orders during the proceedings. Therefore, in such cases, final decision on the question of withholding/withdrawal of pension/gratuity is required to be taken with the approval of President and consultation with the UPSC would also be necessary in such cases.

5. However, in cases where the departmental proceedings were instituted before retirement of a Government servant by a subordinate authority and the proceedings were deemed to be proceedings under Rule 8 [or Rule 9 of CCS(Pension) Rules, 1972], but the report recording its findings has not been submitted by the subordinate authority to the President so far for final decision on the question of withholding/withdrawal of pension/gratuity, such cases shall not be required to be submitted to President and, accordingly, consultation with UPSC will also not be necessary. Final decision in such cases may be taken by the Secretary of the Administrative Ministry or Department or CAG, as the case may be, in accordance with the amended Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021.

5. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the issue for strict implementation.

(R.C. Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 22.12.2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात 22.12.2003 से पूर्व भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पद या रिक्ति के सापेक्ष हुई थी, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर करने के लिए एकबार का विकल्प प्रदान किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प के प्रयोग, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि इस विभाग को मासिक आधार पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

माह के लिए रिपोर्ट	
मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम	
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन समावेशन करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या	
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अधीन सम्मिलित किए गए कर्मचारियों की संख्या (आज की तारीख तक)	
निर्णय करने के लिए लंबित आवेदनों की संख्या	
केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन अब तक कवर किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा	

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

संयुक्त सचिव(प्रशासन)
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(ईमेल के माध्यम से)

No. 57/05/2021-P&PW(B)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare's O.M of even No. dated 03.03.2023 providing one-time option to Government servants for coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in place of National Pension System who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003.

2. The said Office Memorandum provides for cut off dates for various activities involved in the process of exercising of option, deciding representations by appointing authorities and closure of NPS accounts of the concerned Government servants.

3. In view of the above, it is requested to furnish following information to this Department on monthly basis, as under:

Report for the Month of	
Name of Ministry/ Department/ Organization	
Number of employees exercised option for inclusion under CCS(Pension) Rules, 1972 in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023	
Number of employees who have been included under CCS(Pension) Rules in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023 (as on date)	
Number of applications pending for decision	
Details of employees covered under CCS(Pension) Rules, 1972 so far	

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

Joint Secretary (Administration),
All Central Govt. Ministries / Departments.
(through email)

सं. 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)/7138

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1(24)/ईवी/2016 के संदर्भ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के समसंख्यक अ.शा. पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में नियमित रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

2. उपरोक्त का.ज्ञा. में यह भी निदेशित किया गया है कि प्रत्येक छमाही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक स्थिति रिपोर्ट भेजी जाए, जिसमें उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी इस टिप्पणी के साथ दी जाए, कि क्या एनपीएस अंशदान समय पर जमा किए जा रहे हैं और किसी भी चूक के मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे दिए जाएं।

3. तदनुसार, व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने मंत्रालय/विभाग में उपरोक्त एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थिति और अब तक की गई निगरानी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा. पत्र के साथ संलग्न विहित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

4. तथापि, इस बाबत बहुत कम मंत्रालयों/विभागों से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसे मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होंनें दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, संलग्न है।

5. अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उपरोक्त रिपोर्ट **संशोधित प्रारूप**(संलग्न) में इस विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए और भविष्य में भी नियमित रूप से भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

सचिव,
केंद्रीय सरकार मंत्रालय/विभाग
मेल द्वारा

सं – 57/02/2021-P&PW(B) /7138
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject:- Setting up of NPS oversight mechanism in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019- reg.

Undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare D.O. letter of even number dated 07.06.2021 (copy enclosed) in reference to Department of Expenditure's OM No. 1(24)/EV/2016, dated 02.07.2019 vide which instructions have been issued for setting up of NPS oversight mechanism in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under the National Pension System.

2. It has also been directed in the aforesaid OM that a status report may be sent to the Department of Pension and Pensioners' Welfare every six months intimating the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

3. Accordingly, it was requested all Ministries / Departments were to furnish status of the aforesaid NPS oversight mechanism in their Ministry/Department and the monitoring done so far, in a prescribed format attached with D.O. letter dated 07.06.2021 to Department of Pension and Pensioners' Welfare in accordance with the instructions issued by Department of Expenditure.

4. However, status reports have been received from a very few Ministries / Departments in this regard. A list of Ministries / Departments who have submitted six monthly report for the period ending 31.03.2023 is also attached

5. It is therefore, requested that the aforesaid report may be sent to this Department in the **revised format** (Enclosed) at the earliest and also regularly in future in order to safeguard the interest of Central Government employees covered under National Pension System.

Encl. as above.

Pramod Kaushik.
(Dr. Pramod Kumar)
Director

Secretary,
Central Government Ministries / Departments.
Through email

Annexure

List of Ministries/ Departments submitted Six monthly status report for the period ending on 31.03.2023

1. Ministry of Steel,
2. Ministry of Home Affairs,
3. Department of Personnel and Training,
4. Department of Biotechnology,
5. Ministry of Information and Broadcasting,
6. Ministry of Power,
7. Ministry of Tribal Affairs,
8. Ministry of Labour and Employment
9. Ministry of Development of North Eastern Region
10. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
11. Ministry of Earth Sciences
12. Department of Space,
13. Ministry of External Affairs

इन्दीवर पान्डेय, आई. ए. एस.
सचिव
Indevar Pandey, IAS
Secretary
Tel.: 011-23742133
Fax 011-23742546
Email : secy-arpg@nic.in

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS,
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE
LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET
NEW DELHI-110003

No. 57/02/2021-P&PW(B) 07-06-2021

Dear Colleagues,

Please refer to the Department of Expenditure's OM No. 1(24)/EV/ 2016, dated 02.07.2019, (copy enclosed) vide which instructions have been issued for setting up of National Pension Scheme (NPS) oversight mechanism chaired by Financial Advisor in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under the National Pension System. The above instructions have been issued in implementation of a committee constituted for suggesting measures for streamlining implementation of NPS.

2. It has also been directed in the aforesaid OM that a status report may be sent to the Department of Pension and Pensioners' Welfare every six months intimating the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

3. I would be grateful, if the status of the aforesaid NPS oversight mechanism in your Ministry/Department and the monitoring done so far, is furnished in enclosed format to this Department in accordance ~~with the ins~~tructions issued by Department of Expenditure.

With Regards

Yours sincerely,

7/6/2021

(Indevar Pandey)

Encl. as above

Secretaries of All Ministries/Departments

सूचना का अधिकार

No.1(24)/EV/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 2nd July, 2019

Office Memorandum

Subject: Setting up of NPS oversight mechanism.

The undersigned is directed to say that the Committee, as set-up by Department of Financial Services in terms of their OM No. 1/3/2016-PR dt. 21.10.2016 under the Chairmanship of Secretary (Pension) and comprising Secretary, Department of Financial Services and Secretary (Department of Personnel and Training), had submitted its report on 28.2.2018, containing its recommendations for streamlining implementation of the National Pension System (NPS).

2. One of the recommendations contained in para 8.7.1 of its report relating to grievance redressal is as under:-

"Three-tiered NPS oversight mechanism of the DDO/Head of Office, Joint Secretary (Admin)/Chief Controller of Accounts and the Financial Advisor set up vide Department of Expenditure's OM No.1(2)/EV/2008, dated 03.02.209 may be strengthened/streamlined to monitor grievances as well as timely registration and credit of contributions to subscribes' accounts. Fresh instructions to this effect and for strict compliance of instructions may be issued by Department of Expenditure."

3. In the OM of this Department No. 1(2)/EV/2008 dated 3.2.2009, it was provided, inter-alia, that Ministries/Departments may constitute a Committee headed by JS (Admn) and Principal CCA/CCA to monitor registration/regular upload of data and transfer of NPS contributions in respect of Central Government employees to ensure that no delay therein occurs. Subsequently, in terms of instructions of this Department vide OM No. 1(5)/EV/2011 dated 10.7.2011 the Committee was broad-based to include the concerned Financial Advisors and the said instructions dt. 10.7.011 also provided, inter-alia, that the implementation of NPS, with its various attendant parameters, in each Central Ministry/Department, shall be a "key performance area" of the Financial Advisors.

4. The Department of Pension and Pensioners' Welfare, which is the nodal Department in respect of pension related matters of Central Government employees, is separately in the process of framing statutory rules to regulate the matters of National Pension System in case of Central Government employees. These Rules would also cover the issue relating to timely credit of contributions of Central Government employees and the Central Government, as deducted from the salaries of the concerned Government employee, to NPS architecture.

5. However, since timely credit of deduction made from the salary of Central Government employees towards their contribution to NPS, as also the applicable contribution of the Central Government, to the NPS financial architecture is of paramount importance for availability of due and timely returns thereon towards generation of pension corpus, it has been decided that a Committee in each Ministry/Department shall be constituted as under to ensure oversight over the NPS contributions crediting:-

(i) Financial Advisor - Head of the Committee
(ii) Joint Secretary (Administration)
(iii) Principal CCA/CCA
(iv) The concerned Head of the office
(v) The concerned DDO

6. The Committee shall be responsible for the following actions:-

(i) Ensuring that the contribution of employees and the Government are credited without delay to the NPS financial architecture both in case of existing employees and employees newly recruited from time to time and the existing system and procedure being followed for the purpose shall be monitored effectively to ensure that no delay in credit of the contributions takes place.

(ii) Ensuring that in case any grievance by any employee is received in regard to delay in credit of contribution, either directly from the employee or through PFRDA, the same has been looked into and disposed of in a manner to the satisfaction of the concerned employee.

(iii) Any other matter as having a bearing on the issue of crediting/remittance of NPS contributions.

(iv) The Committee shall devise its own mechanism as also appropriate checks & balances to ensure that NPS contributions are credited on time in respect of all employees under NPS system.

(v) The Committee shall meet at least once in 3 months to review the progress and in case any slippages are noticed, it shall take immediate corrective action. However, the concerned Principal CCA/ CCA shall keep a watch over the progress on a regular basis.

7. While the above Committee shall be set-up in each Ministry/Department, appropriate mechanism for keeping a watch in respect of attached and subordinate offices under that Ministry/Department shall be put in place by the concerned Financial Advisor, so that the overall oversight in respect of the entire Ministry/Department as a whole is exercised by the Committee as mentioned in para 5 above.

8. The concerned Financial Advisor shall send a status report every six month to the Department of Pension and Pensioners' Welfare about the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

(i) All Ministries/Departments of the Government of India (As per Standard List)
(ii) All Secretaries to the Government of India
(iii) All Financial Advisors
(iv) Controller General of Defence Accounts
(v) Financial Commissioner in case of Railway Accounts
(vi) Secretary, Department of Posts, and Secretary, Department of Telecommunications. in case of P&T Accounts
(vii) Controller General of Accounts

Government of India
Ministry / Department of ....

National Pension System Oversight Mechanism
Six monthly Report

For the period i) 1st April .... to 30th September ....

ii) 1st October .... to 31st March..................

1. Details of meetings conducted during the six monthly period:

Number of meetings conducted	Dates of meetings. (Minutes to be attached)

2. Status of Registration, PRAN generation and First contribution:

Sl. No.	Months	No. of employees joined during the month	No. of employees whose PRAN generated within time (20 days)	No. of employees whose PRAN not yet generated	No. of employees whose first contribution started within time	Reasons for delay, if any.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Total						

3. Details of remittance of monthly contribution:

Sl. No	Month	Total No. of employees under NPS during the month	No. of employees whose contribution remitted to CRA/ Bank at the end of month	No. of employees whose contribution was not remitted on time	No of Mis-matched SCFs	Reasons for delay, if any
1						
2						
3						
4						
5						
6						

4. Status of Processing of Withdrawal request on exit from NPS:

Months	No. of employees retired during the month	No. of employees whose withdrawal process started within prescribed time	No. of employees who received lump sum benefits	No. of employees whose Annuity started	No of employees whose withdrawal case is pending after retirement	Reasons for delay, if any.

5. Status of Grievance redressal of employees covered under NPS:

No. of grievances pending from last six monthly period	No. of grievances received during six monthly period	No. of grievances disposed during this period	No. of grievances pending for less than 1 month	No. of grievances pending for 1 to 3 months	No. of grievances pending of more than 3 months

6. Status of other PRAN related issues:

Total No. of employees covered under NPS in the Department	No. of employees whose PRAN has been generated	No. of PRAN which are not IRA compliant	No. of employees whose nomination available for NPS benefits	No. of employees whose contact details viz mobile no. and email are updated in PRAN

7. Remarks, if any.

सं.42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 06 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2023 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 31.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत दिनांक **01.01.2023** से निम्नलिखित रीति से बढ़ाई जाएगी :-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, और दिनांक 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा समूह क, ख, ग तथा घ के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000रू, 1000रू, 750रू और 650रू के हक़दार हैं, अब **01.01.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **396%** से मूल अनुग्रह राशि के **412%** संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) सीपीएफ लाभार्थी के निम्नलिखित श्रेणी **01.01.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **388%** से मूल अनुग्रह राशि के **404%** से संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी या 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित संतानें, 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से 645/- रूपये प्रतिमास की दर पर संशोधित अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं।

जारी/......

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ सहित सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें 654/- रूपये, 659/- रूपये, 703/- रूपये और 965/- रूपये की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में जहां रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. प्रत्येक वैयक्तिक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा का परिकलन करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों का होगा।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12 जून, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/3(2)/2008-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

डी.पी. सिंह

(डी.पी. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि(मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
5. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/04/2023-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated:- 06th July, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2023 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM 42/07/2022-P&PW(D) dated 31.10.2022 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.01.2023** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **396%** of the basic ex-gratia to **412%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2023.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **388%** of the basic ex-gratia to **404%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2023**:-

(a) The widows and eligible dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

Contd/....

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 12th June, 2023.

6. Hindi version will follow.

dsingh.

(D.P. Singh)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं. 1(2)/2023-पी&पीडबल्यू(एच)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
9 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 2.0, 1-30 नवंबर, 2023 के लिए व्यापक दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर माह में अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के विशेष प्रावधान के साथ)।

2. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' को सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने यूआईडीएआई और मेटी(MeitY) के साथ मिलकर यूआईडीएआई आधार डेटाबेस पर आधारित एक फेस-ऑथेंटिकेशन तकनीक प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव है। यह जीवन प्रमाण ऐप पर बायो-मेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके, वीडियो-केवाईसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऐप का उपयोग करके ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा डोर-स्टेप सेवा के अतिरिक्त जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की नई प्रसुविधा है।

3. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर, 2022 माह में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशनभोगी संघों, यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) के सहयोग से 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के परिणामस्वरूप पूरे भारत में केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशनभोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र का उपयोग किया।

4. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अब 1 से 30 नवंबर, 2023 तक भारत के 100 ऐसे शहरों में एक राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 आयोजित करेगा, जहां केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अधिक है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में लक्षित 50 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक और डीएलसी मोड के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना है। **फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जारी करने की तकनीक से संबंधित एसओपी संदर्भ के लिए संलग्न है।**

5. इस अभियान को संचालित करने के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निम्नलिखित हितधारकों का समर्थन प्राप्त होगा:

- सभी पेंशन संवितरण बैंक
- सभी पेंशनभोगी संघ
- रक्षा, डाक & रेल मंत्रालय (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- पीआईबी & दूरदर्शन(मीडिया के लिए)
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY)(तकनीकी मदद के लिए)

6. **<u>राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की विशेषताएं</u>**:

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान का एक समान अखिल-भारतीय बैनर होगा जिसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से साझा किया जाएगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग प्रत्येक राज्य के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा; ये नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त विभिन्न हितधारकों के अभियान नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे।
- 100 शहरों का चयन कर लिया गया है और हितधारकों के परामर्श से प्रत्येक शहर में कई स्थलों को चुना जाएगा।
- बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा अभियान के लिए चुने गए प्रत्येक शहर में अभिज्ञात कई स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक बैंक, हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा जो अभियान के लिए प्रत्येक शहर के लिए बैंक के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केवल राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
- रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए तकनीकी सहायता के लिए नोडल अधिकारियों को भी नामित करेंगे।
- पीआईबी और दूरदर्शन प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।
- सितंबर, 2023 से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बैंकों और पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा।
- किसी राज्य विशेष में अभियान से जुड़े बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा नवंबर के निर्दिष्ट दिनों पर शिविर आयोजित किए जाएंगें। इसके अलावा सभी बैंक शाखाओं द्वारा बैंकों में पहुंचने वाले पेंशनभोगियों के लिए अन्य दिनों में भी शिविर लगाए जाएंगे।
- अभियान की प्रगति पर रिअल-टाइम इनपुट देने के लिए अपने सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए मेटी(MeitY) को सम्मिलित किया जाएगा।
- अभियान के दौरान सूचना की रिअल-टाइम शेयरिंग के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सभी नोडल अधिकारियों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाएगा।

7. यूआरएल https://ipension.nic.in/dlcportal/ के साथ एक पृथक **डीएलसी पोर्टल** बनाया गया है जिसमें राज्य और शहर स्तर पर नोडल अधिकारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। अभियान से संबंधित सभी इनपुट जैसे ट्वीट्स के यूआरएल और पीआईबी नोट्स/प्रेस विज्ञप्तियों को इस पोर्टल पर डाला जाएगा। डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैनुअल संदर्भ के लिए संलग्न है।

8. **अभियान-पूर्व तैयारी चरण (1 अगस्त – 30 अगस्त, 2023)**

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सभी बैंकों, रक्षा(स्पर्श), यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी और दूरदर्शन द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ 100 अभिज्ञात शहरों के लिए सभी हितधारकों की राज्यवार बैठकें।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी पोर्टल के माध्यम से डीएलसी पर डीओपीपीडब्ल्यू/यूआईडीएआई/मेटी (MeitY) द्वारा नोडल अधिकारियों, बैंकरों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

9. **अभियान अवधि की गतिविधियां (1 नवंबर – 30 नवंबर, 2023)**

- माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री के तत्वावधान में 1 नवंबर, 2023 को राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 का शुभारंभ।
- 1-10 नवंबर, 2023 तक जब अधिकतम भीड़ होने की संभावना हो, कार्यक्रम के अनुसार 100 शहरों में डीएलसी शिविर, तत्पश्चात बैंकों/प्रतिष्ठानों में इस सुविधा को जारी रखा जाएगा।
- अभियान की निगरानी तथा निरीक्षण करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नामित अधिकारियों का विभिन्न स्थलों पर दौरा।
- पूर्व-निर्धारित प्रारूप में, जिसके बारे में पृथक रूप से सूचित किया जाएगा, डीएलसी अभियान की प्रगति के बारे में मेटी(MeitY) द्वारा केंद्रीय रूप से डेटा का दैनिक अद्यतन।
- संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शहर में प्रत्येक स्थल के लिए पीआईबी नोट और ट्वीट जारी करना। इसकी निगरानी उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 15 नवंबर 2023 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पोर्टल/सोशल मीडिया ग्रुप पर नोडल अधिकारियों द्वारा अभियान पर पीआईबी नोट्स, ट्वीट लिंक, दूरदर्शन कवरेज साझा करना।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 30 नवंबर को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।

10. राष्ट्र-व्यापी डीएलसी 100 सिटी अभियान के संदर्भ में **विभिन्न हितधारकों की भूमिका**:

➢ **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की भूमिका**

- अभियान का ब्यौरा देने वाले पत्र सभी हितधारकों को जारी करें।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन।

- पंजीकृत पेंशनभोगी संघों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी हितधारकों के साथ समन्वय बैठकें।
- नोडल अधिकारियों के विवरण अपलोड करने के लिए राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 पोर्टल का निर्माण और निगरानी।
- विभिन्न स्थलों की तस्वीरें और ट्वीट्स की संख्या पोस्ट करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक सोशल मीडिया ग्रुप का निर्माण।
- अभियान के संबंध में रिअल-टाइम अपडेट के लिए मेटी(MeitY) को एक एमआईएस प्रारूप प्रदान करना।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी विधियों में मेटी(MeitY) और यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण।
- डीएलसी अभियान के संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन, एफएम रेडियो, सोशल मीडिया, एसएमएस संदेशों, लघु फिल्मों के माध्यम से उचित समय पर जागरूकता अभियान चलाएं।

➢ **पेंशन संवितरण बैंकों की भूमिका**

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जहां बैंक को अग्रणी बैंक के रूप में अभिज्ञात किया गया हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उप-नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो एजीएम के पद से नीचे का न हो।
- अभियान आयोजित करने के लिए संबंधित शहरों में कई शाखाओं को शॉर्टलिस्ट करें।
- अपने स्थलों पर एक समान एकरूप बैनर का उपयोग करके राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और सोशल मीडिया, पेंशनभोगियों को एसएमएस तथा अन्य माध्यमों जैसे डिजीहट्स, एटीएम और प्रमुख शाखाओं पर पोस्टरों द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार करें।
- जब पेंशनभोगी डीएलसी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए शाखा में जाएं तो सभी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों (भले ही डीएलसी अभियान के चयनित शहरों/स्थलों की सूची में न हों) के पास इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एक एंड्रॉइड फोन हो।
- डीएलसी के सफल प्रस्तुतिकरण के प्रिंटआउट का स्क्रीनशॉट पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाए।
- पेंशनभोगियों को अपने मोबाइल में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए ताकि वे स्वयं इस तकनीक को सीखें।
- आयोजन के लिए नामित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ-साथ उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ समन्वय करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जमा किए गए डीएलसी प्रोसेस हो गए हैं और पेंशनभोगी को पुष्टिकरण एसएमएस भेजा गया है, दैनिक कार्य किया जाए।
- यूआईडीएआई के माध्यम से उनके सर्वर तक पहुंचने वाली डीएलसी के ऑटो-कन्संप्शन के लिए अभियान से पहले उनके सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करें।
- वीडियो केवाईसी विधि के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए उनके सॉफ़्टवेयर का निरीक्षण करें।
- महिला एवं बीमार पेंशनभोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

- चयनित शहरों में उन पेंशनभोगियों की एक अपवाद जांच-सूची तैयार करें जिन्होंने 15 नवंबर, 2023 तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा किया है और उन्हें अनुस्मारक एसएमएस भेजें।
- ऐसे पेंशनभोगियों को डोरस्टेप जीवन प्रमाणपत्र सुविधा प्रदान करने की तैयारी करें जो अधिक आयु/अशक्तता के कारण केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- फिजिकल एलसी देने के इच्छुक किसी भी पेंशनभोगी को मना नहीं किया जाए।
- विदेश में बसे और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए उनके केंद्रों पर आने वाले पेंशनभोगियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों को निर्देश दिए जाएं।
- प्रत्येक कार्यक्रम का पीआईबी नोट, ट्वीट और मीडिया कवरेज किया जाना चाहिए और डीओपीपीडब्ल्यू ट्विटर हैंडल को टैग किया जाए। 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाया जाए।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।

➢ **<u>पेंशनभोगी कल्याण संघों की भूमिका</u>**

- पेंशनभोगी कल्याण संघ ऐसे पेंशनभोगियों के लिए जो अभियान स्थलों पर जाने में असमर्थ हैं, घर/अस्पताल जाने के लिए अधिकारियों को नामित करेगा।
- अपने सभी सदस्यों के बीच अभियान के बारे में एक सक्रिय जागरूकता अभियान चलाएं और साथ ही अपने आरडब्ल्यूए (आवासीय कल्याण संघ) को अभियान और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पद्धति के बारे में अवगत कराएं।
- एक निर्बाध डीएलसी राष्ट्र-व्यापी अभियान चलाने के लिए स्थानीय बैंक/रक्षा (स्पर्श)/पीआईबी अधिकारियों के साथ समन्वय करें।
- पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र देने में पेश आने वाली किसी भी स्थानीय कठिनाई के बारे में राज्य के संबंधित डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारी को रिपोर्ट करें।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।

➢ **<u>रक्षा मंत्रालय(स्पर्श) की भूमिका</u>**

- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो निदेशक/उपसचिव/उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/कमांड के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो, जहां स्पर्श के पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और नोडल अधिकारियों के ब्यौरों को पोर्टल पर अपलोड करें।
- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस तथा सैनिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉइड फ़ोन दिया जाए।

- यदि मंत्रालय की इच्छा हो, तो अतिरिक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था भी की जाए, जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुसंगत परीक्षण), आधार अद्यतन, वरिष्ठ नागरिकों के साथ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क।
- रक्षा पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में उचित जागरूकता अभियान चलाएं।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 बैनर प्रदर्शित किया जाए।
- अभियान के लिए स्पर्श केंद्रों को तैयार करें और स्पर्श में डीएलसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लागू करें।
- जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को चयनित शहरों में अपने कार्य क्षेत्र में अभियान चलाने की सलाह दें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को रक्षा पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन तैयार करें जिनके समक्ष जीवन प्रमाणपत्र देने में समस्याएं पेश आ रही है।
- 10 नवंबर, 2023 को डीएलसी की स्थिति की समीक्षा करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों को अनुस्मारक एसएमएस भेजें जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिए हैं।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाया जाए।
- 30 सेकंड के लघु वीडियो लिए जाए।

➢ **<u>यूआईडीएआई की भूमिका</u>**

- पूरे माह चलने वाले अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए।
- राज्य-वार नोडल अधिकारियों को नामित करें जो चयनित शहरों और केंद्रों में फोन पर और जहां भी संभव हो भौतिक रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- एक हेल्पलाइन स्थापित करें ताकि डीएलसी में जहां भी समस्याएं आएं, वहां तकनीकी सहायता दी जा सके।
- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 के निर्बाध संचालन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करें।
- पेंशनभोगियों को उनके आधार विवरण अद्यतित करने में अतिरिक्त मदद करने के लिए जहां भी संभव हो, अभियान केंद्रों पर आधार अपडेशन शिविरों की व्यवस्था करें।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

➢ **<u>जीवन प्रमाण टीम, मेटी(MEitY) की भूमिका</u>**

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की प्रगति के आवश्यक एमआईएस (अलग से सूचित किया जाएगा) प्रदान करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय टीम नामित करें।

- जीवन प्रमाण ऐप पर किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में फोन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें।
- अभियान अवधि के दौरान एक सुदृढ़ कार्यशील जीवन प्रमाण ऐप सुनिश्चित करें जिसके संचालन में कोई कमी न हो।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

➢ **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/पीआईबी/दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका**

- संबंधित डीओपीपीडबल्यू अधिकारी के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें जो निदेशक/उप सचिव रैंक से नीचे का न हो।
- आयोजन से पूर्व, आयोजन के दौरान और बाद में मीडिया के माध्यम से स्थानीय जागरूकता प्रचार-प्रसार करें।
- एक मध्य-अभियान मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करें।
- पीआईबी और दूरदर्शन दोनों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- फ़ेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में एसओपी और जागरूकता अभियान सामग्री के अनुवाद के लिए व्यक्ति को तैनात करें।
- अभियान स्थलों पर विस्तृत कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीमें तैनात करे।
- राष्ट्र-व्यापी अभियान पर लघु फिल्म बनाएं।
- दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो पर 02 पैनल चर्चाएं आयोजित करें।

11. **मीडिया योजना**

- डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन पर सभी जागरूकता सामग्री डीओपीपीडबल्यू के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। नोडल अधिकारी व्यापक जागरूकता के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- डीओपीपीडब्ल्यू 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय अभियान का विवरण देते हुए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जागरूकता के लिए पूरे देश को कवर करते हुए 2 प्रिंट विज्ञापन जारी करेगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के उन सिविल पेंशनभोगियों को एसएमएस भेजेगा जिनके मोबाइल नंबर अक्टूबर और नवंबर, 2023 के महीने में डीओपीपीडबल्यू डेटाबेस में उपलब्ध हैं।
- 100 शहरों में कई स्थलों पर प्रत्येक अभियान स्थल के लिए पीआईबी नोट्स/ट्वीट जारी किए जाएं।
- सभी बैंक चयनित शहरों में पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पेंशनभोगी इन शिविरों में भाग ले सकें।
- सभी 100 शहरों में प्रत्येक शिविर-स्थल का दूरदर्शन कवरेज।
- सितंबर 2023 से, डीएलसी के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन एसओपी, सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो, डीएलसी अभियान 2022 की सफलता कहानियों को कवर करते हुए ट्विटर श्रृंखला शुरू की जाएगी।
- सचिव (पीएंडपीडबल्यू) की अध्यक्षता में दूरदर्शन द्वारा पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
- अभियान के अंत में डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।
- 15 नवंबर, 23 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- 30 नवंबर, 23 को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।

12. समग्र समन्वय के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है:

क्र. सं.	नाम	भूमिका	संपर्क ब्यौरा	ई-मेल आईडी
1	रुचिर मित्तल, निदेशक	अभियान समन्वयक	011-23350012, 9754473876	ruchirmittal.cgda@nic.in
2	अशोक कुमार सिंह, अवर सचिव	मंत्रालय/विभाग समन्वयक	011-23310108, 8447326646	ashok.ks72@gov.in
3	राजेश कुमार, अवर सचिव	मीडिया समन्वयक	011-24644631, 9540623057	rajesh.kr73@nic.in
4	रमनजीत कौर, परामर्शदाता	बैंक समन्वयक	011-24644631, 9643318767	ramanjit.kaur.61@govcontractor.in

13. पूरे भारत में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा डीएलसी के उपयोग की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर माह के लिए राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 2.0 के लिए उपरोक्त व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमिकाओं का पालन करें।

इसे सचिव(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक:

1. **एसओपी**
2. **डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैनुअल**

रुचिर मित्तल

रुचिर मित्तल
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
दूरभाष: 23350012
ईमेल: ruchirmittal.cgda@nic.in

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग
2. पेंशन संवितरण बैंक के सभी सीएमडी
3. अध्यक्ष, रेल बोर्ड
4. सचिव, मेटी(Meity)
5. सचिव, डाक विभाग
6. सचिव, दूरसंचार विभाग
7. सीजीडीए
8. सीईओ, यूआईडीएआई
9. अध्यक्ष आईपीपीबी

File No. 1(2)/2023-P&PW(H)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department to Pension & Pensioners' Welfare

3rd floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi
August 9, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: <u>Comprehensive Guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate Campaign 2.0, November 1-30, 2023</u>

The undersigned is directed to say that submission of Life Certificate is an important activity to be carried out by pensioners every year in the month of November (with special provision for pensioners aged 80 years and above to submit their Life Certificates in the month of October) to ensure continuity of their pension.

2. To enhance 'Ease of Living' of Central Government pensioners, this Department engaged with UIDAI & MeitY to develop a Face-Authentication technology system based on UIDAI Aadhaar database whereby it is possible to submit Life Certificate from any Android based smart phone. This is in addition to giving Life Certificate using a bio-metric device on the Jeevan Pramaan App, Video-KYC, LC through the Gramin Dak Sevaks by using the App of India Post Payments Bank and Door-step service by the consortium of Public Sector Banks.

3. With a view to spread awareness amongst all the Central Government pensioners as well as the Pension Disbursing Authorities for use of DLC through Face Authentication Technology, DoPPW launched a nation-wide campaign in 37 cities in collaboration with SBI, PNB, Pensioners' Associations, UIDAI & MeitY in the month of November 2022. This campaign resulted into use of DLC by approx. 35 Lakh out of 69.8 Lakh Central Government Pensioners across India.

4. DoPPW shall now be conducting a Nation-wide DLC Campaign 2.0 in 100 cities of India, where there is a significant presence of Central Government Pensioners, from 1st to 30th November, 2023. The objective of this Campaign is to promote increased use of Face Authentication Technology and DLC modes with a target of 50 Lakh Central Government Pensioners across India. **The SOP regarding the technique of issuing DLC through Face Authentication is attached for reference.**

5. In order to conduct this Campaign, DoPPW shall obtain the support of the following stake-holders:

- Pension Disbursing Banks
- Pensioners' Associations
- Ministry of Defence, Postal & Railways (for their own pensioners)
- PIB & DD (for media support)

- UIDAI & MeitY (for technical support)

6. **Nation –wide DLC campaign 2.0 Features**:

- There shall be a common All-India banner of the Nationwide DLC Campaign to be shared separately by DOPPW.
- DoPPW shall nominate its Nodal officers for each State; these Nodal Officers shall tie up with the Campaign Nodal officers of the different stake-holders, as given above for the respective States/UTs.
- The 100 cities have been identified and multiple locations within each city will be identified in consultation with the stakeholders.
- Camps will be organized at the identified multiple locations in each city, shortlisted for the Campaign by the banks/establishments.
- Each Bank shall nominate its nodal officers for each State/UT who shall coordinate with the Bank's nodal officer for each city for the Campaign. DoPPW shall coordinate with the State Nodal Officers only.
- M/o Defence, Railway, Posts & Telecom shall appoint their own Nodal Officers.
- UIDAI and MeitY shall also nominate Nodal officers for technical support for each State/UT.
- PIB & DD shall nominate its Nodal officers for publicity in each State/UT.
- From September, 2023, onwards wide publicity is to be carried out through social media, print media, banks and registered pensioners' associations.
- The Banks/Establishments associating for the Campaign in a particular State shall hold camps on designated days of November. In addition camps will also be held on other days by all Bank branches for the Pensioners reaching Banks.
- MeitY shall be roped in for utilizing its software to give real-time inputs on the progress of the Campaign.
- A Social Media group of all the Nodal officers shall be created by DOPPW for real-time sharing of information during the Campaign.

7. A separate **DLC portal** with URL https://ipension.nic.in/dlcportal/ has been created wherein details of Nodal Officers at State and City level shall be registered. All inputs related to the Campaign such as URLs of tweets and PIB notes/ press releases are to be entered in this portal. The user manual for the DLC Portal is attached for reference.

8. **Pre-Campaign Preparation Phase (August 1 - August 30, 2023)**

- Nomination of Nodal officers by DoPPW, all Banks, Defence (SPARSH), UIDAI, MeitY, PIB and DD.
- State-wise meetings of all the stake-holders for the identified 100 cities with DoPPW officials.
- Training of Nodal officers, Bankers & Training of trainers by DoPPW/ UIDAI/ MeitY on DLC through Face authentication and DLC Portal.

9. **Campaign Period activities (1st November – 30th November, 2023)**

- Launch of Nationwide DLC Campaign 2.0 on 1st November, 2023 under the auspice of Hon'ble Dr. Jitendra Singh, MOS.
- DLC camps in 100 cities as per schedule from Nov 1-10, 2023 when the maximum rush is expected; thereafter the Banks/Establishments shall keep the facility open.
- Visit of DoPPW nominated officials to different locations to monitor & inspect the drive.
- Daily updation of data centrally by MeitY of the progress of the DLC Campaign in a pre-determined format to be intimated separately.
- Release of PIB note and tweets for each location in every city by respective nodal officers. This shall be monitored by the DoPPW official in-charge of that particular State/UT.
- Mid – Campaign Press conference by DOPPW on 15th November 2023.
- Sharing of PIB notes, tweets links, DD coverage on Campaign by the Nodal officers on the portal/social media group.
- End of Campaign Press conference by DOPPW on 30th November.
- Release of Nation – Wide DLC campaign booklet by DOPPW.

10. **Role of different stake-holders** w.r.t. the Nationwide DLC 100 City Campaign:

➢ **Role of Department of Pension & Pensioners' Welfare**

- Issue letters to all stake-holders containing details of the campaign.
- Nomination of Nodal Officers for each State/UT.
- Co-ordination meetings with all stake-holders in different States/UTs including with the Registered Pensioners' Associations.
- Creation & monitoring of the Nationwide DLC Campaign 2.0 Portal for upload of details of Nodal Officers.
- Creation of a social media group comprising all the nodal officers for posting of pictures of different site locations and number of tweets.
- Provide a MIS format to MeitY for real-time updates with regard to the Campaign.
- Training of different stake-holders along with MeitY & UIDAI officials in Face Authentication and DLC methods.
- Conduct an awareness drive at the appropriate time through newspapers, television, FM radio, Social media, SMS messages, Short films regarding the DLC campaign.

➢ **Role of Pension Disbursing Banks**

- A nodal officer, not below the rank of Chief General Manager/General Manager, to be nominated for the Nation-wide DLC Campaign.
- State/ UT wise sub-nodal officers, not below the rank of AGM, to be nominated for each State/ UT where bank has been identified as lead bank.
- Shortlist multiple branches in the concerned cities for holding the Campaign.
- Conduct an awareness drive of the Nationwide DLC Campaign using a uniform common Banner at their locations and publicize the event through social media, SMS to Pensioners and other means such as posters at Digihuts, ATMs and prominent branches.

- Dedicated staff at all branches (even though not part of DLC campaign selected cities/locations) should be equipped with an Android phone to use this technology when pensioners visit the branch for submission of DLC certificate.
- Printout of successful submission of DLC screenshot may be provided to pensioners.
- Effort may be made to encourage pensioners to download Face authentication apps in their mobile so that they learn technology themselves.
- Coordinate with the designated DoPPW, UIDAI, MeitY, PIB & DD Officials for the event as well as the registered Pensioners' Associations in their jurisdiction.
- Conduct a daily exercise to ensure that all DLCs submitted have been processed and confirmation SMS sent to the Pensioner.
- Inspect their software prior to the campaign for auto-consumption of the DLC reaching their servers through UIDAI.
- Inspect their software for enabling LC through Video KYC method.
- Women and sick Pensioners should be given highest priority.
- Prepare an exception check-list of the Pensioners in the select cities who have not given LC by November 15, 2023 and send reminder SMS.
- Prepare for providing doorstep LC facility to those Pensioners who are unable to visit centers due to age/infirmity.
- No pensioner wanting to give a physical LC should be turned back.
- Instructions to be given to their International Banking Divisions to give a similar treatment to Pensioners settled abroad and visiting their centers for giving LC.
- PIB note, Tweets and media coverage should be given to each event and DOPPW twitter handle to be tagged. Short videos of 30 seconds may be taken of pensioners above age of 90 years generating their DLC.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in

➢ **Role of Pensioners' Welfare Associations**

- PWAs to nominate officials to make home/hospital visits for Pensioners who are unable to move to Campaign locations
- Conduct a rigorous awareness drive of the Campaign among all their members as well as apprise their RWAs (Resident Welfare Associations) regarding the Campaign and the Face Authentication methodology for giving LC.
- Coordinate with the local Bank/Defence (SPARSH)/PIB officials for conducting a seamless DLC Nationwide campaign.
- Report to the concerned DoPPW official of the State about any local issues being faced by the Pensioners in giving LC.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in

➢ **Role of Ministry of Defence (SPARSH)**

- A Nodal officer may be nominated, not below the rank of Dir/DS/Dy.CGDA for coordination at central level. Sub-Nodal officers to be nominated for each state/

UT/Command, not below the rank of Dy.CDA, where the camp is being held for SPARSH pensioners and details of the nodal officers to be uploaded on the portal.

- Wide publicity should be given to this campaign by spreading awareness through banners, social media, SMS and Sainik Welfare Boards.
- A dedicated person should be equipped with an Android phone for issue of Digital Life Certificate of the pensioners visiting the camp.
- Additional facilities like free medical checkup (tests more relevant to senior citizens), Aadhaar Updation, engagement with NGOs working with senior citizens can also be arranged, if desired, by the Ministry.
- Conduct a proper awareness drive regarding the different methods available to Defence Pensioners of submitting LC.
- Uniform Nationwide DLC Campaign 2.0 Banner to be displayed at all locations for publicity.
- Gear up SPARSH centers for the Campaign and enable Face Authentication technology for DLC in SPARSH.
- Advise Zila Sainik Welfare Boards to conduct the Campaign in their area of operation in the select cities.
- Advise their registered Pensioners' Associations to help Defence Pensioners to give DLC.
- Organize home visits for those Defence Pensioners who are unable to visit the centers.
- Position grievance officers in all the centers and also provide a helpline for the Defence Pensioners who face issues in giving LCs.
- Review the DLC position on November 10, 2023 and send reminder SMS to those Defence Pensioners who have not yet given LCs.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in
- Short videos of 30 seconds may be taken of pensioners above age of 90 years submitting DLC.

➢ **Role of UIDAI**

- A Nodal officer may be nominated for month long campaign.
- Nominate Nodal officers State-wise who shall be providing technical support in the select cities and centres on phone and physically where ever possible.
- Set-up helplines for giving technical support wherever issues are faced in DLC.
- Ensure a robust software for seamless conduct of the Nationwide DLC Campaign 2.0
- Arrange Aadhaar updation Camps at the Campaign Centres wherever possible to additionally help Pensioners in updating their Aadhaar details.
- Coordinate with the DoPPW officials incharge of the Campaign in the region.

➢ **Role of Jeevan Pramaan Team, MEitY**

- Nominate a team centrally for coordinating with DoPPW Officials for proving necessary MIS (to be intimated separately) of the progress of the Nationwide DLC Campaign 2.0

- Nominate nodal officers for providing technical support on phone in case of any technical glitches faced on the Jeevan Pramaan App.
- Ensure a robust working Jeevan Pramaan App during the Campaign period devoid of any bugs.
- Coordinate with the DoPPW officials incharge of the Campaign in the region.

➢ **Role of MoI&B /PIB /DD /AIR**

- Nominate Nodal Officers not below the rank of Dir/DS to coordinate with the concerned DoPPW official.
- Conduct local awareness publicity through media both prior, during and after the event.
- Conduct a Mid-Campaign media conference.
- Nominate a nodal officer each for PIB & DD.
- Deploy resource person for translating SOP & awareness campaign material for DLC through Face authentication in 22 scheduled languages.
- Deploy DD teams at campaign sites for detailed coverage.
- Creation of short films on Nation – Wide Campaign.
- Organize 02 Panel discussions at DD & AIR.

11. **Media Plan**

- All awareness material on DLC / Face authentication will be available on the DOPPW portal. Nodal officers can use that material for widespread awareness.
- DoPPW will release 2 print advertisements covering whole country for awareness about DLC/ Face authentication giving details of National campaign on 15th September and 15th October, 2023.
- DoPPW shall send SMS to the Central Government Civil Pensioners whose mobile numbers are available in DoPPW database in the month of October & November, 2023.
- PIB notes/ tweets will be issued for each campaign site at multiple locations in 100 cities.
- Banks will conduct an awareness Campaign in the select city in local languages in local newspapers in advance so that pensioners participate in these camps.
- DD coverage of each camp-site in all 100 cities.
- September 2023 onwards, twitter series will be launched covering DLC/Face authentication SOP, info graphics, short videos, success stories of DLC campaign 2022 for widespread awareness about DLC.
- Panel discussion by DD to be chaired by Secretary (P&PW).
- Release of DLC campaign booklet at the end of campaign.
- Mid – Campaign Press conference on 15th November, 23.
- End of Campaign Press conference on 30th November, 23.

12. For overall coordination, following DoPPW officers have been nominated:

Sl no	Name	Role	Contact details	Email ID
1	Ruchir Mittal, Director	Campaign Coordinator	011-23350012, 9754473876	ruchirmittal.cgda@nic.in
2	Ashok K Singh, US	Min/Dept Coordination	011-23310108, 8447326646	ashok.ks72@gov.in
3	Rajesh Kumar, US	Media coordinator	011-24644631, 9540623057	rajesh.kr73@nic.in
4	RamanjitKaur, Consultant	Bank coordinator	011-24644631, 9643318767	ramanjit.kaur.61@govcontractor.in

13. The above comprehensive guidelines for Nation – Wide Digital Life Certificate 2.0 for month of November are being issued to ensure saturation of use of DLC by Central Government Pensioners across India. All Stakeholders are requested to adhere to roles assigned, as above.

This issues with the approval of Secretary (Pension & Pensioners' Welfare).

Appended:

1. **SOP**
2. **User Manual for DLC Portal**

Ruchir Mittal
Director, DoPPW
Tel.: 23350012
Email: ruchirmittal.cgda@nic.in

1. Secretary, All Min/Depts
2. All CMDs of Pension Disbursing Banks
3. Chairman, Railway Board
4. Secretary, Meity
5. Secretary Dept. of Posts
6. Secretary, Dept. of Telecommunication
7. CGDA
8. CEO, UIDAI
9. Chairman IPPB

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पता– तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

Address- 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

www.pensionersportal.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन संबंधी निदेशों का सार–संग्रह, अक्तूबर, 2022

Compendium of Pension related Instructions, October, 2022

Circulars issued in October, 2022

S. No./ क्र.सं.	File No./का.ज्ञा.	Subject/विषय	Date/दिनांक	Page no./पृष्ठ सं.
1.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।	2 अक्तूबर, 2022	1
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of service rendered in State Governments as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	2
2.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।	2 अक्तूबर, 2022	3
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of service rendered in an autonomous body under the Central Government or a State Government as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	5
3.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।	2 अक्तूबर, 2022	7
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of service on contract as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	9
4.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना।	2 अक्तूबर, 2022	11
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	13
5.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।	2 अक्तूबर, 2022	15
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021	2nd October, 2022	17

6.	28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।	2 अक्तूबर, 2022	19
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	21
7.	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।	2 अक्तूबर, 2022	22
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of periods spent on training as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021	2nd October, 2022	24
8.	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत किए गए समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना या अन्यथा।	2 अक्तूबर, 2022	25
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Treatment of time passed by a Government servant under suspension as qualifying service or otherwise for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	27
9.	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ किए जाने के संबंध में उपबंध।	2 अक्तूबर, 2022	28
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Provisions relating to effect of interruption in service and condonation of interruption in service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	2nd October, 2022	30
10.	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित।	2 अक्तूबर, 2022	32
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the	2nd October, 2022	34

		International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.		
11.	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।	2 अक्तूबर, 2022	35
	28/90/2022-P&PW(B)/8297	Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department.	2nd October, 2022	37
12.	3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942	स्वर्गीय श्री मन मोहन चंदर, पूर्व सहायक के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में पत्नी श्रीमती सिमरो देवी के नाम में परिवर्तन-पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह लेने के संबंध में।	6 अक्तूबर, 2022	39
	3(2)/2022-P&PW (H)/7942	Change of name of spouse SmtSimro Devi in PPO of late Shri Man Mohan Chander, ex- Assistant-seeking advice of DoP&PW- regarding	6th October, 2022	40
13.	3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942	श्री अनिल कुमार सूद, एएम-II (स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त), भारत मौसम विज्ञान विभाग के पेंशन संदाय आदेश से पुत्री का नाम हटाने के संबंध में।	7 अक्तूबर, 2022	41
	3(2)/2022-P&PW (H)/7942	Deletion of daughters name from the PPO of Shri Anil Kumar Sood, AM-II (VRS), IMD-regarding	7th October, 2022	42
14.	38/41/2019-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 में संशोधन- राष्ट्रपति को, सचिव और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पेंशन और उपदान को रोकने का अधिकारा	7 अक्तूबर, 2022	43
	38/41/2019-P&PW (A)	Amendment of Rule 8 of CCS(Pension) Rules, 2021-delegation of powers of President to withhold pension and gratuity to Secretary and C&AG	7th October, 2022	45
15.	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.07.2022 से लागू	8 अक्तूबर, 2022	47

	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of dearness relief to Central Government pensioners/family pensioners-revised rate effective from 01.07.2022.	8th October, 2022	49
16.	3/2/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)	सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) में संशोधन	8 अक्तूबर, 2022	51
	3/2/2017-P & PW (F)	Amendment in GPF Rule	8th October, 2022	56
17.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के लागू होने से संबंधित उपबंध।	10 अक्तूबर, 2022	59
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Provisions regarding applicability of CCS (Pension) Rules, 2021- reg.	10th October, 2022	61
18.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा के संबंध में उपबंध।	10 अक्तूबर, 2022	63
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Provisions regarding treatment of the day of retirement/resignation/death under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10th October, 2022	64
19.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपबंध।	10 अक्तूबर, 2022	65
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Provisions regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a government servant under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10th October, 2022	67
20.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंब पेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने के संबंध में उपबंध।	10 अक्तूबर, 2022	69
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Provision regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious or on being found guilty of grave misconduct, under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10th October, 2022	70
21.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकने के संबंध में उपबंध।	10 अक्तूबर, 2022	71
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Provision regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of department/judicial proceedings under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10th October, 2022	73

22.	सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने पर अशक्त पेंशन की मंजूरी।	10 अक्तूबर, 2022	75
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Grant of invalid pension under CCS (Pension) Rules, 2021 on retirement from government service on account of any bodily or mental infirmity	10th October, 2022	76
23.	सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी।	10 अक्तूबर, 2022	77
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Grant of compulsory retirement pension under CCS (Pension) Rules, 2021 to a government servant who is compulsorily retired from service as a penalty.	10th October, 2022	78
24.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए सरकारी कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते की मंजूरी।	10 अक्तूबर, 2022	79
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Grant of compassionate allowance under the CCS (Pension) Rules, 2021 to a government servant who is dismissed or removed from service.	10th October, 2022	81
25.	28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी- के संबंध मेंI	11अक्तूबर, 2022	82
	28/91/2022-P&PW(B)/8331	Grant of retirement gratuity and death gratuity under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	11th October, 2022	84
26.	28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन- के संबंध मेंI	11अक्तूबर, 2022	86
	28/91/2022-P&PW(B)/8331	Nominations for payment of gratuity under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	11th October, 2022	89
27.	28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध मेंI	11अक्तूबर, 2022	91
	28/91/2022-P&PW(B)/8331	Payment of gratuity on death of a government servant under CCS (Pension) Rules, 2021- reg.	11th October, 2022	94
28.	28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के	11अक्तूबर, 2022	96

		संबंध मेंI		
	28/91/2022-P&PW(B)/8331	Payment of gratuity on death of a government servant under CCS (Pension) Rules, 2021- reg.	11th October, 2022	99
29.	3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ)	वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से संबंधितI	11अक्तूबर, 2022	102
	3/6/2021-P&PW (F)	Ceiling of Rs 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (GPF) in a financial year- regarding.	11th October, 2022	103
30.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/1	मूल बेसिक पेंशन पर देय महंगाई राहत के संबंध में स्पष्टीकरण- संबंधी	25 अक्तूबर, 2022	104
	42/15/2022-P&PW(D)/1	Clarification regarding Dearness Relief payable on Original Basic Pension -reg.	25th October,2022	105
31.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/2	ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होता है, के लिए संराशीकृत मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण।	25 अक्तूबर, 2022	106
	42/15/2022-P&PW(D)/2	Clarification regarding commutation value for Government servant whose date of birth is the first of a month and who retires on the afternoon of the last day of the preceding month-reg.	25th October,2022	107
32.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/3	सेवानिवृत्ति के पश्चात संराशीकरण के लिए ली जाने वाली पेंशन के संबंध में स्पष्टीकरण।	25 अक्तूबर, 2022	108
	42/15/2022-P&PW(D)/3	Clarification regarding pension to be taken for commutation after retirement-reg.	25th October,2022	110
33.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/4	वेतन आयोग आदि की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में संशोधित पेंशन से संराशीकृत पेंशन की कटौती।	25 अक्तूबर, 2022	111
	42/15/2022-P&PW(D)/4	Deduction of commuted pension from the pension revised in implementation of recommendations of Pay Commission etc.	25th October,2022	112
34.	सं.42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/5	संराशीकृत पेंशन की बहाली से पूर्व किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में, शेष अवधि के लिए कुटुंब पेंशन से संराशीकरण के लिए कटौती किया जाना, के संबंध में स्पष्टीकरण- संबंधी।	25 अक्तूबर, 2022	113
	42/15/2022-P&PW(D)/5	Clarification regarding whether deductions towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in cases where the pensioner dies before	25th October,2022	114

		the restoration of commuted pension-reg.		
35.	57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)-8361	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान अवधारित करने के लिए परिलब्धियां।	25 अक्तूबर, 2022	115
	57/03/2022-P&PW(B)/8361	Emoluments for determining mandatory contributions under National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.	25th October,2022	118
36.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवाकाल के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी होने की दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने का अधिकार।	26 अक्तूबर, 2022	120
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Power to withhold or withdraw pension/gratuity in cases of grave misconduct or negligence during the period of service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	26th October,2022	122
37.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।	26 अक्तूबर, 2022	123
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Amount and conditions for grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021	26th October,2022	125
38.	सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।	26 अक्तूबर, 2022	126
	38/01(05)/2022-P&PW(A)	Amount and conditions for grant of additional pension and additional family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021	26th October,2022	127
39.	57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)-8361	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु या अशक्तता या नि:शक्तता होने पर पुरानी पेंशन योजना के तहत हितलाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन विकल्प- के संबंध में बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान अवधारित करने के लिए परिलब्धियां।	26 अक्तूबर, 2022	128

	57/03/2022-P&PW(B)/8361	Options under Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules,2021 to avail benefits under old pension scheme on death of Government servant covered under National Pension System during service or his discharge from service on account of invalidation or disablement –reg.	26th October,2022	135
40.	सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को, कुटुंब पेंशन की मंजूरी।	26 अक्तूबर, 2022	142
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records	26th October,2022	144
41.	सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	जहां प्रथम पात्र सदस्य सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।	26 अक्तूबर, 2022	146
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence.	26th October,2022	148
42.	सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।	26 अक्तूबर, 2022	149
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to parents of a deceased Government servant/pensioner.	26th October,2022	151
43.	सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेज।	26 अक्तूबर, 2022	152
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	26th October,2022	154
44.	सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या	26 अक्तूबर, 2022	155

		विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।		
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner.	26th October,2022	157
45.	सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।	26 अक्तूबर, 2022	158
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability.	26th October,2022	161
46.	सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवानियमावली (पेंशन), 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का सहभाजन।	26 अक्तूबर, 2022	163
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021	26th October,2022	165
47.	सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	किसी नि:संतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी।	26 अक्तूबर, 2022	167
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on remarriage of a childless widow.	26th October,2022	169
48.	सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है।	26 अक्तूबर, 2022	170
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	26th October,2022	172
49.	सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पेंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपबंध।	26 अक्तूबर, 2022	174
	1/1(1)/2022-P&PW (E)	Provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.	26th October,2022	177

50.	57/03/2022-पी पी&पीडब्ल्यू(बी)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कार्पस से हितलाभों और उपदान पर अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रभाव से संबंधित उपबंध।	27 अक्तूबर, 2022	179
	57/03/2022-P&PW (B)	Provisions relating to effect of disciplinary proceedings on the benefits from accumulated pension corpus under National Pension System and gratuity in respect to Central Government employees covered under NPS	27th October, 2022	181
51.	11/(15)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363(1)	किसी सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने की समय-सीमा।	28 अक्तूबर, 2022	183
	11(15)/2022-P&PW(H)-8363 (1)	Timelines for completion of various activities in the process of authorisation of pension and gratuity on retirement on superannuation of a Government servant.	28th October, 2022	185
52.	सं. 11(15)/2022-P&PW(H)-8363 (2)	(i) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूप जमा करने की स्थिति में नहीं है, और (ii) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप जमा किए बिना हो जाती है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत करने की प्रक्रिया।	28 अक्तूबर, 2022	187
	11(15)/2022-P&PW(H)-8363 (2)	Processing of cases for authorisation of pension/family pension in respect of (i) a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, and (ii) a Government servant who dies after retirement without having submitted the pension forms.	28th October, 2022	189
53.	सं.– 57/03/2022-पी&पीडब्लू(बी)/8361(1)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब के लिए हकदारी- के संबंध में।	28 अक्तूबर, 2022	191

	57/03/2022-P&PW(B)/8361(1)	Entitlement on discharge from service on account of invalidation or disablement to a Central Government servant covered under National Pension System -reg.	28th October, 2022	193
54.	57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(2)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा मुक्ति होने पर हकदारी से संबंधित।	28 अक्तूबर, 2022	195
	57/03/2022-P&PW(B)/8361 (2)	Entitlement for family on death of a Central Government servant covered under National Pension System -reg.	28th October, 2022	199
55.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/6	एक से अधिक अवसरों पर पेंशन का संराशीकरण- स्पष्टीकरण के संबंध मेंI	31 अक्तूबर, 2022	202
	42/15/2022-P&PW(D)/6	Commutation of pension on more than one occasion - Clarification regarding	31st October, 2022	204
56.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/7	पेंशन के संराशीकृत मूल्य के विलंबित संदाय पर ब्याज- स्पष्टीकरण के संबंध मेंI	31 अक्तूबर, 2022	205
	42/15/2022-P&PW(D)/7	Interest on delayed payment of commuted value of pension-Clarification regarding	31st October, 2022	207
57.	सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/8	अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकार्यता- स्पष्टीकरण के संबंध मेंI	31 अक्तूबर, 2022	208
	42/15/2022-P&PW(D)/8	Admissibility of Dearness Relief on additional pension/additional compassionate allowance and additional family pension - Clarification regarding	31st October, 2022	209
58.	55/4/2014-पी&पीडब्ल्यू(सी)-भाग I/ई-4217	दिनांक 01.01.2017 से पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए भविष्य पोर्टल का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के संबंध मेंI	31 अक्तूबर, 2022	210
	55/4/2014-P&PW©-Part 1/E-4217	Mandatory use of BHAVISHYA PORTAL for Processing of Pension Cases w.e.f 01.01.2017-reg.	31st October, 2022	211

59.	55/14/2014-पी&पीडब्ल्यू(सी)-भाग I/ई-4217	भविष्य प्रणाली में पेंशन अदायगी आदेश(पीपीओ सं.) को अद्यतन(Update) करने की प्रक्रिया- के संबंध मेंI	31 अक्तूबर, 2022	213
	55/14/2014-P&PW(C)-Part I/E-4217	Procedure to Update the Pension Payment Order (PPO No) in the Bhavishya System-regd.	31st October, 2022	214
60.	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)	मूल अनुग्रह राशि पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2022 से लागू पांचवे वेतन आयोग श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरीI	31 अक्तूबर, 2022	217
	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.07.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg	31st October, 2022	219

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 13 के अनुसार, यदि राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व राज्य सरकार के किसी पेंशनी स्थापन में नियुक्ति हुई थी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से उसके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात् उचित अनुज्ञा से स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता हो या नियुक्ति हुई हो, राज्य सरकार में उसके द्वारा की गई लगातार सेवा केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए अर्हक होगी। उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा अर्हक होगी यदि यह सेवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति के पश्चात की गयी हो।

2. ऐसे मामलों में पेंशन और उपदान का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन और उपदान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सि/- २.१०

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service rendered in State Governments as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 13 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, if a State Government employee, who was initially appointed in a pensionable establishment of the State Government on or before 31st December, 2003, is permanently transferred or is appointed with proper permission after acceptance of his resignation from the service of State Government, to a service or post to which the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 are applicable, the continuous service rendered by him in the State Government shall qualify for pension and gratuity from the Central Government. The service rendered in the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

2 The liability for pension and gratuity in such cases shall be borne by the Central Government and no recovery of proportionate pension and gratuity shall be made from the State Government.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered in State Governments as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 14 के अनुसार, यदि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय के किसी कर्मचारी, जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व उस स्वायत्त निकाय में नियुक्ति हुई थी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा से तत्पश्चात् नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए उक्त स्वायत्त निकाय में की गई सेवा अर्हक होगी। तथापि, ऐसी सेवा की गणना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

(i) केंद्रीय सरकार में स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात् व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;

(ii) सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय से अलग से पेंशन आहरित नहीं कर रहा है; और

(iii) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता का निर्वहन किया गया है। पेंशन की एकमुश्त रकम, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण तालिका के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

2. राज्य सरकार के अधीन इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता के निर्वहन की शर्त, केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ की गई पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार उस स्वायत्त निकाय के लिए बाध्यकारी होगी।

जारी-

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाती है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service rendered in an autonomous body under the Central Government or a State Government as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 14 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, if an employee of an autonomous body under the Central Government or a State Government having a non-contributory pension scheme similar to CCS(Pension) Rules, 2021, who was initially appointed in that autonomous body, on or before 31st December, 2003, is subsequently appointed with proper permission to a service or post in the Central Government to which the CCS(Pension) Rules, 2021 are applicable, the service rendered under the said autonomous body shall qualify for pension and gratuity from the Central Government. Counting of such service shall, however, be subject to the following conditions:

(i) The appointment of the Government servant in an officiating or temporary capacity in the Central Government is followed without interruption by substantive appointment;
(ii) The Government servant is not drawing a separate pension from the autonomous body for the service rendered in that body before acceptance of resignation; and
(iii) The pension liability is discharged by the Autonomous body by paying in lump sum the amount of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered in the autonomous body. The lump sum amount of pension shall be determined with reference to the commutation table laid down in the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

2. The condition for discharge of pension liability by an autonomous body under the State Government having a non-contributory pension scheme similar to these rules shall be binding on that autonomous body in accordance with the reciprocal arrangement entered into by the Central Government with the concerned State Government.

Contd-

3. Service rendered in a public sector undertaking, including nationalized bank and financial institution, before appointment in the Central Government does not count as qualifying service for the purpose of CCS (Pension) Rules, 2021.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered in an autonomous body under the Central Government or a State Government as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry / Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 17 के अनुसार, ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार द्वारा आरंभ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात किसी पेंशनी स्थापन में, अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर, कर्तव्य में व्यवधान आए बिना नियुक्त किया गया हो; उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान को, उस पर देय ब्याज सहित सरकार को वापस करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है, और उक्त संविदा पर की गई उसकी सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती थी। अतः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 17 के तहत विकल्प उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जो आरंभ में संविदा पर लगे हुए थे और 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किए गए थे।

3. यदि किसी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प का प्रयोग 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के तहत अनुज्ञेय था, तो उक्त संविदा पर की गई सेवा की अवधि को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 18 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना में लिया जाता रहेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के

जारी..

संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service on contract as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a person, who was initially engaged by the Government on a contract for a specified period and was subsequently appointed to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity in a pensionable establishment, without interruption of duty, could exercise an option to refund to the Government, the Government contribution in the Contributory Provident Fund with interest thereon including any other compensation for that service and count the period of service, on the said contract, as qualifying service. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available to the persons who were initially engaged on contract and were appointed to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity on or before 31st December, 2003.

3. In case the above option exercised by any contract appointee was allowed under Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 after his appointment to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity on or before 31st December, 2003, the period of service on the said contract shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021,

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service on contract as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the

contd.

personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के अनुसार ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर पहले सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियोजित होने पर पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन, (ii) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य, और (iii) सेवा उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, भी है वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात् दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अतः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 18 के तहत दिया गया विकल्प केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व पुनर्नियोजित किया गया था। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात, 31 दिसंबर, 2003 के बाद पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या पिछली सेवा के लिए प्राप्त उपदान को रखेगा और पुनर्नियोजित होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।

4. यदि किसी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 18 के तहत अनुज्ञेय था तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 19 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती रहेगी।

जारी..

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर
(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, on re-employment, a Government servant who, having earlier retired on compensation pension or invalid pension, could exercise an option to count the former service, as qualifying service for pension and gratuity by ceasing to draw his pension and refunding or agreeing to refund– (i) the pension already drawn, (ii) the value received for the commutation of a part of pension, and (iii)the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any.

3. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available only to the Government servants who were re-employed on or before 31st December, 2003. If a Government servant, after retirement on compensation pension or invalid pension, is/was re-employed after 31st December, 2003, he shall continue to draw the pension and/or retain gratuity received for the past service and, on re-employment, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.

4. In case the above option exercised by a re-employed pensioner, who was re-employed to a civil post on or before 31st December, 2003, was allowed under Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the period of service rendered before re-employment shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021,

Contd.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered before re-employment as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 20 के अनुसार, पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सैन्य सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन; और (ii) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और (iii) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है; वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अतः, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 19 के तहत विकल्प केवल उन सैन्य पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सिविल सेवा पद पर पुनर्नियोजित किया गया था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा की थी और उसे 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह सैन्य पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को रखेगा और, पुनर्नियोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।

4. यदि किसी पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की

जारी..

गई सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती रहेगी। सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैन्य सेवा के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a re-employed military pensioner could exercise an option to count the former military service, as qualifying service for pension and gratuity by ceasing to draw his pension and refunding or agreeing to refund– (i) the pension already drawn; and (ii) the value received for the commutation of a part of military pension; and (iii) the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any.

3. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available only to the military pensioners who were re-employed on the civil side on or before 31st December, 2003. If a Government servant, who had rendered military service, is/was re-employed in a civil service or post after 31st December, 2003, he shall continue to draw the military pension and/or retain gratuity received on discharge from military service and, on re-employment in a civil service or post, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.

4. In case the above option exercised by a re-employed military pensioner, who was re-employed on a civil service or post on or before 31st December, 2003, was allowed under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the period of service rendered before such re-employment shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. The pension and gratuity for the service

contd.

rendered after re-employment in civil service or post shall not be subject to any limitation with reference to the pension and gratuity drawn by the Government servant in respect of the military service.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of past military service rendered before re-employment on a civil post as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 21 के अनुसार, सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

2. चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को,- (i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने या पुनःग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण; या (ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए मंजूर की गई है।

3. उपरोक्त पैरा 1 तथा 2 द्वारा कवर नहीं होने वाली असाधारण छुट्टी के मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित होती है कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात् की जा सकेगी, किंतु अधिवर्षिता पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व, के पश्चात् नहीं की जा सकेगी। यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में किए जाने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग

जारी-

और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 21 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, all leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate count as qualifying service.

2. In the case of extraordinary leave, other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a Government servant (i) due to his inability to join or re-join duty on account of civil commotion; or (ii) for prosecuting higher scientific and technical studies.

3. In the case of extraordinary leave not covered by para 1 and 2 above, a definite entry is required to be made in the service book of the Government servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than six months before the date of retirement of the Government servant on superannuation. If no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ग्रुप सी पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य मामलों में, सरकार आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

2. जहां सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति विभिन्न स्टेशनों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा। जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि, कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छुट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा। ऐसे मामलों में असाधारण छुट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए विभिन्न स्टेशनों पर प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति के कारण

जारी-

प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि और व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of periods spent on training as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 22 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant who was required to undergo a departmental training before regular appointment to a Group C post and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or a nominal allowance during such training, the period of such training shall count as qualifying service. In other cases, the Government may, by order, decide whether the time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government shall be counted as qualifying service.

2. Where time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government is counted as qualifying service, interruption due to the training and regular appointment being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, is required to be counted as qualifying service. Where the period of interruption is in excess of joining time due to administrative reasons, such period of interruption in excess of joining time is required to be regularised by grant of leave of the kind due or, if no such leave is due, by grant of extraordinary leave by the Head of Department. The period of interruption regularised by grant of extraordinary leave in such cases is required to be counted as qualifying service.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of period spent on training and period of interruption due to the training and regular appointment being at different stations, as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/ Department and attached/ subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत किए गए समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना या अन्यथा।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 23 के अनुसार, ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जिसे उसके आचरण की जांच के लिए पहले निलंबित कर दिया गया था और जो अवधि आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा केवल मामूली शास्ति लगायी गई है और निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहां, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

2. निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने या अन्यथा के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने

जारी..

हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Treatment of time passed by a Government servant under suspension as qualifying service or otherwise for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 23 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant who was previously suspended pending inquiry into his conduct and who, on conclusion of such inquiry, is fully exonerated or only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified, time passed by him under suspension is required to be counted as qualifying service. In other cases, the period of suspension is not to be counted as qualifying service unless the authority competent to pass orders under the rule governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the Competent Authority may declare.

2. In all cases of suspension, the competent authority is required to pass an order specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry is required to be made in the service book of the Government servant in this regard.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of time passed under suspension as qualifying service or otherwise, for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ किए जाने के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 27 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा में व्यवधान से, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी, अर्थात् (क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी; (ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाए; (ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो, अथवा वहां जहां सरकारी कर्मचारी मर जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है; (घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो; (ङ) कार्यग्रहण अवधि जब वह एक पद से किसी दूसरे पद पर स्थानांतरण पर हो। नियम 27 में, आगे और यह प्रावधान है कि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 28 के अनुसार, सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट संकेत के न होने पर, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई सिविल सेवा के, जिसके अंतर्गत की गई ऐसी सिविल सेवा भी है जिसके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों से किया गया है, दो अवधियों के बीच का व्यवधान, स्वतः ही माफ़ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान-पूर्व सेवा अर्हक सेवा समझी जाएगी। व्यवधान का स्वतः माफ़ किये जाने वाला उपबंध, पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाये जाने या किसी हड़ताल में भाग

जारी..

लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगा। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ करने पर विचार कर सकेगा और व्यवधान-पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में समझा जा सकेगा।

4. सेवा में व्यवधान को माफ न किए जाने का निर्णय केवल अपवादी और गंभीर परिस्थितियों में ही लिया जा सकेगा और सरकारी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, सेवा में व्यवधान की माफी नहीं देने का ऐसा कोई आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ किए जाने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Provisions relating to effect of interruption in service and condonation of interruption in service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 27 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, an interruption in the service of a Government servant entails forfeiture of his past service, except in the case of (a) authorised leave of absence; (b) unauthorised absence in continuation of authorized leave of absence so long as the post of absentee is not filled substantively; (c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the Government servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of superannuation while under suspension; (d) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest; (e) joining time while on transfer from one post to another. Rule 27 further provides that, the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

3. As per Rule 28 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of civil service rendered by a Government servant under Government including civil service rendered and paid out of Defence Services Estimates or Railway Estimates shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service but the period of interruption shall not count as qualifying service. The provision regarding automatic condonation of interruption shall, not apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike. The appointing authority may, however, consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service.

Contd.

4. The decision not to condone interruption in service may be taken only in exceptional and grave circumstances and the order against condonation of interruption in service shall not be passed without extending to the Government servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding effect of interruption in service and condonation of interruption in service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 29 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, (क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सकेगा; या (ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करे। जहां कोई सरकारी कर्मचारी खंड (ख) के लिए विकल्प करता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना के संबंध

ज़ारी -.

में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 29 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization may opt (a) to pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or (b) not to pay the pension contributions in respect of his foreign service and not count such service as qualifying for pension under those rules. Where a Government servant opts for clause (b), pension contributions, if any, already paid by him shall be refunded to him.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

3. सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। इस नियम के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

4. इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा के आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके

जारी-

अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर
(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, on each occasion after a Government servant has completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer is required to verify the service rendered by such a Government servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 4, the period of qualifying service so determined.

3. For the purposes of verification of service, the procedure provided in clause (a) of sub-rule (1) of rule 57 is required to be followed. The verification done under Rule 30 shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension and gratuity.

4. The Rule further provides that a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry/Department by 31st January of each year, giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding periodic verification of qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the

contd.

Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वर्गीय श्री मन मोहन चंदर, पूर्व सहायक के पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) में पत्नी श्रीमती सिमरो देवी के नाम में परिवर्तन- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह लेने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के दिनांक 8/7/2022 के यूओ सं. ए-38012/1/2021-प्रशा-II और इस विभाग के दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट सं. 3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू-7942 का संदर्भ देने का और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग की सलाह पहले ही उपरोक्त संदर्भित दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट द्वारा जारी की जा चुकी है।

2. इस विभाग में मामले की पुनः जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि: -

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पीपीओ में नाम/कुलनाम का परिवर्तन करने के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पीपीओ कर्मचारी के सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का संबंध डीओपीटी से है।

(ii) इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निदेशक (पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण करेI यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा पीपीओ में नाम परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के का.ज्ञा. सं. 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैI

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में,
अवर सचिव (प्रशा. .II)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली

सं. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Change of name of spouse Smt. Simro Devi in PPO of Late Shri Man Mohan Chander, Ex-Asstt. – seeking advice of Department of Pension & Pensioners' Welfare- reg.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Statistics & Programme Implementation's UO No. A-38012/1/2021-Ad.II dated 8/7/2022 and this Department's ID Note No. 3(2)/2022-P&PW-7942 dated 17/5/2022 on the subject mentioned above and to say that the advice of this Department has already been issued vide ID Note dated 17/5/2022 as referred to above.

2. The matter has been re-examined in this Department. It is stated that: -

(i) There is no separate procedure prescribed in the CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 for change of name/surname in the PPO of Government employees or spouse after retirement. The PPO is issued on the basis of service record/service book of the employee and the maintenance of service book is concerned with DoPT.

(ii) Further, this matter was discussed in the inter-ministerial Review meeting of pending grievances in CPENGRAMS, held under the chairmanship of Director(PW), Department of Pension & Pensioners' Welfare. Ministry of Statistics & Programme Implementation were informed that they may follow DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987 for change of name of family pensioner also. In case the Ministry of Statistics & Programme Implementation feels that there is some discrepancy in the documents submitted by the complainant family pensioner in support of her application for change of name in the PPO, they may sort it out with her directly and ensure that the request for change of name fulfils the conditions of DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987.

3. This issues with the approval of the competent authority.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

The Under Secretary (Ad.II)
M/o Statistics & Programme Implementation
Khurshid Lal Bhawan, Janpath
New Delhi.

सं.3(6)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8326
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्री अनिल कुमार सूद, एएम-II (स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त), भारत मौसम विज्ञान विभाग के पेंशन संदाय आदेश से पुत्री का नाम हटाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के मार्गदर्शन/निर्देश की मांग करने के संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दिनांक 8/8/2022 की एसएफएस फाइल संख्या डीजीएम-एचक्यू-43011(10)/5/2022 के नोट का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग में मामले की जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन सरकारी कर्मचारी के पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) से पुत्री का नाम हटाने का कोई उपबंध नहीं है। सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाता है। अत: पीपीओ में परिवार के सदस्यों का नाम रहेगा। कुटुंब पेंशन की पात्रता मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात ही निर्धारित की जाती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तदनुसार कार्रवाई कर सकता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में

संयुक्त सचिव (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी भवन, इंडिया हैबिटैट सेन्टर के विपरीत
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

सं. 3(6)/2022-P&PW(H)-8326
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: **Deletion of daughter's name from the Pension Payment Order of Shri Anil Kumar Sood, AM-II (Voluntarily Retired), India Meteorological Department – reg.**

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Earth Sciences' SFS File No. DGM-HQ-43011(10)/5/2022 Note dated 8/8/2022 regarding seeking guidance/direction of this Department on the subject mentioned above.

2. The matter has been examined in this Department. It is stated that there is no provision under CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 to delete the name of daughter from Pension Payment Order (PPO) of the Government servant. The daughter is assumed to be a member of family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of family members will remain in the PPO. The eligibility for Family Pension is decided after demise of Government servant according to existing rules. Ministry of Earth Sciences may take action accordingly.

3. This issues with the approval of the competent authority.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

Joint Secretary (MoES)
Ministry of Earth Sciences
Prithvi Bhawan, Opposite India Habitat Centre
Lodhi Road, New Delhi-110003.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239441
CG-DL-E-07102022-239441

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2022/आश्विन 15, 1944
No. 684] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 770(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) (क) राष्ट्रपति, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है;

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है; तथा

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

लिखित रूप में आदेश द्वारा, पेंशन या उपदान को, या दोनों को, पूर्णतः या अंशतः रोकने, या पेंशन को पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्याहृत करने तथा सरकार को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश, यदि किसी विभागीय कार्यवाहियों या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है, दे सकेगा:

परन्तु इस उपनियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।";

(ii) उपनियम (2) में, -

(क) खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु जहां कि विभागीय कार्यवाहियां उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाए, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट उक्त सक्षम प्राधिकारी को देगा।";

(ख) खंड (ग) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "राष्ट्रपति" शब्द के स्थान पर, "उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (4) में, खंड (घ) में, "उपनियम (9)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "इस नियम के स्पष्टीकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम (6) में, "राष्ट्रपति" शब्द के स्थान पर, "उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) (क) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सकेगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उपयुक्त समझे।"

3. उक्त नियमों के नियम 20 में, स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ii) में, "वापस करना अपेक्षित नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "वापस करना होगा" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 46 में, उपनियम (5) में, खंड (क) में, "के परंतुक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (9) में, खंड (ज) में, उपखंड (iii) में,-

(i) "खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ज)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगें;

(ii) परंतुक में, "खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (छ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 76 में, "(5) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य" से शुरू होने वाले कोष्ठक, अंक और शब्दों के स्थान पर, "(5क) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगें।

[फा. सं. 38/41/2019-पी&पीडब्ल्यू(ए)]

संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) संख्यांक सा.का.नि. 868(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2022

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (hereinafter referred to of the said rules), in rule 8,–

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(1) (a) The President, in the case of a pensioner who retired from a post for which the President is the appointing authority;

(b) the Secretary of the Administrative Ministry or Department, in the case of a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority; and

(c) the Comptroller and Auditor-General of India, in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority.

may, by order in writing, withhold a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdraw a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government, if, in any departmental proceedings or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement :

Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final orders is passed by the President under this sub-rule:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 44.";

(ii) in sub-rule (2), –

a. in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the authority competent to pass order under sub-rule (1), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority.";

b. in clause (c), for the word "President" occurring at both the places, the words, brackets and figure "authority competent to pass order under sub-rule (1)" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4), in clause (d), for the word, brackets and figure "sub-rule (9)", the words "Explanation to this rule" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (6), for the word "President", the words, brackets and figure "authority competent to pass order under sub-rule (1)" shall be substituted;

(v) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(6A) (a) No appeal shall lie against any order made by the President under this rule.

(b) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit."

3. In rule 20 of the said rules, in Explanation-1, in clause (ii), for the words "was not required to be refunded", the words "was to be refunded" shall be substituted.

4. In rule 46 of the said rules, in sub-rule (5), in clause (a), the words "proviso to" shall be omitted.

5. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (9), in clause (h), in sub-clause (iii),-

(i) for the word, brackets and letter "clause (e)", the word, brackets and letter "clause (h)" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the word, brackets and letter "clause (d)", the word, brackets and letter "clause (g)" shall be substituted.

6. In rule 76 of the said rules, for the brackets, figure and words "(5) The fact of the issue", the brackets, figure and words "(5A) The fact of the issue" shall be substituted.

[F. No. 38/41/2019-P&PW(A)]

SANJIV NARAIN MATHUR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 868(E), dated the 20th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Generated from eOffice by RAMESH CHANDRA SETHI, DoPPW-DS-(RCS), DEPUTY SECRETARY, PPW on 11/10/2022 03:40 PM

सं. 42/07/2022-पी&पी डब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 08 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.07.2022 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 05.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी) के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को स्वीकार्य महंगाई राहत दिनांक 01.07.2022 से मौजूदा 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दी जाएगी।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-।। द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सभी सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, सिविल पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं-2008/3/23. पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां एक रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को शासित करने वाले अन्य उपबंधों को, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. 45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी), समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

6. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

7. महालेखाकार और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए, II/34 -80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए (ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय की व्यवस्था करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 03.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/3/2022 ई.II (बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/07/2022-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date :- 8th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2022.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/07/2022-P&PW(D) dated 05.04.2022 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of **34% to 38% w.e.f 01.07.2022**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
ii. The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
iii. All India Service Pensioners
iv. Railway Pensioners/family pensioners
v. Pensioners who are in receipt of provisional pension
vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3/2022-E.II(B) dated 03.10.2022.

Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17102022-239699
CG-DL-W-17102022-239699

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अक्तूबर 2—अक्तूबर 8, 2022, शनिवार/ आश्विन 10—आश्विन 16, 1944
No. 36] NEW DELHI, OCTOBER 2— OCTOBER 8, 2022, SATURDAY/ ASVINA 10—ASVINA 16, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में,-**

(I) नियम 2 के, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंत: सुथापित किया जाएगा:

(घ)(क) "विभागाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करें;

(घ)(ख) "कार्यालयाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन घोषित राजपत्रित अधिकारी और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(II) नियम 12, उपनियम (1) और (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(1) कार्यालय अध्यक्ष किसी अभिदाता को अग्रिम संदाय,जिसमे कुल धनराशि,जो पूर्णांकित रूपये में हो और बारह मास के वेतन की रकम से अधिक न हो या क्रेडिट पर रकम का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, सम्मिलित है, निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के करने की मंजूरी दे सकता है, अर्थात्:

(i) बीमारी (प्रसवावस्था) या किसी प्रकार की नि:शक्तता जिसमें जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी सम्मिलित है; से संबंधित व्यय करने के लिए;

(ii) सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थानों का समावेश करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा और जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी सम्मिलित है; की लागत को पूरा करने के लिए;

(iii) सगाई या विवाह, अंत्येष्टि या अन्य समारोहों से संबंधित अनिवार्य व्यय करने के लिए;

(iv) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करने के लिए, इस मामले में उपलब्ध अग्रिम किसी अन्य सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(v) अभिदाता के बचाव की लागत को पूरा करने के लिए जहां वह अपनी ओर से किसी आरोपित शासकीय कदाचार के संबंध में किसी जांच में स्वयं का बचाव करने के लिए विधि-व्यवसायी को नियुक्त करता है;

(vi) टेलीविजन, वाशिंग मशीन, रसोई गैस,गीजर और कंप्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए;

(vii) किसी यात्रा और पर्यटन संबंधी गतिविधियों सहित तीर्थ यात्रा और प्रमुख स्थानों के दर्शनार्थ होने वाले व्यय को करने के लिए;

(1क) विभागाध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को अग्रिम संदाय की मंजूरी दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को उप-नियम (1) में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है।

(1ख) उप-नियम (I)और(Iक)के अधीन अग्रिम संस्वीकृत किया जा सकेगा और अग्रिम के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इसका संदाय किया जाएगा:

परंतु, अभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में, इस उप-नियम के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा और अग्रिम के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर इसका संदाय किया जाएगा:

(1ग) उप-नियम (1) और (1क) के अधीन अभिदाता द्वारा अग्रिम मांगने के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए दी गई घोषणा के आधार पर अग्रिम संस्वीकृत किया जाएगा, और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।"

(III) नियम 13 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिसृथापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1)(क) अभिदाता से उतनी बराबर मासिक किस्तों में अग्रिम की वसूली की जाएगी जैसा कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निर्देश दे:

परंतु ऐसी संख्या बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा चयन न करे, और साठ से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि अभिदाता अपने विकल्प पर, एक महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है;

(ख) प्रत्येक किश्त पूर्णांकित रुपये की संख्या होगी, ऐसी किश्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अग्रिम की राशि को बढ़ाया या घटाया जा रहा है।"

(IV) नियम 15 में,-

(i)उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नियम 16 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निकासी संस्वीकृत की जा सकेगी-

(क)किसी अभिदाता की दस वर्ष की सेवा (सेवा की व्यवधान अवधिसहित,यदि कोई हो) पूरी होने के पश्चात या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो,उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थानों को कवर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यकतानुसार, यात्रा व्यय भी शामिल है; की लागत को पूरा करने के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित किसी अन्य संबंधीकी सगाई या विवाह, अंत्येष्टि या अन्य समारोहों से संबंधित अनिवार्य व्यय करने के लिए;

(ग) बीमारी (प्रसवावस्था) या किसी भी प्रकार की नि:शक्तता से संबंधित व्यय करने के लिए अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यकतानुसार,यात्रा व्यय भी शामिल है;

(घ) टेलीविजन,वाशिंग मशीन, रसोई गैस,गीजर और कंप्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए;

(ख) अभिदाता की सेवा के दौरान उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) साइट की लागत या दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा प्लॉट या फ्लैट के आवंटन के लिए किसी संदाय सहित अपने आवास के लिए एक उपयुक्त गृह के निर्माण या अधिग्रहण करने या तैयार फ्लैट खरीदने के लिए;

(ख) अपने आवास के लिए एक उपयुक्त गृह का निर्माण करने या अधिग्रहण करने या तैयार फ्लैट खरीदने के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि को चुकाने के लिए;

(ग) अपने आवास के लिए घर बनाने के लिए साइट खरीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण किसी बकाया राशि को चुकाने के लिए;

(घ) किसी अभिदाता के स्वामित्व वाले या अधिग्रहीत गृह या फ्लैट में पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए;

(ङ) पैतृक गृह या सरकार से लिए ऋण की सहायता से बनाए गए गृह के नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या रखरखाव करने के लिए;

(च) खंड (ग) के अधीन खरीदी गई जमीन पर घर बनाने के लिए;

(ग) किसी अभिदाता की दस वर्ष की सेवा (सेवा की व्यवधान अवधियों सहित, यदि कोईहो) पूरी होने के पश्चात्उसके खाते में जमा राशि सेनिम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर खरीदने के लिए, या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए;

(ख) मोटर कार की व्यापक मरम्मत या पूरी मरम्मत, मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर, मोपेड बुक करने के लिए डिपोजिट जमा करने के लिए;

(घ) अभिदाता के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्तिकी तारीख से दो वर्ष के भीतर किसी भी प्रयोजनके बिना खाते में जमा राशि निकालने के लिए।

टिप्पणी 1:- किसी अभिदाता को निम्न से अनधिक राशि की प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जा सकेगी-

(i) खंड (क) के उप-खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन खाते में जमा राशि का तीन-चौथाई और खंड (क) के उप-खंड (ग) के अधीन खाते में जमा राशिकानब्बे प्रतिशत से अधिक रकम नहीं;

(ii) खंड (ख) के अधीन, खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत;

(iii) खंड (ग) के अधीन, खाते में जमा राशि का तीन-चौथाई या वाहन की लागत, जो भी कम हो;

(iv) खंड (घ) के अधीन, खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत;

टिप्पणी 2:- इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी दी जा सकेगी और निकासी के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर संदाय किया जाएगा। तथापि, अभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या वस्तुत: उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में, इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी दी जा सकेगी और प्रत्याहरणके लिए आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर संदाय किया जाएगा।

टिप्पणी 3:- आवास के प्रयोजन के लिए किए गए प्रत्याहरण को गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से नहीं जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी 4:- इस नियम के अधीन अभिदाता द्वारा प्रत्याहरण के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए दी गई घोषणा के आधार पर प्रत्याहरण की मंजूरी दी जाएगी, और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

टिप्पणी 5:- खंड (ख) के उप-खंड (ख) के अधीन मंजूर प्रत्याहरण की रकम, पिछली प्रत्याहरण की रकम घटाकर,उप-खंड (क) के अधीन पिछली प्रत्याहरण की रकम के साथ आवेदन की तारीख को शेष रकम के नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सूत्रहोगा, 90/100 x (दिनांक को खाते में जमा शेष रकम और विचाराधीन गृह के लिए की गई पिछली प्रत्याहरणकी रकम) से पिछली प्रत्याहरण की रकम घटाएं।

टिप्पणी 6:- खंड (ख) के उप-खंड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति गृह या गृह निर्माण साइट पत्नी या पति के नाम होने पर भी दी जाएगी, परंतु यदि वह अभिदाता द्वारा किए गए नामनिर्देशन में भविष्य निधि की रकम प्राप्त करने वाला पहला नामनिर्देशिती है।

टिप्पणी 7:- इस नियम के अधीन समान प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी। किंतुपृथक संतान की शादी अथवा शिक्षा अथवा अलग-अलगहालातों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में परिवर्धन या परिवर्तन को समान प्रयोजन नहीं समझा जाएगा। एक संतान की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए वार्षिक आधार पर प्रत्याहरणकी अनुमति तब तक दी जा सकेगी जब तक कि संबंधित संतान पाठ्यक्रम जारी रखता है। खंड (ख) के उपखंड (क) या (च) के अधीन एक ही घर को पूरा करने के लिए दूसरी या उत्तरवर्तीप्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी 3 में दी गई निर्धारित सीमा तक दी जाएगी।

टिप्पणी 8:- यदि समान प्रयोजन के लिए और समान समय में नियम 12 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है, तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(ii) उप-नियम (2) में, 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर, 'विभागाध्यक्ष' शब्दरखा जाएगा।"

(V) नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी अभिदाता द्वारा किसी एक समय में नियम 15 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए खाते में जमा रकम से किया गया कोई प्रत्याहरण उसमें विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1:- नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (क) के अधीन अभिदाता की संबंधित संतान के पाठ्यक्रम जारी रखने तक वार्षिक प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी 2:- अभिदाता द्वारा किसी साइट या खरीदे गए घर या फ्लैट या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड, हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निर्मित घर या फ्लैट के लिए किस्तों में संदाय करने की दशा में,उसे जब कभी किसी किस्त का संदाय करने के लिए कहा जाए, तो प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक संदाय को नियम 16 के उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए एक पृथक प्रयोजन के लिए संदाय समझा जाएगा।";

(ii) उप-नियम (2) में, 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर,'विभागाध्यक्ष' शब्द रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (3) में,-

(क) खंड (क) में,'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर,'विभागाध्यक्ष' शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(VI) पांचवी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 3/2/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)]

विशाल कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि.96, तारीख 15.06.2022 द्वारा संशोधित किए गए।

1. का.आ.सं. 1814 तारीख 18.06.1988
2. का.आ.सं. 2002 तारीख 02.09.1989
3. का.आ.सं. 710, तारीख 4.03.1990
4. का.आ.सं. 3006, तारीख 17.11.1990
5. का.आ.सं. 3272, तारीख 8.12.1990
6. का.आ.सं. 146, तारीख 20.3.1993
7. का.आ.सं. 377, तारीख 10.2.1996
8. का.आ.सं. 379, तारीख 10.2.1996
9. का.आ.सं. 3228, तारीख 23.11.1996
10. का.आ.सं. 826, तारीख 25.4.1998
11. का.आ.सं. 2500, तारीख 5.12.1998
12. का.आ.सं. 2690, तारीख 16.9.2003
13. का.आ.सं. 1485(ई), तारीख 30.12.2003
14. का.आ.सं. 3682, तारीख 15.10.2005
15. का.आ.सं. 1529, तारीख 6.6.2009
16. का.आ.सं. 2689, तारीख 22.09.2009
17. का.आ.सं. 2869, तारीख 3.10.2010
18. का.आ.सं. 3091, तारीख 25.09.2012
19. का.आ.सं. 234(ई), तारीख 28.03.2014
20. सा.का.नि.96 (ई), तारीख 15.06.2022

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 22nd September, 2022

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960,-**

(I) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following clauses shall be inserted:

"(da) "Head of Department" means an authority specified in Schedule I to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person whom the President may, by order, specify in this behalf as Head of a Department;

(db) "Head of Office" means a Gazetted Officer declared as such under rule 14 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person whom the competent authority may, by order, specify in this behalf as Head of Office."

(II) in rule 12, for sub-rules (1) and (1A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) The Head of Office may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding amount of twelve months of pay or three-fourth of the amount at credit, whichever is less, for one or more of the following purposes namely:-

(i) to pay expenses in connection with the illness (confinement) or any disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(ii) to meet the cost of primary, secondary or higher education covering all streams and educational institutions and including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(iii) to pay obligatory expenses in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(iv) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source;

(v) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(vi) to purchase consumer durables such as Television, washing machines, cooking range, geysers and computers;

(vii) to meet the expenses on pilgrimage and for visiting places of eminence including any travel and tourism related activities;

(1A) The Head of Department may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(1B) An advance under sub-rules (I) and (IA) shall be sanctioned and paid not later than fifteen days from the date of submission of the application of advance:

Provided that, in emergent circumstances like illness of the subscriber or a member of his family or any person actually dependent on him, an advance under this sub-rule shall be sanctioned and paid not later than seven days from the date of submission of the application of advance.

(IC) An advance under sub-rules (1) and (1A) shall be sanctioned on the basis of a declaration by the subscriber explaining the reasons for seeking the advance and no documentary proof would be required to be furnished by him for this purpose."

(III) in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1)(a) an advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct:

Provided that such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects, and not more than sixty:

Provided further that a subscriber may, at his option, repay more than one installment in a month;

(b) each installment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit the fixation of such installments."

(IV) in rule 15,-

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the conditions specified in rule 16, withdrawals may be sanctioned by the Head of the Department. at any time-

(A) after the completion of ten years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:-

(a) meeting the cost of primary, secondary or higher education covering all streams and educational institutions including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) meeting the obligatory expenses in connection with betrothal or marriage, funeral or other ceremony of the subscriber, his family member or any other relation dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness (confinement) or any disability, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person dependent on him;

(d) meeting the cost of consumer durables such as Television, washing machines, cooking range, geysers and computers;

(B) during the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:-

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Society;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house or a house built with the assistance of loan from Government;

(f) constructing a house on a site purchased under clause (c);

(C) after the completion of ten years of service of a subscriber (including broken periods of service, if any) from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:-

(a) purchase of motor car or motor cycle or scooter, or repayment of loan already taken for the purpose;

(b) extensive repairs or overhauling of motor car, making deposit to book a motor car or motor cycle or scooter, moped;

(D) within two years before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose.

Note 1.- A subscriber may be permitted to withdraw an amount not exceeding-

(i) three-fourth of the amount standing at credit, under sub-clauses (a), (b) and (d) of clause (A) and an amount not exceeding ninety per cent. of the amount standing at credit under sub-clause (c) of clause (A);

(ii) ninety per cent. of the amount standing at credit, under clause (B);

(iii) three-fourth of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever is less, under clause (C);

(iv) ninety per cent. of the amount standing at credit under clause (D).

Note 2.- A withdrawal under this rule shall be sanctioned and paid not later than fifteen days from the date of submission of the application for withdrawal. However, in emergent circumstances like illness of the subscriber or a member of his family or any person actually dependent on him, a withdrawal under this rule shall be sanctioned and paid not later than seven days from the date of submission of the application for withdrawal.

Note 3.- A withdrawal for housing purpose will not be linked with the limits prescribed under House Building Advance rules.

Note 4.- A withdrawal under this rule shall be sanctioned on the basis of a declaration by the subscriber explaining the reasons for seeking the withdrawal and no documentary proof shall be required to be furnished by him for this purpose.

Note 5:- The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed ninety percent of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula shall be, 90/100 x (balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 6:- Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband, provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 7:- Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat shall not be treated as the same purpose. Withdrawal for meeting the cost of education of a child may be allowed on annual basis till the concerned child continues to pursue the course. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

Note 8:- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(ii) in sub-rule (2), for the word 'President' wherever it occurs, the words 'Head of the Department' shall be substituted."

(V) in rule 16,-

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 15 from the amount standing to his credit in the Fund shall not exceed the limit specified therein.

Note 1.- A withdrawal to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-rule (1) of rule 15, may be permitted annually so long as the concerned child of the subscriber continues to pursue the course.

Note 2.- In cases where a subscriber has to pay in installments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board, a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any installment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.";

(ii) in sub-rule (2), for the word 'President', the words 'Head of the Department' shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3),-

(a) in clause (a), for the word 'President' the words 'Head of the Department' shall be substituted;

(b) clause (c) shall be omitted.

(VI) the Fifth Schedule shall be omitted.

[F. No. 3/2/2017-P & PW (F)]

VISHAL KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification S.O. 3000, dated the 1st December, 1960 and last amended vide number G.S.R 96, dated the 15th June 2022.

1. S.O. No 1814 dated 18.06.1988
2. S.O. No 2002 dated 02.09.1989
3. S.O. No 710 dated 04.03.1990
4. S.O. No 3006 dated 17.11.1990
5. S.O. No 3272 dated 08.12.1990
6. S.O. No 146 dated 20.03.1993
7. S.O. No 377 dated 10.02.1996
8. S.O. No 379 dated 10.02.1996
9. S.O. No 3228 dated 23.11.1996
10. S.O. No 826 dated 25.04.1998
11. S.O. No 2500 dated 05.12.1998
12. S.O. No 2690 dated 16.09.2003
13. S.O. No 1485 (E) dated 30.12.2003

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:-10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के लागू होने से संबंधितउपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। नियम 2 के अनुसार, ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर,जो पेंशनी स्थापनों के हों, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं,परलागू होंगे।

2. ये नियम 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। तथापि, ये नियम 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर भी निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे:

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी पर, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व प्रवेश प्रेरण प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात् 31 दिसंबर 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर नियुक्ति की गई, यदि प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना पद परनियमित रूप से नियुक्ति के लिए अनिवार्यशर्त था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी वेतन या वृति का पात्र था और प्रशिक्षण की अवधि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 केउपबंधों के अनुसार अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए पात्र थी।

(2) ऐसेसरकारी कर्मचारी पर, जिसे प्रारंम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था,-

(i) केंद्रीय सरकार के ऐसे किसी स्थापन या विभाग में जिसके कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन योजना द्वारा कवर किए गए थे; या

(ii) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकायमें जहां केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् केंद्रीय सरकार के किसी ऐसे स्थापन में नियुक्त किया गया, जिसे ये नियम लागू होते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि इन नियमों या इस संबंध में जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसारउक्त सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय के ऐसे स्थापन में दी गई सेवा की गणना के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो।

(3) ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर, यदि वह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष या सामान्य आदेश के अनुसार इन नियमों के तहत कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता हो।

(4) उन व्यक्तियों पर भी,जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, किंतु 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की ''अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियत प्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993'' के अनुसार अस्थायी हैसियत प्रदान की गई थी और इस तरह की अस्थायीहैसियत के बाद बिना किसी व्यवधान के, सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति हो गई है।इसके अतिरिक्त, नियम 15 के उपबंधों के अनुसार, ऐसासरकारी कर्मचारी,जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी हैसियत प्रदत्त की गई थी और तत्पश्चात्भारत सरकार की "अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियतप्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993" के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित किया गया था,द्वारा'अस्थायी हैसियत' क्षमता में की गई सेवा का पचास प्रतिशत, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणनामें लिया जाएगा।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं या पदों पर 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 द्वारा कवर किया गया हो, की मृत्यु होने या अशक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त होने की स्थिति में नियम 39 के अधीन अशक्त पेंशन और नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन, यथास्थिति सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार को देय होगी, यदि सरकारी कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन इस आशय का विकल्प चुना है या जिसके मामले में इन नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत हितलाभ के लिए डिफ़ाल्ट विकल्प उपलब्ध है।

3. ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जिसे संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था, जो अधिष्ठायी रूप से नियुक्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए या सेवा से निवृत्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन हितलाभ, केंद्रीय सिविल सेवा(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 में निहित उपबंधों के विस्तार तक सरकारी कर्मचारी को देय होंगे।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 केलागू होने से संबंधित उपबंधों का सभी सरकारी कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु,इन्हें विशेष रूप से मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated : 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding applicability of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 2, these Rules are applicable to the Government servants, including civilian Government servants in the Defence Services, appointted substantively to civil services and posts in connection with the affairs of the Union which are borne on pensionable establishments.

2. These Rules are applicable to the Government servants appointed on or before 31st day of December, 2003. However, the Rules are also applicable to Government servants appointed after 31st December, 2003 in following cases:

(1) A Government servant who was put on induction training on or before 31st day of December, 2003 followed by appointment on regular basis after 31st day of December, 2003 if completion of the induction training was an essential condition for appointment on regular basis to the post, the Government servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training and the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(2) A Government servant who was initially appointed on or before 31st December, 2003,-

(i) in an establishment or Department of the Central Government whose employees were covered by a pension scheme other than the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972; or

(ii) in a State Government or an autonomous body under the Central Government or State Government having a non-contributory pension scheme similar to the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972,

and was subsequently appointed after 31st December, 2003 in an establishment of a Central Government to which these rules apply, subject to the condition that the said Government servant fulfils all other conditions for counting of service rendered in such establishment of the Central Government or State Government or autonomous body, in accordance with these rules or any general or special order issued in this regard.

(3) A Government servant appointed after 31st December, 2003 to a civil service or post in connection with the affairs of the Union, if he fulfils the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by the Government in this regard.

(4) Persons who were regularly appointed in Government service after 31st December, 2003 but were conferred temporary status on or before 31st December, 2003 in accordance with the "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme of Government of India, 1993" notified by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in Government service. Further, as per the provisions of rule 15, fifty percent of the service rendered in 'temporary status' capacity by a

Government servant, who was conferred temporary status on or before 31st December, 2003 and was subsequently regularised in Government service, in accordance with the "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme of Government of India, 1993), shall count as qualifying service for the purpose of these rules.

(5) Where in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation in the case of a Government servant who, having been appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union after 31st day of December, 2003, is covered by the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the benefits of Invalid Pension under rule 39 and Family Pension under rule 50 shall be payable to the Government servant or his family, as the case may be, if the Government servant had exercised an option to this effect under rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 or in whose case the default option is for availing benefits under these rules or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

3. The cases of Government servants appointed in temporary capacity to civil services and posts in connection with the affairs of the Union on or before 31st day of December, 2003, who retired or were retired before having been appointed in a substantive capacity, the benefits under these rules shall be payable to the Government servant to the extent provided in the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding applicability of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be given wide publicity to all Government servants and more particularly to the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनसेवानिवृत्ति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविलसेवा(पेंशन)नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। नियम 2 के अनुसार, ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर, जो पेंशनी स्थापनों के हों, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, पर लागू होंगे।

2. नियम 5 के उप-नियम(2) में यह प्रावधान है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है,वह दिन उसके उसका कार्य का अंतिम पूर्ण दिन माना जाएगा और मृत्यु की तारीख भी कार्य का दिन मानी जाएगी। तथापि, ऐसे सरकारी कर्मचारीकी दशा में, जो अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित था अथवा निलंबित था, उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु का दिन ऐसे अवकाश या अनुपस्थिति या निलंबन का हिस्सा होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार,सेवानिवृत्ति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी
(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding treatment of the day of retirement/resignation/death under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of those rules in force at the time when a Government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be.

2 Sub-rule (2) of Rule 5 provides that the day on which a Government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as his last completed working day and the date of death shall also be treated as a completed working day. However, in a case where the Government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding treatment of the day of retirement/resignation/death as working day or otherwise may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविलसेवा(पेंशन)नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 6 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी एक ही सेवा या पद पर एक ही समय में या एक हीलगातार सेवा करके दो पेंशनें नहीं ले सकता है। नियम 6 में आगे और प्रावधान है कि नियम 19 या नियम 20 में दिए गए उपबंध के अतिरिक्त (अर्थात किसी सिविल सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्ति के पश्चात्, 31 दिसंबर, 2003 से पूर्व पुनर्नियोजित किया गया था या कोई सैन्य पेंशनभोगी जो 31 दिसंबर, 2003 से पूर्व सिविल सेवा में पुनर्नियोजित किया गया था), पुनर्नियोजितसरकारी कर्मचारी अपने पुनर्नियोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा। अतः, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ हो या जो सेवा से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने पर अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा होऔर जिसे तत्पश्चात्पुनर्नियोजितकिया जाता है, अपने पुनर्नियोजनकी अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा।

2. तथापि, नियम6 में यह प्रावधान है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो पूर्व में किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुमति के साथ, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, तो उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसे प्राप्त पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त सरकार में की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा, परंतु यह और कि स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा और सरकार के अधीन की गई सेवा की बाबतउपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा और सरकार से सेवानिवृत्ति पर मिली परिलब्धियों पर विचार करते हुए अनुज्ञेय होती। ऐसे मामलों में, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा के लिए पेंशन, यदि कोई हो, संबंधित स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ही संदत्त की जाएगी और सरकार के अधीनकिसी सेवा

में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उक्त स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की पेंशन के लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

3. किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुमति के साथ नियुक्त किया गया माना जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्व अनुमति के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था तथा स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी यथास्थिति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, की उचित अनुमति के साथ सरकार में पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 6 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service. Rule 6 further provides that except as provided in rule 19 or rule 20 (i.e. in the case of a civil Government servant who, after retirement on compensation pension or invalid pension, was re-employed before 31st December, 2003 or a military pensioner who was re-employed in civil service before 31st December, 2003,), a re-employed Government servant shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment. Thus a Government servant who, having retired on a superannuation pension or retiring pension or compulsory retirement pension or who is in receipt of a compassionate allowance on having been dismissed or removed from service, is subsequently reemployed, shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

2. Rule 6, however, provides that a Government servant who was previously appointed in an autonomous body or a public sector undertaking and was subsequently appointed, with proper permission of that body or undertaking, in the Government service on or before 31st December, 2003, will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the Government in addition to the pension and gratuity, if any, received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking subject to the condition that the total amount of gratuity in respect of the service rendered in the autonomous body or the public sector undertaking and the service rendered under the Government shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the Government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the Government and the emoluments on retirement from Government. In such cases, pension, if any, on account of service rendered in an autonomous body or a public sector undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself and there shall be no liability on the part of the Government towards pension for the service rendered by the Government servant in the said autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the Government.

3. A Government servant shall be deemed to have been appointed in the Government with proper permission if he had applied for the service or post in the Government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking, as the case may be.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a Government servant may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनकिसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंबपेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 7 के अनुसार,यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा। नियम 7 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण(क) के अनुसार 'पेंशन' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है और 'पेंशनभोगी' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशनभोगी भी है। तदनुसार, यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो कुटुंब पेंशनभोगी को दी गई कुटुंब पेंशन भी रोकी या प्रत्याहृत की जा सकेगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंबपेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

आर.सी. सेठी

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious crime or on being found guilty of grave misconduct, under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 7 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the Appointing Authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. As per the Explanation (a) below Rule 7, the expression 'pension' includes family pension and the expression 'pensioner' includes family pensioner. Accordingly, family pension payable to a member of the family may also be withheld or withdrawn if the family pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious crime or on being found guilty of grave misconduct may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनविभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकनेके संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के मामलों में अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति देने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां केंद्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति के पश्चात जारी रखी गई हों, अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

ii. लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगाजो सरकारी कर्मचारीकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या, यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक उसकी अर्हक सेवा के आधर पर उसे अनुज्ञेय होती।

iii. अनंतिम पेंशन उस अवधि के लिए प्राधिकृत की जाएगी जो सेवानिवृत्ति कीतारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक,जिसमें वो तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात्सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।

iv. सरकारी कर्मचारी को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।

v. अनंतिम पेंशन या उपदान रोकनेसे संबंधित उपबंधवहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्धअवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्धविभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक वस्तुतः संस्थितनहीं की गई हैं या संस्थित किया गया नहीं समझा गया है। ऐसे मामलों में, नियम 63 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया जाएगा। तथापि, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात्संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां उपरोक्त पैरा 3 के उपबंधों के अधीन होगी।

vi. अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को संस्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट

अवधि के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार, विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकने, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of departmental/judicial proceedings under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 8 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the following are the provisions regarding sanction of provisional pension in cases where departmental or judicial proceedings are pending:

(i) In the case of a retired Government servant against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 are continued after retirement, a provisional pension shall be sanctioned.

(ii) The Accounts Officer shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the Government servant, or if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.

(iii) The provisional pension shall be authorised during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority.

(iv) No gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.

(v) The provisions regarding provisional pension or withholding of gratuity shall not be applicable where allegations of misconduct are under investigation against a Government servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a Government servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted till the date of retirement of the Government servant. The pension and gratuity in such cases shall be authorised to be paid to the Government servant on his retirement in accordance with rule 63. However, the provisions brought out in para 3 above shall apply to any departmental proceedings instituted after retirement of the Government servant.

(vi) Payment of provisional pension shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such Government servant upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of departmental/judicial proceedings may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,नई दिल्ली-110003
दिनांक 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने पर अशक्त पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 39 में किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो सरकारी कर्मचारी को सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, के लिए अशक्त पेंशन के आवेदन की स्वीकृति/प्रक्रमण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निहित है। नियम 39 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि अशक्त पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी विभागाध्यक्षद्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

2. नियम 39 में यह भी प्रावधान है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवा से सेवानिवृत होता है, उसे भी अशक्त पेंशन प्रदान की जायेगी तथा उसकेमामले में, पेंशन की रकम की संगणना भी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के आधार पर, नियम 44 के अनुसार जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद है, की जाएगी यदि सरकारी कर्मचारी की -(क) सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और ऐसे चिकित्सा प्राधिकरी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया है; तथा (ख) अशक्त पेंशन की अनुज्ञा के लिए इस नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है किकेंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 39के अनुसार अशक्त पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मंजूर करने और दस वर्ष से कम की अर्हक सेवा वाले सरकारी कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी. सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Invalid Pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on retirement from Government service on account of any bodily or mental infirmity.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 39 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 lays down the detailed procedure for acceptance/processing of application for Invalid Pension on account of any bodily or mental infirmity, which permanently incapacitates the Government servant for the service. Rule 39 inter alia provides that the Head of Department may accept an application for retirement on Invalid Pension submitted by the spouse of the Government servant failing which by a member of the family of the Government servant, if he is satisfied that the Government servant himself is not in a position to submit such application.

2. Rule 39 also provides that a Government servant, who retires from service even before completing qualifying service of ten years, shall also be granted invalid pension and, in his case, the amount of pension shall also be calculated at fifty percent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him in accordance with rule 44 if the Government servant- (a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the Government service and declared fit by such medical authority for Government service; and (b) fulfils all other conditions mentioned in this rule for grant of invalid pension.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 39 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding acceptance of application for Invalid Pension submitted by the spouse/family members of the Government servant and grant of Invalid Pension to a Government servant with less than 10 years' qualifying service may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनशास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारी कोअनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के नियम 40 के अनुसार, शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत किए गए सरकारी कर्मचारी को, ऐसी शास्तिं अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही की, ऐसी दर पर दो-तिहाई से अन्यून और ऐसी पूरी अधिवर्षिता पेंशन या उपदान या दोनों जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, अनधिक हो, मंजूरी दी जा सकेगी।

2. नियम 40 में यह भी प्रावधान है कि पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी किया जाएगा और जहां पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित ऐसा आदेश यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी को पूर्ण अधिवर्षिता पेंशन और उपदान की दो-तिहाई दर पर अनंतिम पेंशन और अनंतिमउपदान यथाशीघ्र संस्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात्, अंतिम पेंशन और उपदान संदाय करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी किया जाएगा। अंतिम पेंशन और उपदान के संदाय होने तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है किकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 40 के अनुसारअनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मात्रा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मात्रा के संबंध में अंतिम आदेश जारी होने तक अनंतिम पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी. सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Compulsory retirement pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is compulsorily retired from service as a penalty.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 40 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or retirement gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full superannuation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

2. Rule 40 also provides that the order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted may be issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement and where such an order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted is not issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement, a provisional pension and a provisional gratuity at a rate of two thirds of full superannuation pension and gratuity shall be sanctioned to the Government servant immediately. Thereafter, the order for grant of final pension and gratuity shall be issued in consultation with Union Public Service Commission, where necessary, within three months from the date of issue of the order imposing the penalty of compulsory retirement. The provisional pension shall continue to be paid till the payment of final pension and gratuity.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 40 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding quantum of Compulsory Retirement Pension and sanctioning of provisional pension till issue of final order regarding quantum of Compulsory Retirement Pension may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनसेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए सरकारी कर्मचारी को अनुकंपा भत्तेकी मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 24 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने सेउसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी। नियम 41 में और आगे यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा। तथापि यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों ही की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्ता संस्वीकृत कर सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता।

2. नियम 41 में यह प्रावधान भी है किसक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जा सकता है और इस बाबत, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर निर्णय लेगा। सक्षम प्राधिकारी,-प्रत् सेवा से पदच्युत करने या हटाने के (क)येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकंपा भत्ते की संस्वीकृति के लिए विशेष विचार करने लायक है और, यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी। इस प्रयोजन के लिए (ख), सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथसाथ-, वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा। (ग)आपवादिक परिस्थितियों में, अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।

3. ऐसे मामलों में,जहां सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी नेयह जांच ,उस समय , दिय नहीं की या निर्णय नहीं लिया कि उस मामले में कोई अनुकंपा भत्ता◌ा जाना चाहिए था या नहींवे प्राधिकारी , इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास के भीतर इस बाबत निर्णय ले सकेंगेऔर ऐसा सरकारी कर्मचारी जिस पर इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व सेवा से ,पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थीकृत नहीं संस्वी तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अनुकंपा भत्ताउसे उपर्युक्त , किया जा सकेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 41 के अनुसार अनुकंपा भत्तेकी मंजूरीके लिए परिस्थितियां, अनुकंपा भत्तेकी मात्रा और वह अवधि जिसके भीतर अनुकंपा भत्तेकी मंजूरी दी जा सकेगी, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Compassionate allowance under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is dismissed or removed from service.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 24 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, dismissal or removal of a Government servant from a service or post shall entail forfeiture of his past service. Rule 41 further provides that a Government servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity. However, if the case is deserving of special consideration, the authority competent to dismiss or remove him from service may, sanction a compassionate allowance not exceeding two - thirds of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on superannuation pension.

2 Rule 41 also provides that the competent authority shall, either on its own or after taking into consideration the representation of the Government servant, if any, examine whether any compassionate allowance is to be granted and take a decision in this regard within three months from the date of issue of the order imposing the penalty of dismissal or removal from service. The competent authority shall consider,- (a) each case of dismissal and removal from service on its merit to decide whether the case deserves of special consideration for sanction of a compassionate allowance and, if so, the quantum thereof. (b) the actual misconduct which occasioned the penalty of dismissal or removal from service and the kind of service rendered by the Government servant. (c) in exceptional circumstances, factors like family members dependent on the Government servant along with other relevant factors.

3. In cases where an order imposing the penalty of dismissal or removal from service was issued before the date of commencement of the CCS(Pension) Rules, 2021 rules (i.e. 20th December 2021) and the competent authority, at that time, did not examine or decide whether or not any compassionate allowance was to be granted in that case, that authority was required to take a decision in this regard within six months from the date of commencement of those rules and no compassionate allowance shall be sanctioned after the expiry of the aforesaid period of six months, to a Government servant on whom a penalty of dismissal or removal from service was imposed before the date of commencement of these rules.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 41 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding the circumstances in which Compassionate Allowance may be granted, the quantum of Compassionate Allowance and the period within which Compassionate Allowance is to be sanctioned may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 45 के उप-नियम(1)(क) के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो नियम 44 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान देय है। सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, उसकी परिलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुना के अधीन रहते हुए अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर है।

2. किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके कुटुंब को मृत्यु उपदान नियम 45(1)(ख) में दी गई सारणी में दी गई दरों पर देय है।

3. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 31 के अनुसार संगणित की जाती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, कम कर दी गई है तो नियम 32 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियां, परिलब्धियां मानी जाती हैं। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की रकम की गणना के लिए सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता परिलब्धियां माना जाता है। नियम 45 के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की अधिकतम रकम बीस लाख रुपये है।

जारी.

4. नियम 45 के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाता है और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Retirement Gratuity and Death Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (1)(a) of Rule 45 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, retirement gratuity is admissible on retirement of a Government servant, who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under Rule 44. The amount of retirement gratuity is equal to one-fourth of the emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16½ times the emoluments.

2. On death of a Government servant while in service, the death gratuity is payable to his family at the rates given in the Table in Rule 45(1)(b).

3. The emoluments for the purpose of retirement/death gratuity are reckoned in accordance with rule 31. If the emoluments of a Government servant have been reduced during the last ten months of his service, average emoluments as referred to in rule 32 are treated as emoluments. Dearness allowance admissible on the date of retirement or death is also treated as emoluments for calculating the amount of retirement/death gratuity. The maximum amount of retirement gratuity or death gratuity admissible under Rule 45 is twenty lakh rupees.

4. In calculating the length of qualifying service under Rule 45, fraction of a year equal to three months and above is treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service. In the case of a Government servant who has rendered a qualifying service of four years and nine months or more but less than five years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be five years and he shall be eligible for retirement gratuity.

Contd.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of Retirement Gratuity and Death Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन-के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 46, नियम 45 के अधीन देय उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;

(ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी हैं;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जारी-

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

(x) विवाहित पुत्रियां; और

(xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है:

नियम 46 अन्य बातों की साथ-साथ यह भी प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्तानुसार सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक या एक से अधिक सदस्य है तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

4. सरकारी कर्मचारी नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक के अंश की रकम को विनिर्दिष्ट करेगा। अन्य व्यक्ति (वैकल्पिक नामिती) का नाम और विवरण जिसे नामनिर्देशन पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही हो जाए अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान की रकम प्राप्त करने से पूर्व हो जाए।

जारी -

5. जहां नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब न हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा यदि उस सरकारी कर्मचारी का बाद में कोई कुटुंब हो जाये। अविवाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।

6. यह सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब है, तो नामनिर्देशन कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। वह नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी करेगा। नामनिर्देशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Nominations for payment of Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 46 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with nominations for conferring the right to receive gratuity payable under rule 45.

2. As per Explanation below Rule 45, family for the purpose of payment of gratuity means:

(i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male Government servant;

(ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female Government servant;

(iii) sons including stepsons and adopted sons;

(iv) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters;

(v) widowed or divorced daughters including stepdaughters and adopted daughters;

(vi) father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(vii) mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;

(ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters;

Contd-

(x) married daughters; and

(xi) children of a pre-deceased son.

Rule 46 inter alia provides that if the Government servant has one or more members of family as mentioned above, the nomination shall be in favour of any member or members of his family.

3. If the Government servant has no family, the nomination can be made in favour of a person or persons, or a body of individuals, whether incorporated or not.

4. The Government servant shall specify in the nomination the share of each nominee. The Government servant shall also specify the name and details of the other person(s) (alternate nominee) to whom the right conferred on a nominee shall pass if the nominee predeceases the Government servant or dies after the death of the Government servant but before receiving the payment of gratuity.

5. Where a Government servant has no family at the time of making a nomination, any nomination made by the Government servant in favour of a person or a body of individuals shall become invalid, if the Government servant subsequently acquires a family. Nomination made by an unmarried Government servant in favour of any member of his family shall not become invalid on his or her marriage, unless the Government servant cancels the earlier nomination and files a fresh nomination.

6. It is the responsibility of the Head of Office to verify that the nomination made by the Government servant is in accordance with the provisions of this rule and, if the Government servant has a family, the nomination made is in favour of one or more members of the family. The Head of Office may, however, authorise his subordinate Gazetted Officers to countersign nomination forms of non-gazetted Government servants. The Head of Office or the authorised officer shall, thereafter, countersign the nomination indicating the date of receipt and keep it under his custody. He will also make suitable entry regarding receipt of nomination in the service book of the Government servant concerned. A duly signed copy of the nomination form shall be returned to the Government servant for keeping it in his safe custody.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding nominations for Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/ Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 47 किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उपदान के संदाय से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम 47(1)(ख) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उपदान का संदाय, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नामनिर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;

(ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति भी हैं;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जारी-

यदि ऊपर उल्लिखित कुटुंब के ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं हैं, तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

(x) विवाहित पुत्रियां; और

(xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

3. उपरोक्त प्रावधान उन मामलों में भी लागू होते हैं जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान प्राप्त किए बिना हो जाती है।

4. यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है तथा अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता है और-(क) कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, या (ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी। तथापि, मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का संदाय उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिया गया है।

जारी-

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान के संदाय के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 47 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of gratuity in the event of death of a Government servant.

2. In accordance with Rule 47(1)(b) read with the Explanation below Rule 45, on death of a Government servant, the gratuity shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred by means of a nomination. In case there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the gratuity shall be paid to all surviving members of the family falling in the following categories, in equal shares:

(i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male Government servant;

(ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female Government servant;

(iii) sons including stepsons and adopted sons;

(iv) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters;

(v) widowed or divorced daughters including stepdaughters and adopted daughters;

If there are no such surviving members of the family as mentioned above, the gratuity shall be paid to all surviving members of the family falling in the following categories, in equal shares :

(vi) father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

contd-

(vii) mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;

(ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters;

(x) married daughters; and

(xi) children of a pre-deceased son.

3. The above provisions also apply in cases where a Government servant dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

4. If a Government servant dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and leaves behind no family and – (a) has made no nomination, or (b) the nomination made by him does not subsist, the amount of retirement gratuity or death gratuity shall lapse to the Government. However, the amount of death gratuity or retirement gratuity may be paid to the person in whose favour a Succession Certificate in respect of the gratuity in question has been granted by a Court of Law.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,

(As per standard list)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 65 **उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज** से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 नियम के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहां उन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है अथवा जहां पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय के प्राधिकार में विलंब किया गया है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर पर और ऐसी रीति में ब्याज संदत्त किया जाएगा। तथापि, यदि संदाय में विलंब, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन या कुटुंब पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण हुआ है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान(अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान सहित) के विलंबित संदाय के सभी मामलों पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो ब्याज का संदाय उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

जारी-

4. विभाग या कार्यालय उस सरकारी कर्मचारी या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, ब्याज का संदाय सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा।

5. पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी, अर्थात:-

(क)अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान या दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ख) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त किये गए या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आमेलित अथवा सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेलन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से,पेंशन या उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(घ) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त न होने के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णतः या भागतः संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन और उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(ङ.) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती है, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

जारी-

(च) जहां प्राधिकृत पेंशन की रकम में वृद्धि होने के कारण सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा पेंशन या उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर संदत्त की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या पेंशन या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम, पेंशन या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन **उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज** के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 65 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of **interest on delayed payment of gratuity, pension and family pension.**

2. As per Rule 65 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in all cases where provisional pension or provisional family pension or provisional gratuity has not been sanctioned in accordance with those rules or where authorisation of payment of pension or family pension or gratuity has been delayed, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension or family pension or gratuity at the rate and in the manner as applicable to General Provident Fund amount. However, if the delay in payment was caused on account of failure on the part of the Government servant or the pensioner or the member of the family of the Government servant to comply with the procedure laid down by the Government for processing the pension or family pension case, no interest shall be payable.

3 All cases of delayed payment of pension or family pension or gratuity (including provisional pension or family pension or gratuity) in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer, not below the level of Joint Secretary to the Government of India, authorised by him for this purpose, and where the Secretary or the officer authorised by him is satisfied that the delay in the payment of pension or family pension or gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, payment of interest shall be authorised by him.

4. The Department or Office shall also fix the responsibility and take disciplinary action against the Government servant(s) who are found responsible for the delay on account of administrative lapses. Interest shall be paid within two months from the date on which it has been sanctioned by Secretary or the officer authorised by him without waiting for the outcome of the disciplinary proceedings, if any.

Contd.-

5. The period for which interest shall be payable for the delay in payment of pension or gratuity shall be determined in the following manner, namely:-

(a) In the case of a Government servant who retires on superannuation, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity or both;

(b) In the case of a Government servant who retires or is retired otherwise than on superannuation or is absorbed in a public sector undertaking or an autonomous body or dies during service or after retirement, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement or absorption or death, as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity;

(c) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and who is exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement up to the date of payment of arrears of pension and gratuity;

(d) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and despite him not having been fully exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, the competent authority decides to allow payment of pension and retirement gratuity, either in full or in part, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date of expiry of a period of three months from the date on which the order for payment of pension and gratuity is issued by the competent authority up to the date of payment of pension and gratuity.

(e) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and such departmental or judicial proceedings are dropped consequent on his death, interest shall be payable on arrears of pension, family pension and gratuity from the date of expiry of a period of three months from the date of death up to the date of payment of such arrears of pension, family pension and gratuity.

Contd.

(f) Where arrears of pension or gratuity become payable to a Government servant on account of enhancement of the amount of pension authorised or the amount of gratuity paid on retirement consequent on retrospective revision of emoluments or liberalisation in the provisions relating to grant of pension or gratuity, interest shall be payable on arrears of pension or gratuity to the Government servant from the date of expiry of a period of three months from the date of issue of the order revising the emoluments or liberalising the provisions relating to grant of pension or gratuity, as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding payment of **interest on delayed payment of gratuity, pension and family pension** under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

फा. सं.3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003
दिनांक: 11.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से संबंधित।

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबतसामान्य भविष्य निधि की अंशदान राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष में किसी अंशदाता के अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में किए अंशदान की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को दिनांक 15.06.2022 कीअधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया है।दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के तहत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित, आयकर नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उपखंड(i) में संदर्भित सीमा, (वर्तमान में पांच लाख रुपये)से अधिक नहीं होगी [वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604(ग)द्वारा यथाअंतस्थापित]।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि किसी वित्तीय वर्ष में जीपीएफ के तहत अंशदान की सीमा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के उक्त संशोधित उपबंधों का सभी सरकारी कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें विशेष रूप से मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य भविष्य निधि का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

F.No. 3/6/2021-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
dated: 11.10.2022

Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (GPF) in a financial year- regarding.

In accordance with General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. However, there was no ceiling on the total amount of subscription of a subscriber into his GPF account in a financial year.

2. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 have been amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial years together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

3. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions of the GPF Rules, 1960 regarding limit of subscription under GPF in a financial year by a subscriber may be given wide publicity to all Government servants and, more particularly, to the personnel dealing with the GPF matters in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there-under, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to the Govt of India

All Ministries/Departments/Organisations
(as per standard list)

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मूल बेसिक पेंशन पर देय महंगाई राहत के संबंध में स्पष्टीकरण- संबंधी

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 के अनुसार, नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों सहित पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के सापेक्ष पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत, ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, महंगाई राहत के रूप में दी जाती है।

2. इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या महंगाई राहत मूल बेसिक पेंशन पर देय है या संराशीकरण के पश्चात घटाई गई पेंशन पर भी देय है। यह स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई राहत संराशीकरण से पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर या वेतन आयोग इत्यादि की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित किए गए संराशीकरण से पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर देय है और संराशीकृत पेंशन की कटौती के पश्चात घटाई गई पेंशन पर देय नहीं है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/1
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 25th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Clarification regarding Dearness Relief payable on Original Basic Pension -reg

In accordance with Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021, Dearness Relief on Pension and Family Pension against price rise is granted to Pensioners including the persons drawing compassionate allowance under Rule 41 and Family Pensioners at such rates and subject to such conditions as the Central Government may specify from time to time.

2. References/Representations have been received in this Department seeking clarification whether the Dearness Relief is payable on original basic pension or on pension as reduced after commutation. It is clarified that dearness relief is payable on the original basic pension before commutation or such basic pension before commutation as revised on implementation of recommendations of Pay Commission etc. and not on the pension as reduced after deduction of commuted pension.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू (डी)/2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होता है, के लिए संराशीकृत मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण।

मूल नियम [एफआर-56(क)] के परंतुक के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

2. इस विभाग में इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होता, कौन-सा संराशीकरण मूल्य लिया जाए।

3. ऐसे मामलों में, पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से देय हो जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली के नियम 6(1)(i-क) के अनुसार, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पूर्ण हो जाएगा। अतः सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के संराशीकरण के लिए पात्र होगा और वर्ष की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य अगले जन्मदिन की आयु पर क्रय किया जाएगा।

4. तदनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं, अगले जन्मदिन पर आयु 61 वर्ष होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां जन्म तिथि किसी महीने की पहली तारीख है और सरकारी कर्मचारी पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न को सेवानिवृत्त होता है। अतः ऐसे मामलों में 61 वर्ष (अर्थात अगले जन्मदिन पर आयु) का संराशीकरण मूल्य लागू होगा।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/2
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 25th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Clarification regarding commutation value for Government servant whose date of birth is the first of a month and who retires on the afternoon of the last day of the preceding month-reg

In accordance with proviso to Fundamental Rule [FR-56(a)], a Government servant whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

2. References/Representations have been received in this Department seeking clarification as to which commutation value is to be taken in cases where a Government servant whose date of birth is first of a month and who retires from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

3. In such cases, pension becomes due from the day following the date of retirement. Further, as per Rule 6(1)(i-a) of CCS(Commutation of Pension) Rules, the commutation of pension shall become absolute on the day following the date of retirement. Therefore, the retiring Government servant will be eligible for commutation of pension on the day following the date of his retirement and the commutation value expressed as number of year's purchase will be age on next birthday.

4. Accordingly, in the case of such Government servants who retire on attaining the age of 60 years, the age next birthday will be 61 years, including in cases where the date of birth is first of a month and the Government servant retires on the afternoon of the last day of the preceding month. Therefore, the commutation value of 61 years (i.e age on next birthday) will be applicable in this case.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/3

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सेवानिवृत्ति के पश्चात संराशीकरण के लिए ली जाने वाली पेंशन के संबंध में स्पष्टीकरण।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है।

2. प्राय: यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि किस पेंशन अर्थात सेवानिवृत्ति के समय अधिकृत पेंशन या तत्पश्चात संशोधित पेंशन और संराशीकरण के लागू होने पर देय पेंशन, को संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी।

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 के अनुसार, ऐसे आवेदक को, जिसने अपनी अंतिम पेंशन का कोई प्रतिशत संराशीकृत किया है और संराशीकरण के पश्चात उसकी पेंशन सरकारी विनिश्चय के परिणामस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित की गई है और बढ़ा दी गई है, बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश से अवधारित संराशीकृत मूल्य और पहले से अधिकृत संराशीकृत मूल्य के बीच के अंतर का संदाय किया जाएगा। अंतर के संदाय के लिए आवेदक से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

4. इस विभाग के दिनांक 24.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/14/2016-पी&पीडब्लू(जी) में यह प्रावधान है कि वे पेंशनभोगी. जो दिनांक 01.01.2016 से 04.08.2016 तक अर्थात 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन/पेंशन के लिए आदेश जारी करने की तिथि से सेवानिवृत्त हुए हैं, को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से संराशीकृत पेंशन का संराशीकरण नहीं करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 में छूट देने का विकल्प दिया जा सकता है। जिन मामलों में 7वें वेतन आयोग के बाद अतिरिक्त पेंशन पहले ही संराशीकृत कर दी गई है, उन पर दोबारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. ऐसे मामलों में जहां पेंशन दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त होने पर अधिकृत की गई थी और पेंशनभोगी ने दिनांक 01.01.2016 को या उसके पश्चात संराशीकरण के लिए आवेदन किया था, पेंशन जो मूल रूप से सेवानिवृत्ति के समय संस्वीकृत की गई थी, को ही संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No.42/15/2022-P&PW(D)/3
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 25th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Clarification regarding pension to be taken for commutation after retirement-reg

In accordance with Rule 5 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, a Government servant can commute for a lump-sum payment of an amount not exceeding 40 per cent of his pension.

2. Doubts have been raised as to which pension i.e pension authorized at the time of retirement or the pension revised subsequently and payable at the time of application for commutation shall be allowed to be commuted.

3. As per Rule 10 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, an applicant who has commuted a percentage of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively as a result of Government's decision, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorized. For the payment of difference, the applicant shall not be required to apply afresh.

4. This Department's OM No. 42/14/2016-P&PW (G) dated 24.10.2016 provides that those pensioners who retired from 01.01.2016 till 04.08.2016 i.e the date of issue of orders for revised pay/pension based on the recommendations of the 7th CPC may be given an option, in relaxation of Rule 10 of CCS (Commutation of Pension), Rules, 1981, not to commute the pension which has become additionally commutable on revision of pay/pension on implementation of recommendations of the 7th CPC. The cases where the additional pension after 7th CPC has already been commuted will not be re-opened.

5. In cases where the pension was authorized on retirement before 01.01.2016 and the pensioner applied for commutation on or after 01.01.2016, the pension which was originally sanctioned at the time of retirement only shall be allowed to be commuted.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/4

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वेतन आयोग आदि की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में संशोधित पेंशन से संराशीकृत पेंशन की कटौती।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है।

2. इस प्रकार संराशीकृत पेंशन की राशि की कटौती उत्तरवर्ती मासिक पेंशनों से की जाती है। इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि ऐसे मामलों में पेंशन से कितनी राशि की कटौती की जाएगी जहां वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन होने पर पेंशन को संशोधित किया जाता है, आदि।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में, बाद में पेंशन का केवल वह हिस्सा/राशि जिसे मूल रूप से संराशीकृत किया गया था, संशोधित पेंशन से काटा जाएगा।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/4
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 25th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Deduction of commuted pension from the pension revised in implementation of recommendations of Pay Commission etc.

In accordance with Rule 5 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 a Government servant can commute for a lump-sum payment of an amount not exceeding 40 per cent of his pension.

2. The amount of pension so commuted is deducted from subsequent monthly pensions. References have been received in this Department as to what amount shall be deducted from pension in cases where the pension is subsequently revised on implementation of recommendations of Pay Commission, etc.

3. It is clarified that in such cases, the portion/amount of pension which was originally commuted shall only be deducted from the revised pension.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं.42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/5

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संराशीकृत पेंशन की बहाली से पूर्व किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में, शेष अवधि के लिए कुटुंब पेंशन से संराशीकरण के लिए कटौती किया जाना, के संबंध में स्पष्टीकरण-संबंधी।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10-क के अनुसार, नियम 6 के अनुसार संराशीकरण के कारण पेंशन घटने की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने पर पेंशन की संराशीकृत राशि बहाल की जाएगी।

2. इस विभाग में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या संराशीकृत पेंशन की बहाली से पूर्व किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर शेष अवधि के लिए कुटुंब पेंशन से संराशीकरण के लिए कटौती की जानी चाहिए।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में पेंशन की मासिक संराशीकृत राशि को कुटुंब पेंशन से काटने की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में बिना किसी कटौती के पूरी कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/5
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 25th Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Clarification regarding whether deductions towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in cases where the pensioner dies before the restoration of commuted pension-reg

In accordance with Rule 5 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, a Government servant can commute for a lump-sum payment of an amount not exceeding 40 per cent of his pension. Further, in accordance with Rule 10-A of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 the commuted amount of the pension shall be restored on completion of fifteen years from the date of reduction of pension on account of commutation becomes operative in accordance with Rule 6.

2. References/representations have been received in this Department seeking clarification whether deduction towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in cases where the pensioner dies before the restoration of commuted pension.

3. It is clarified that in such cases monthly commuted amount of pension is not required to be deducted from family pension and family pension shall be paid in full without any deduction in this regard.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं.-57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान अवधारित करने के लिए परिलब्धियां।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को शासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों सहित सरकार से अनिवार्य अंशदान की राशि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 5 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिवार्य अंशदान की राशि अवधारण करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'परिलब्धियों' में मूल नियम, 1922 के नियम 9(21)(क)(i) में यथापरिभाषित, किसी मास में मूल वेतन, चिकित्सा अधिकारी को देय निजी अभ्यास के बदले में गैर-अभ्यास भता और स्वीकार्य महंगाई भत्ता सहित शामिल है।

3. अभिदाता की छुट्टी के दौरान, परिलब्धियां निम्नानुसार अवधारित की जाएंगी:

(i) यदि कोई अभिदाता ड्यूटी से अनुपस्थित, छुट्टी पर था, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, तो परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित अवकाश वेतन और महंगाई भत्ते के राशि को ध्यान में रखा जाएगा। परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान

जारी-

वास्तव में आहरित वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ता की राशि को हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) यदि कोई अभिदाता किसी कैलेंडर मास के पुरे या किसी भाग के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी पर था, तो छुट्टी वेतन में उसका वेतन वेतन को दर्शाने वाली राशि, गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ता जो उसने मास के उस भाग के लिए वास्तव में आहरित किया, जिसके दौरान वह ड्यूटी पर था या छुट्टी पर था, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, परिलब्धियों के रूप में गणना किया जाएगा।

(iii) उन मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन के लिए, छुट्टी दी जाती है और ऐसे छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है, जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि, जिसमें छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर-अभ्यास भत्ता सम्मिलित हैं, के आधार पर अंशदान करेगी।

4. यदि कोई अभिदाता निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. भारत में प्रतिनियुक्ति के दौरान अभिदाता द्वारा आहरित वेतन को परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा। तथापि, विदेश सेवा या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में, वह वेतन जो वह सरकार के अधीन प्राप्त करता, यदि वह विदेश सेवा या इस तरह की प्रतिनियुक्ति पर न होता, तो उसे परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. ऐसे सेवानिवृत्त अभिदाता, जिसे सरकारी सेवा में पुनः नियोजित किया गया है और जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके पुनर्नियोजन पर वेतन उसकी मासिक पेंशन से अनधिक राशि कम कर दिया गया है, मासिक पेंशन का वह तत्व जो उसके वेतन से कम कर दिया गया था, परिलब्धियों में शामिल किया जाएगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान अवधारित करने के लिए परिलब्धियों के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से

जारी-

अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संबंधी मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Emoluments for determining mandatory contributions under National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 5 of these rules deals with emoluments for the purpose of determining the amount of mandatory contributions from employees as well as from Government under National Pension System.

2. In accordance with rule 5 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the expression `emoluments' for the purpose of determining the amount of mandatory contribution under the National Pension System includes basic pay as defined in rule 9 (21) (a) (i) of the Fundamental Rules, 1922, non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice and admissible dearness allowance in a calendar month.

3. During leave of subscriber, the emoluments shall be determined as under:

(i) If a Subscriber had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary actually drawn shall be taken into account for emoluments. The amount of pay, non-practicing allowance and dearness allowance, actually drawn during leave shall be taken into account as emoluments.

(ii) If a Subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave, during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, non-practicing allowance and dearness allowance in the leave salary which he actually drew for the part of that calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable, shall be taken into account for emoluments.

(iii) In cases where the leave is granted to the Subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution on the basis of notional emoluments comprising

Contd.

the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary and non-practicing allowance.

4. If a Subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month shall be taken into account for emoluments.

5. Pay drawn by a Subscriber while on deputation in India shall be taken into account for emoluments. However, in the case of a Subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the Government had he not been on foreign service or such deputation, shall be taken into account for emoluments.

6. Where a retired Subscriber, who is re-employed in Government service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which his pay is reduced shall be included in emoluments.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding emoluments for determining mandatory contributions under National Pension System for Central Government employees may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवाकाल के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी होने की दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने का अधिकार।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 8 को दिनांक 07.02.2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 770(अ) द्वारा संशोधित किया गया है। पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति, सभी मामलों में, पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का अधिकार, उस दशा में अपने पास आरक्षित रखते थे, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है।

2. संशोधित नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति का अनुमोदन केवल ऐसे पेंशनभोगी के पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश करने के लिए अपेक्षित होगा, जो ऐसे किसी पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसका नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति है, और अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश के लिए सक्षम होगा, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है। इसी प्रकार, ऐसा पेंशनभोगी जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी है, से सेवानिवृत्त हुआ, के मामले में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश करने के लिए सक्षम होगा। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है वहां यूपीएससी के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

3. संशोधित नियम 8(6क) में राष्ट्रपति के अलावा किसी प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों का पुनरीक्षण/समीक्षा करने के उपबंध क्रमश: नियम 8(7) और नियम 8(8) में किए गए हैं।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि जहां पेंशनभोगी अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाए, उस दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने के अधिकार से संबंधित उपर्युक्त संशोधित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Power to withhold or withdraw pension/gratuity in cases of grave misconduct or negligence during the period of service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 has been amended vide Notification No. GSR 770(E) dated 07.10.2022. As per earlier Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021, the President had the power, in all cases, to withhold/withdraw a pension/gratuity, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner was found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement.

2. As per the amended Rule 8, approval of President shall be required only for ordering withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from a post for which President is the appointing authority and, in other cases, Secretary of the Administrative Ministry or Department shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity, if the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service in any departmental or judicial proceedings. Similarly, the Comptroller and Auditor-General of India shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, for which an authority subordinate to the President is the appointing authority. Consultation with UPSC will also not be necessary in cases where the President is not the appointing authority

3. A provision for appeal against an order of an authority other than the President has also been made in the amended Rule 8(6A). Provisions for revision/review of the orders by the President have also been made in Rule 8(7) & Rule 8(8), respectively.

4. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions regarding power to withhold or withdraw pension/gratuity in case where the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 के नियम 44 के उप-नियम (1) के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियम 33(अधिवर्षिता पेंशन), नियम 34(सेवानिवृत्ति पेंशन), नियम 35(राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 36(निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 37(सरकारी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 38(सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन) या नियम 39(अशक्त पेंशन) के अधीन सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की मंजूरी का पात्र होगा। ऐसे सभी मामलों में पेंशन न्यूनतम नौ हज़ार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए, परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो परिकलित की जाती है।

2. उपरोक्त नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है, वह परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, परिकलित की गई अशक्त पेंशन के लिए भी पात्र होगा और उसके मामले में पेंशन की मंजूरी के लिए न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की शर्त लागू नहीं होगी यदि वह नियम 39 के उप नियम (9) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो।

3. अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित छमाही अवधि माना जाता है और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने नौ वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा दस वर्ष की होगी और वह तदनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तों से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount and conditions for grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (1) of Rule 44 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a Government servant, becomes eligible for grant of a pension on retirement under rule 33 (Superannuation Pension), rule 34 (Retiring Pension), rule 35 (Pension on absorption in or under a State Government), rule 36 (Pension on absorption in or under a corporation, company or body), rule 37 (Pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Public Sector Undertaking), rule 38 (pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Central Autonomous Body) or rule 39 (Invalid Pension), after completing a qualifying service of not less than ten years. The pension in all such cases is calculated at the rate of fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per month and maximum of one lakh twenty-five thousand rupees per month.

2. The above rule further provides that a Government servant who retires on Invalid Pension under rule 39 before completing a qualifying service of ten years shall also be eligible for an invalid pension calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him and the condition of completion of minimum qualifying service of ten years shall not be applicable for grant of pension in his case if he/she fulfils the conditions mentioned in sub-rule (9) of rule 39.

3. In calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to three months and above is treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service. In the case of a Government servant who has rendered a qualifying service of nine years and nine months or more but less than ten years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be ten years and he shall be eligible for pension according

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 44 के उप-नियम (6) के अनुसार, किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु होने के बाद, उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को निश्चित अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता संदेय है। इसी प्रकार, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (3) के अनुसार, किसी कुटुंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अतिरिक्त कुटुंब पेंशन संदेय है।

2. ऐसी अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन कैलेंडर मास, जिसमें यह देय होती है, के पहले दिन से संदेय होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 है, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा। किसी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की जन्मतिथि 1 अगस्त, 1942 है, तो वह भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का पात्र होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकारियों/बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount and conditions for grant of additional pension and additional family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (6) of Rule 44 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, after completion of eighty years of age or above by a retired Government servant, certain additional pension or additional compassionate allowance is payable to the retired Government servant. Similarly, in accordance with sub-rule (3) of Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, additional family pension is payable to after completion of eighty years of age or above of a family pensioner.

2. Such additional pension/family pension is payable from first day of the calendar month in which it falls due. For example, a pensioner/family pensioner born on 20th August, 1942 shall be eligible for additional pension/family pension at the rate of twenty percent of the basic pension/family pension with effect from 1st August, 2022. A pensioner/family pensioner born on 1st August, 1942 shall also be eligible for additional pension/family pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022.

3. All Ministries/Departments and Pension Disbursing Authorities/Banks are requested that the above provisions regarding grant of additional pension and family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं.- 57/03/2022-पी&पीडब्लू(बी)/8361

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर पुरानी पेंशन योजना के तहत हितलाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन विकल्प- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता या निःशक्तता के आधार पर उसके कार्य-निर्वहन की स्थिति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने से संबंधित है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

3. विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात उसे स्वीकृत करेगा और इसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखेगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण

जारी-

को, आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी। वेतन और लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में ब्यौरों को उपदर्शित करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेंगे।

4. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति पर, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा। कुटुंब के आकार में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।

5. अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प दे कर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखा अधिकारी ऊपर उल्लिखित आगे की कार्रवाई करेंगे।

6. अशक्तता या निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवामुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवामुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प सक्रिय हो जाएगा। जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया था और अभिदाता सेवामुक्ति के समय किसी विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को नीचे दिए गए पैरा 9 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और परिवार के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. जहां अभिदाता ने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम के उपबंधों के अनुसार, उसके कुटुंब को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में कुटुंब पेंशन दी जाएगी।

जारी

9. जहां कोई अभिदाता विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर अशक्तता या निःशक्तता होने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त किया जाता है, और सेवामुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम के उपबंधों के अनुसार, डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में अशक्तता पेंशन या निःशक्तता पेंशन दी जाएगी।

10. अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवामुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर कुटुंब का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

11. ऐसे मामलों में, जहां मृतक अभिदाता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन हितलाभों के लिए उपयोग किया गया विकल्प या डिफ़ॉल्ट विकल्प केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन कुटुंब पेंशन देने के लिए परिवार के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्वीकार्य हितलाभों को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

12. प्ररूप 1 और प्ररूप 2 की प्रतिलिपि भी संलग्न हैं।

13. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन विकल्प का प्रयोग करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में एनपीएस मामलों का निपटान करने वाले कार्यालयाध्यक्ष और कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

प्ररूप 1

सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या नि:शक्तता होने पर कार्यमुक्ति की दशा में फायदों का उपयोग करने के लिए विकल्प

[नियम 10 देखें]

* मैं, ... इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान नि:शक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत होने या मृत्यु होने की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939, के अधीन फायदों का संदाय मुझे या मेरे परिवार को किया जाए।

या

* मैं, ...इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान नि:शक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत होने या मृत्यु होने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन कॉर्पस के आधार पर, फायदों का संदाय यथास्थिति मुझे या मेरे परिवार को किया जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम------------------------------

कार्यालय जिसमें सेवारत है ------------------------------

दूरभाष सं.-----------------------

स्थान और तारीख:

इस विकल्प से पूर्व में मेरे द्वारा दिये गए किसी अन्य विकल्प को अधिक्रांत हो जाएंगे।

* जिस ऐसे फायदों को पूर्णतः काट दें जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना है।

(कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अधीन तारीख .... का विकल्प प्राप्त किया

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दिया गया..,

पदनाम.......................................

कार्यालय ....

प्राप्त विकल्प की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं. .... भाग ....में की गयी।

हस्ताक्षर,

कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्तकर्ता अधिकारी उपरोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे वह, उसकी मृत्यु/निःशक्तता होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्ररूप 2

कुटुंब के ब्यौरे

[नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

1. सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएँ और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता(चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा नि:शक्त सहोदरों(भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।

3. कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। नि:शक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं1(23)-पी&पीडबल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्रम सं	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतारीख दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं .... कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अदद्यतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हूँ।

ई-मेल:(वैकल्पिक)...................... स्थान ....

मोबाइल:(वैकल्पिक)........................ तारीख...................... (हस्ताक्षर)

आधार सं. देना वैकल्पिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो इसे केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 26th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Options under Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to avail benefits under old pension scheme on death of Government servant covered under National Pension System during service or his discharge from service on account of invalidation or disablement -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 10 of these rules deals with option to be exercised by every Central Government employee covered under National Pension System for availing benefits under National Pension System or old pension scheme in the event of death of Government servant during service or his discharge on the ground of invalidation or disablement.

2. In accordance with rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, every Government servant covered under the National Pension System shall, at the time of joining Government service, exercise an option in Form 1 for availing benefits under the National Pension System or under the Central Civil Service (Pension) Rules or the Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation. Government servants, who are already in Government service and are covered by the National Pension System, shall also exercise such option.

3. The option shall be exercised to the Head of Office who will accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book. A copy of the option shall be forwarded by the Head of Office to the Central Recordkeeping Agency through the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer for their record. The Pay and Accounts Officer shall also make suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the Government servant.

4. Every Government servant shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office. The Head of Office shall, on receipt of the Form 2, acknowledge receipt of the Form 2 and all further communications received from the Government servant in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get it pasted on the service book of the Government servant concerned.

Contd-

The Head of Office on receipt of communication from the Government servant regarding any change in the size of family shall also incorporate such a change in Form 2.

5. The option exercised may be revised at any number of times by the Subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office. On receipt of the revised option, the Head of Office and the Pay and Accounts Officer shall take further action as mentioned above.

6. A Subscriber who is discharged on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge. Where such Subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the Subscriber shall become operative. Where no option was exercised by the Subscriber and the Subscriber is not in a position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with para 9 below.

7 In the case of death of a Subscriber while in service, the last option exercised by the deceased Subscriber before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

8. Where a Subscriber who did not exercise an option and dies before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, his family will be granted family pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, as the case may be, as a default option.

9. Where a Subscriber is discharged from Government service on invalidation or disability before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules without exercising an option, and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he will be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules as the case may be, as default option;

10. In all other cases, where no option was exercised by the Subscriber, the claim of the Subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the Subscriber, shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as default option.

11. In cases where the option exercised by the deceased Subscriber or the default option for benefit under the Central Civil Services (Pension) Rules or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules becomes infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under the Central Civil Services (Pension) Rules or the Central Civil Services (Extraordinary

contd.

Pension) Rules, such option would be deemed to have become invalid and the benefits admissible under the National Pension System shall be granted to the legal heir(s) of the employee in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

12. Copy of Form 1 and Form 2 are also enclosed.

13. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding option to be exercised under Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 may be brought to the notice of the Government employees covered under NPS, Head of Offices and personnel dealing with the NPS matters in the Ministry/ Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

Encl. as above.

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

Form 1

OPTION TO AVAIL BENEFITS IN CASE OF DEATH OR DISCHARGE ON INVALIDATION OR DISABILITY OF GOVERNMENT SERVANT / SUBSCRIBER DURING SERVICE

[See rule 10)

* I, ..., hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, 1939 as the case may be, may be paid to me or my family.

OR

* I, ..., hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits may be paid to me or my family, as the case may be, based on the accumulated pension corpus in the Individual Pension Account under the National Pension System in accordance with the CCS(Implementation of National Pension System) Rules, 2021.

Signature of Government servant / Subscriber

Name--------------------------------------

Designation----------------------------

Office in which employed----------------------------

Telephone No.----------------------

Place and date:

This option supersedes any other option made by me earlier.

* Completely strike out the benefits for which option is not intended to be made.

(To be filled in by the Head of Office or authorised Gazetted Officer)

Received the option dated ...., under CCS(Implementation of National Pension System) Rules, 2021

made by Shri/Smt./Kumari...,
Designation...

Office...

Entry of receipt of option has been made in page ....Volume............of Service Book.

Signature,
Name and Designation of Head of Office or authorized Gazetted Officer with seal
Date of receipt.......................................

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death/ invalidation.

FORM 2
Details of Family
[See rule 10(3)]

Important

1. The original Form submitted by the Government servant / Subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the Government servant/retired Government servant / Subscriber alongwith the supporting documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Subscriber should submit the details of family afresh at the time of retirement.

2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. The retired Government servant shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under Dept. of P.& P.W., O.M No. 1 (23)-P.&P. W/91-E, dated the 4th November, 1992.

6. Copies of birth certificates to be attached. Copies of any other relevant certificates, if available, should be attached.

Name of the Government servant / Subscriber		Designation		Nationality	

Details of family members:

S.N.	Name (Please see notes below before filling)	Date of birth DD/MM/YYYY)	Aadhaar no.* (optional)	Relationship with Govt. servant/ retired Government servant / Subscriber	Marital status	Remarks	Dated signature of Head of Office

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

E-mail:(Optional) [ ] Place: [ ]

Mobile:(Optional) [ ] Date [ ] (Signature)

**Providing Aadhaar No. is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.*

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को, कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब का ब्यौरा प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें उसके कुटुंब(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) के निम्नलिखित सदस्यों से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे:

(i) पति/पत्नी, न्यायिक रूप से पृथक पति/पत्नी सम्मिलित है

(ii) पुत्र/पुत्री, चाहे प्ररूप 3 जमा करने की तारीख पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है या नहीं और सभी बच्चों(मृत या तलाकशुदा पत्नी से या अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों सहित) के ब्यौरे;

(iii) माता-पिता

(iv) नि:शक्त सहोदर;

सरकारी कर्मचारी अपने कुटुंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की, जिसके अंतर्गत उसके बच्चे का विवाह संबंधी तथ्य भी है, संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को देगा।

3. कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति पर, सत्यापित करेगा कि इस नियम के अनुसार यह सरकारी कर्मचारी द्वारा ठीक से भरा गया है और उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए इसकी प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और उसे संबंद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाएगा। कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी से इस निमित्त प्राप्त और सभी संसूचनाओं को भी उनकी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए अभिस्वीकृत करेगा। कार्यालय अध्यक्ष, कुटुंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी

से किसी संसूचना की प्राप्ति पर, उक्त परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत प्ररूप 4 में समाविष्ट करवाएगा और कुटुंब के सदस्य की नि:शक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन से संबंधित तथ्य को प्ररूप 4 के 'टिप्पणी' स्तम्भ में उपदर्शित किया जाएगा।

4. सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन कागजातों के साथ प्ररूप 4 में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे पुनः प्रस्तुत करेगा। जहां कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विवाह या पुनर्विवाह करता है या सरकारी कर्मचारी का कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, विवाह प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को इस आशय की संसूचना देगा।

5. जहां बच्चे के जन्म या किसी बच्चे या सहोदर की नि:शक्तता होने अथवा पुत्री का तलाक होने या पुत्री के पति की मृत्यु होने जैसी घटनाओं के कारण किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् परिवर्तन होता है, जिससे कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन का पात्र हो जाए, तो सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी या यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पहले हो गयी हो, तो उसका या उसकी पति/पत्नी या कुटुंब का कोई अन्य सदस्य जो कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा हो, कार्यालय अध्यक्ष को समर्थित दस्तावेजों साहित इस आशय की संसूचना देगा और कार्यालय अध्यक्ष उक्त संसूचना की प्राप्ति अभीस्वीकृत करते हुए संसूचना की एक प्रति लौटाएगा।

6. उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, परिवार का कोई सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 में सम्मिलित नहीं है, कुटुंब पेंशन के लिए दावा प्रस्तुत करता है, तो कुटुंब के ऐसे सदस्य के दावे को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कुटुंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, यदि कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का, अन्यथा समाधान हो जाए।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records,

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(15) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a Government servant enters Government service, is required to give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to following members of his/her family (whether or not eligible for family pension):

(i) Wife or husband, including a judicially separated wife or husband;
(ii) Son or daughter, whether or not eligible for family pension on the date of submission of Form 3 and the details of all children (including those from a deceased or divorced wife or from a void or voidable marriage);
(iii) Parents;
(iv) Disabled siblings.

The Government servant is also required to communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

3. On receipt of the said Form 4, the Head of Office is required to verify that it has been properly filled by the Government servant in accordance with this rule and acknowledge receipt of the said Form 4 indicating the date of its receipt and get it pasted on the service book of the Government servant concerned. All further communications received from the Government servant in this behalf are also required to be acknowledged by the Head of Office indicating the date of their receipt. The Head of Office on receipt of communication from the Government servant regarding any change in the size of family shall have such a change incorporated in Form 4 under his signature and the fact regarding disability or change of marital status of a family member shall be indicated in the 'Remarks' column of Form 4;

4. The Government servant is required to submit the upto date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service. Where a Government servant marries or remarries or a child is born to the Government servant after retirement, he shall give intimation to this effect to the Head of Office in Form 5 along with a copy of the marriage certificate or birth certificate, as the case may be, from an authority competent to issue such certificate.

5. Where the family of a Government servant undergoes a change after his retirement rendering a member of the family to be eligible for family pension on account of events such as birth of a child or disability of a child or sibling or divorce of a daughter or death of husband of a daughter, the retired Government servant or, if the Government servant has already died, his or her spouse or any other member of the family in receipt of the family pension, may give an intimation to this effect along with the

supporting documents to the Head of Office and the Head of Office shall return a copy of the intimation acknowledging the receipt of the said intimation.

6. Notwithstanding the above provisions, in case after the death of a Government servant or a pensioner, a member of the family, whose name is not included in Form 4, submits a claim for family pension, the claim of a member of the family shall not be rejected on the ground that the details of such member of the family are not available in Form 4 or office records, if the Head of Office is otherwise satisfied about the eligibility of the member of the family for grant of family pension.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records, may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:जहां प्रथम पात्र सदस्य सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के नियम 50(14) के अनुसार,यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में, कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध (आत्महत्या द्वारा मृत्युके लिए दुष्प्रेरण भी सम्मिलित है) को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक उसे कुटुंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाएगा।जिस अवधि के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कुटुंब पेंशन का संदायनहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र कुटुंब का अन्य सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी का अवयस्क बच्चा है,ऐसे अवयस्क बच्चे को कुटुंब पेंशन विधिवत् नियुक्त संरक्षक के माध्यम से देय होगी, और अवयस्क बच्चे के माता या पिता कुटुंब पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकेंगे।

4. यदि दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति,सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है,तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जिसका संदाय कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य

को,यदि कोई हो, जारी रहेगा।यदि संबंधित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है,तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्ति की तारीख से कुटुंब पेंशन देय होगी और उस तारीख से कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी।

5. यदि कुटुंब का कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं था या कुटुंब पेंशन संबंधित व्यक्ति के बरी होने की तारीख से पूर्व कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को मिलनी बंद हो गई थी, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब पेंशन यथास्थिति,सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के पश्चात् की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन मिलनी बंद हो गई थी, संदेय होगी।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्रथम पात्र सदस्य को सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपितकिए जाने पर, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु,इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(14) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, if a person, who in the event of death of a Government servant or pensioner, is eligible to receive family pension, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence (including the charge of abetting death by suicide), the family pension shall not be paid to such a person till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him. During the period the family pension is not paid to such person, the family pension shall be paid to other eligible member of the family, if any, from the date following the date of death of the Government servant.

3. If the spouse of the Government servant is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence and the other member of the family eligible for family pension is a minor child of the deceased Government servant, the family pension to such minor child shall be payable through a duly appointed guardian, and the mother or father of the minor child shall not act as guardian for the purpose of drawal of family pension.

4. If on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be continued to be paid to other eligible member of the family, if any. If the person concerned is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the Government servant, the family pension shall become payable to such a person-from the date of such acquittal and the family pension to other member of the family shall be discontinued from that date.

5. **If there was no other eligible member of the family or the family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family before the date of acquittal of the person concerned, the family pension shall be payable to such a person from the date following the date of death of the Government servant or from the date on which family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family, as the case may be.**

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 मृतक सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(10) के अनुसार, जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो माता-पिता को आजीवन कुटुंब पेंशन देय होगी, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे। माता-पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है। जहां माता-पिता को कुटुंब पेंशन अनुज्ञात हो, यह मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पिता को देय होगी।

3. कुटुंब पेंशन पाने वाले माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और माता-पिता को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित माता/पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to parents of a deceased Government servant/pensioner.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(10) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, where a deceased Government servant or pensioner is not survived by a widow or widower or a child eligible for family pension or if the widow or widower and all children cease to be eligible for family pension, the family pension is payable to the parents for life, if the parents were dependent on the Government servant or pensioner immediately before his or her death. Parents are deemed to be dependent on the Government servant if their combined income is less than the minimum family pension and the dearness relief admissible thereon. The family pension to parents is payable to the mother of the deceased Government servant or pensioner failing which to the father of the deceased Government servant or pensioner.

3. Parents receiving family pension are required to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that they have not started earning their livelihood and the family pension payable to parents shall be stopped if they start earning their livelihood.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to dependent parents of a deceased Government servant/pensioner may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेज।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(12) के अनुसार, मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के कुटुंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अतिरिक्त) को कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाता है/जारी रखा जाता है, यदि वह अपनी आजीविका उपार्जन नहीं कर रहा/रही है। मानसिक और शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर के अलावा कुटुंब के अन्य सदस्य द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी आय, न्यूनतम कुटुंब पेंशन (अर्थात 9,000/- रुपये प्रति मास) और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक है। तथापि, किसी मानसिक और शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर का अपनी आजीविका उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय, संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए अपने दावे के साथ, आयकर विभाग के साथ उक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। यदि उक्त कुटुंब सदस्य यह सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, तो उसे उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कुटुंब सदस्य आयकर विवरणी की प्रति या उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो

कार्यालय अध्यक्ष उक्त सदस्य द्वारा उसके दावे के समर्थन में आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विश्वास कर सकता है और तदनुसार कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के उक्त सदस्य की पात्रता तय कर सकता है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंज़ूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेजों से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(12) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, family pension to a member of the family (other than spouse) of a deceased Government servant/pensioner is paid/continued, if he/she is not earning his/her livelihood. A member of the family, other than a son or a daughter or a sibling suffering from a mental or physical disability, is deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension (i.e. Rs. 9000/- per month) and the dearness relief admissible thereon. However, a child /sibling suffering from a mental or physical disability is deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the Government servant or pensioner concerned.

3. In order to decide the eligibility for family pension, a member of the family, other than the widow or widower of the deceased Government servant or pensioner, is required to submit, along with the claim for family pension, a copy of the last Income Tax Return filed by the said member of the family with the Income Tax Department. In case the said member of the family informs that he or she has not filed the Income Tax Return with the Income Tax Department, he or she shall submit a certificate of income from a sub-divisional magistrate. In case the member of the family is not able to submit either a copy of the Income Tax Return or a certificate of income from a sub-divisional magistrate, the Head of Office may rely on any other document produced by the said member of the family in support of his or her claim regarding income and decide the eligibility of the said member of the family for family pension accordingly.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुसार, किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री, जो अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर रही है, पच्चीस वर्ष की आयु होने के बाद भी या उसका विवाह होने तक या पुनर्विवाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जीवनपर्यंत कुटुंब पेंशन पाने की पात्र है-

(i) कुटुंब पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु से कम बच्चे को या नियम 50 के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नि:शक्त बच्चे को प्रारंभ में देय होगी।

(ii) अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे;

(iii) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमत: ऐसी पुत्री को देय होगी जो कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो;

(iv) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीवका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुनर्विवाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगी;

(v) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाक़शुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो। तथापि, कुटुंब पेंशन तलाक़शुदा पुत्री को उसके तलाक की तारीख से तब देय होगी यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई थी किन्तु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ। ऐसे मामलों में, यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक की तारीख से पूर्व कुटुंब पेंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(9) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner, who is not earning her livelihood, is eligible for family pension beyond the age of twenty-five years for life or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest, subject to the following conditions-

(i) The family pension shall be initially payable to the children below the age of twenty-five years or to a disabled child eligible to receive family pension in accordance with Rule 50.
(ii) The unmarried or widowed or divorced daughter was dependant on her parent or parents when he or she or they were alive;
(iii) Where a deceased Government servant or pensioner leaves behind more than one unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years, family pension shall first be payable to such daughter, who fulfil the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth;
(iv) The elder daughter shall be entitled to the family pension till she has got married or remarried or has started earning her livelihood, whichever is earlier and the younger of the daughters will be eligible for family pension after the elder next above her has got married or remarried or has started earning her livelihood or has died;
(v) In the case of widowed daughter, death of her husband and in the case of divorced daughter, her divorce took place during the lifetime of the Government servant or pensioner or his or her spouse. However, family pension shall be payable to a divorced daughter from the date of divorce if the divorce proceedings were filed in a competent court during the life time of the Government servant or pensioner or his or her spouse but the divorce took place after their death. In such cases, if consequent on the death of the Government servant or pensioner and his or her spouse, the family pension to any other eligible member of the family has become payable before the date of divorce of daughter, the family pension to such divorced daughter shall not commence before the aforesaid member of the family ceases to be eligible for family pension or dies.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुसार, किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पुत्र या पुत्री या सहोदर जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर रहा है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है। मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय पात्र संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में, देय होगी जो अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करते हों। जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पच्चीस वर्ष से कम आयु के और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उतरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो या शारीरिक रूप से निःशक्त या

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), में निर्दिष्ट किसी अन्य निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शर्तों के अध्यधीन कुटुंब पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी:-

(i) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता मौजूद हो;

(ii) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो। मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को संदेय होगी और बाद में उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक के नामांकन या उसकी नियुक्ति के लिए, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999(1999 के 44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा;

(iii) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित किया जाएगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्यों शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा।

ऐसा पुत्र या पुत्री या ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यदि निःशक्तता स्थायी है तो एक बार, और यदि निःशक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार उपरोक्त चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अभी भी खंड में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त है।

(iv) खंड(ज) में निर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चा विवाह करने पर कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र नहीं होगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(9) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a son or daughter or sibling of a deceased Government servant/pensioner, who is suffering from a mental or physical disability and is not earning his or her livelihood, is eligible for family pension for life. A child/sibling suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the Government servant or pensioner concerned.

3. Where a deceased Government servant or pensioner leaves behind more children than one, family pension shall first be payable to children below the age of twenty-five years, who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth. Where a deceased Government servant or pensioner is not survived by a son or daughter below the age of twenty-five years and eligible for family pension or where such son or daughter has died or has ceased to be eligible for family pension, the family pension shall be payable for life to a son or daughter who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically disabled or suffering from any other disability referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, subject to the following conditions:-

(i) The disability existed before the death of the Government servant or pensioner and his or her spouse;
(ii) The family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor. In the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. The Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Act,1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act
(iii) Before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child.

Such son or daughter or the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce a certificate, from above medical authorities once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability referred to in clause.

(iv) Marriage by a child who is suffering from a disability referred to in clause (h) shall not render him or her ineligible for family pension.

4.. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का सहभाजन।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय है। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो कुटुंब पेंशन की मंजूरी हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं। यदि विधवा का कोई उत्तरजीवी बच्चा नहीं है, तो कुटुंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किन्तु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या यदि केवल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

3. यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा हो और
(क) किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है,
(ख) तलाक़शुदा पत्नी से, या
(ग) किसी अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से
जन्मा पात्र बच्चा या बच्चे हों

तो कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे, कुटुंब पेंशन के अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती या वह तलाक़शुदा नहीं होती या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता। ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन

का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

4. उपरोक्त मामलों में, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश नियम 50 के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।

5. यदि कुटुंब पेंशन जुड़वां बच्चों को देय हो, तो ऐसे बच्चों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बच्चे को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए तो कुटुंब पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी।

6. नियम 63 के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, यदि जीवित हों, तो उसका नाम पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक से अधिक पत्नियां हैं जो जीवित हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में सभी पत्नियों के नाम के साथ कुटुंब पेंशन में उनके क्रमशः अंश को उपदर्शित करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक पत्नी है जो जीवित है, और अन्य मृतक पत्नी से या तलाक़शुदा पत्नी से अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में, कुटुंब पेंशन में केवल उस पत्नी का नाम उसके अंश के साथ उपदर्शित करेगा जो जीवित है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित कुटुंब पेंशन का अंश प्रारम्भ में उत्तरजीवी विधवा को संदेय होगा और कार्यालय अध्यक्ष से संसूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी नियम 50 के अनुसार कुटुंब के सभी सदस्य जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन के पात्र हैं, के नाम और कुटुंब पेंशन में उनके अंश को उपदर्शित करते हुए एक संशोधित पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन के सहभाजन से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

वि2।।ल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(8) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the widow or widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension. In case, the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

3. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by a widow without any child and has also left behind eligible child or children:

(a) from another wife who is not alive, or
(b) from a divorced wife, or
(c) from a void or voidable marriage

the child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the Government servant/pensioner or if she had not been so divorced or if the marriage had not been void or voidable. On the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to other child or children otherwise eligible), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

4. In the above cases, if the deceased Government servant/pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her child or children in accordance with Rule 50.

5. In cases where family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares and when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

6. In accordance with Rule 63, on retirement of a Government servant, the name of the spouse of the Government servant, if alive, is indicated as family pensioner in the Pension Payment Order. In cases where family of a Government servant includes more than one wife who is alive, the Accounts Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, the names of all the wives with their respective share in the family pension. If family of a Government servant includes a wife, who is alive, and a child or children from a wife who is not alive or from a divorced wife or from a void or voidable marriage, the Accounts

Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, only the name of wife who is alive with her share in the family pension, then on death of the pensioner, the share of family pension indicated in the Pension Payment Order shall initially become payable to the surviving widow and on receipt of a communication from the Head of Office, the Accounts Officer shall issue a revised Pension Payment Authority, indicating the names of all the members of family who are eligible for family pension on the date of death of the pensioner with their respective share in the family pension, in accordance with rule 50.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः किसी नि:संतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय है और कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसकी अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय की रकम से प्रभावित नहीं होती है। तथापि, नि:संतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि अन्य सभी स्त्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन(अर्थात 9000/- रूपए प्रति माह) की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. यदि नि:संतान विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद सभी अन्य स्रोतों से होनेवाली उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो उसको देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को देय हो जाएगी।

4. यह नि:संतान विधवा का कर्तव्य होगा कि वह अपने पुनर्विवाह के पश्चात् पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अन्य स्रोतों से अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है, जो न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी नि:संतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर कुटुंब पेंशन जारी रखने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on remarriage of a childless widow.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(8) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the widow or widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier and the eligibility of widow or widower for family pension is not affected by the amount of her or his income from other sources. However, on re-marriage by a childless widow, family pension continues to be payable to her, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension (i.e Rs. 9000/- per month) plus the dearness relief admissible thereon:

3. If after re-marriage, income of childless widow from all other sources becomes equal to or more than the amount of minimum family pension and the dearness relief admissible thereon, family pension payable to her shall be stopped and it shall become payable to the other eligible member of the family, if any, of the deceased Government servant.

4. It shall be the duty of a childless widow after her re-marriage to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that she has not started earning income from other sources which is equal to or more than the minimum family pension and the dearness relief admissible thereon.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding continuance of family pension on remarriage of a childless widow under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To,

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(1) एवं 50(2) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर निम्नलिखित मामलों में उसके परिवार को कुटुंब पेंशन देय है:

(i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर।

(ii) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने से पूर्व किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, परंतु यह तब जबकि संबद्ध मृतक सरकारी कर्मचारी की, सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो; और

(iii) सेवा से निवृत होने के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, यदि वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा हो।

3. कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम पचहत्तर हजार रुपये प्रतिमास के अध्यधीन वेतन के तीस प्रतिशत की एक समान दर पर अवधारित की जाती है। तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में कुटुंब पेंशन बढ़ी हुई दर पर अर्थात वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर देय है:

(i) किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक अगली तारीख से दस साल की अवधि के लिए संदेय होगी। बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन का संदाय करने के लिए न्यूनतम सेवा की कोई भी शर्त नहीं है और यह उन सभी मामलों में देय होगी जहां पैरा 2(i) और 2(ii) के अनुसार कुटुंब पेंशन देय होती है।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृतक सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु का हो जाता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, उस अवधि के लिए कुटुंब पेंशन संदेय होगी।

(iii) तथापि, बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से पदच्युति(अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन और सेवा से पदच्युति या हटाए जाने पर संस्वीकृत अनुकंपा भत्ता सहित) पर संस्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(iv) यदि जहां प्राधिकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ता की रकम सामान्य कुटुंब पेंशन(अर्थात वेतन का तीस प्रतिशत) की रकम से कम हो, वहां कुटुंब पेंशन वेतन के तीस प्रतिशत की सामान्य दर पर देय है।

(v) उपरोक्त(i) और (ii) पर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात, कुटुंब पेंशन वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर देय है।

(vi) बढ़ी हुई दर पर संदेय कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन होगी।

4. नियम 50 के उप-नियम(3) के अनुसार कुटुंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष या अस्सी वर्ष से अधिक की आयु पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त कुटुंब पेंशन भी संदेय है

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(1) & (2) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the family in the following cases:

(i) On death of a Government servant after completion of one year of continuous service.

(ii) On death of a Government servant before completion of one year of continuous service, provided the deceased Government servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for Government service; and

(iii) On death of a Government servant after retirement from service, if he was in receipt of a pension, or compassionate allowance on the date of death.

3. The amount of family pension is determined at a uniform rate of thirty per cent of pay subject to a minimum of nine thousand rupees per month and a maximum of seventy-five thousand rupees per month. However, family pension is payable at enhanced rate, i.e. fifty per cent of the pay, in following circumstances:

(i) On death of a Government servant while in service, for a period of ten years from the date following the date of death of the Government servant. There is no condition of minimum service for payment of family pension at enhanced rate and it shall be paid in all cases where family pension has become payable as per para 2(i) and 2(ii) above.

(ii) On death of a Government servant after retirement, for a period of seven years, or for a period upto the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of sixty seven years had he survived, whichever is less.

(iii) The amount of family pension at enhanced rate shall, however, not exceed the pension authorised on retirement or dismissal (including pension authorised on compulsory retirement and compassionate allowance sanctioned on dismissal or removal from Government service).

(iv) In cases where the amount of pension or compassionate allowance authorised is less than even the normal family pension, (i.e. thirty per cent of pay), family pension is paid at normal rate of thirty per cent of pay.

(v) After the expiry of the period referred to at (i) and (ii) above, family pension is paid at the rate of thirty per cent of pay.

(vi) The amount of family pension payable at enhanced rate shall be subject to a minimum of nine thousand rupees per month and a maximum of one lakh twenty five thousand rupees per month.

4. Additional family pension is also payable after completion of the age of eighty years and above of the family pensioner in accordance with sub-rule (3) of Rule 50.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पेंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन कुटुंब के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को संदेय है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन(बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन) उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी के लापता होने से पहले उसे अवकाश स्वीकृत किया गया था अथवा उस तारीख से जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

3. किसी पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन (बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेशन, जहां लागू हो, सहित) उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

4. किसी कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले कुटुंब पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना

रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

5. किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अध्यधीन, कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

6. कुटुंब पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए दावे, कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य या सदस्यों और नामनिर्देशितियों अथवा उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्यों द्वारा, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। दावों के साथ फॉर्मेट 8 में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, प्रत्येक की प्रति संलग्न होगी।

7. कुटुंब पेंशन, (सेवानिवृत्ति उपदान का रकम और बकाया कुटुंब पेंशन सहित) का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि बीतने से पूर्व नहीं किया जाएगा।

8. नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की पूर्णतः पुष्टि के पश्चात् या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान देय होगा। मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर का भुगतान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास के भीतर, इन नियमों के अनुसार मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त होगा।

9. कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब, सरकारी कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, को यथालागू नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों या अवकाश वेतन के बकायों, यदि कोई हो, अवकाश वेतन के समतुल्य नकद, सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में उपलब्ध रकम भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

10. उपर्युक्त उपबंध ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होंगे जो लापता हो गया हो और जिसके विरूद्ध धोखाधड़ी या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध किया गया हो।

11. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पेंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 51 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant or a pensioner or a family pensioner, who goes missing, family pension is payable to a member or members of the family. On disappearance of a Government servant while in service, family pension (including enhanced family pension) is payable from the date following the date upto which leave was sanctioned to the Government servant before he went missing or from the date upto which pay and allowances have been paid to the Government servant or from the date on which a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is the latest.

3. In the case of a pensioner who goes missing, family pension (including enhanced family pension, where applicable) is payable from the date following the date upto which pension has been paid to the pensioner who went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

4. In the case of a family pensioner who goes missing, family pension shall be payable from the date following the date upto which family pension has been paid to the family pensioner before he went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

5. In the case of a Government servant who goes missing or a retired Government servant who goes missing without receiving the retirement gratuity shall be payable to a member or members of the family in the manner and subject to the conditions applicable in the case of a Government servant who dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

6. The claims for payment of family pension and gratuity are required to be submitted to the Head of Office by the member or members of the family eligible for family pension and nominees or members of family eligible to receive the amount of gratuity, after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry. The claims shall be accompanied by an Indemnity Bond in Format 8 along with a copy each of the report lodged with the concerned Police Station and the report obtained from the police to the effect that the Government servant or pensioner or family pensioner could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

7. The payment of family pension (including the arrears of family pension and the amount of retirement gratuity) shall not be made before the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

8. In the case of a Government servant referred to in clause (a) of sub-rule (1) of Rule 51, death gratuity shall become payable after the death of the Government servant is conclusively established or on expiry of a period of seven years from the date of lodging of the report with the police, whichever is earlier. The difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity shall be paid to the person or persons eligible for payment of death gratuity in accordance with these rules, not later than three months from the date of submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

9. In addition to the family pension and retirement gratuity, the family of the Government servant shall also be entitled to receive arrears of pay and allowances or leave salary, if any, cash equivalent to leave salary and amount available in the General Provident Fund Account of the Government servant in accordance with the rules as applicable to a Government servant who dies during service.

10. The above provisions are not applicable in the case of a Government servant or a pensioner or a family pensioner who disappears and against whom allegation of fraud or embezzlement or any other crime is under investigation or who has been charged or convicted for such crimes.

11. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 27 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से हितलाभों और उपदान पर अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रभाव से संबंधित उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को शासित करने के लिए और उपदान की मंजूरी के लिए क्रमशः केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 19 में प्रावधान है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, जो अभिदाता के सेवा में रहने के दौरान संस्थित की गई थी, किंतु सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई थी या अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित न्यायिक कार्यवाहियों से, अभिदाता को उसके संचित पेंशन कॉर्पस में से संदेय हितलाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अधिवर्षिता पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता के निकासी के मामले में यथास्वीकार्य उसके संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का संदाय किया जाएगा।

3. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 5 के अनुसार, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए संस्थित किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को गंभीर कदाचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है, उसके उपदान को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका जा सकता है, और सरकार को कारित किसी भी आर्थिक क्षति की उपदान से पूर्णतः या आंशिक रूप से वसूली का आदेश दिया जा सकता है।

जारी-

4. सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात्, विभागीय कार्यवाहियां केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 5 के तहत की कार्यवाहियां मानी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा उसी प्रकार जारी रखी जाएगी और समाप्त की जाएगी जैसे सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए होता। विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति और उस पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक सरकारी कर्मचारी को कोई उपदान देय नहीं होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 27th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Provisions relating to effect of disciplinary proceedings on the benefits from accumulated pension corpus under National Pension System and gratuity in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 which are applicable from the date of its publication in the Official Gazette, to govern service related matters and for grant of gratuity respectively to Central Government civil employees covered under National Pension System.

2. Rule 19 of Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides that the Departmental or judicial proceedings, which were instituted while the Subscriber was in service but are not concluded before retirement or the judicial proceedings instituted after retirement of the Subscriber, shall not affect the benefits payable to the Subscriber out of his accumulated pension corpus and the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System on superannuation.

3. Further, as per Rule 5 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 that if, in any departmental or judicial proceedings instituted while the Government servant was in service, the retired Government servant is found guilty of grave misconduct or negligence, his gratuity may be withheld either in full or in part, and recovery may be ordered from gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government.

4. After the retirement of the Government servant, the departmental proceedings shall be deemed to be proceedings under rule 5 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the Government servant had continued in service. No gratuity shall be payable to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.

Contd…2/..

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding disciplinary proceeding in respect to Central Government employees covered under National Pension System may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-11/(15)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: किसी सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने की समय-सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का अध्याय X किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करने और उसे प्राधिकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

2. पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों/प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलाप सम्मिलित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में इनमें से प्रत्येक कार्यकलाप को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसमें सम्मिलित कार्यालयों/प्राधिकरणों का ब्यौरा, प्रत्येक कार्यालयों/प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और इन कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा का सारांश नीचे दिया गया है:

क. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची की तैयारी- नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष (एचओडी) को प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी अपेक्षित होती है, जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

ख. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के बारे में संपदा निदेशालय को प्रज्ञापना- नियम 55 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व सरकारी आवास के संबंध में पूर्ण ब्यौरा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और यह ब्यौरा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बाबत "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए संपदा निदेशालय को 10 दिनों के भीतर भेजें। यदि सरकारी कर्मचारी के कब्जे में कोई आवासीय आवास नहीं है/था, तो कार्यालय अध्यक्ष इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त घोषणापत्र के आधार पर और रिकॉर्ड के सत्यापन करने के पश्चात "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करेगा और ऐसी दशा में 'संपदा निदेशालय से पृथक "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग. पेंशन मामले के प्रक्रमण की तैयारी- सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिवर्षिता पर पेंशन के मामले पर कार्रवाई संबंधी प्रारंभिक कार्य के लिए नियम 56 और 57 में विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति, त्रुटियों या कमियों को दूर करना सम्मिलित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास की परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई हैं, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व किसी अवधि के बारे में नहीं।

सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अर्हक सेवाकाल और सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन की संगणना के लिए परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अपेक्षित पेंशन प्ररूप जमा करने/भरने का सुझाव देगा।

सरकारी कर्मचारी भरे हुए प्ररूप को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व जमा करेगा।

घ. पेंशन मामले को पूरा करना- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पेंशन कागजातों (अर्थात प्ररूप 7) को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया नियम 59 और 60 में दी गई है। कार्यालय अध्यक्ष पेंशन मामले को फॉर्मेट 10 में सहपत्र सहित सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्ररूप प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर वेतन और लेखा कार्यालय को प्रेषित करेगा।

ङ. पेंशन और उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना- पेंशन मामला प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा और अधिवर्षिता के आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा। लेखा अधिकारी पीपीओ में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी, यदि जीवित हों, का नाम उपदर्शित करेगा। लेखा अधिकारी कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से नि:शक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और नि:शक्त सहोदरों के नाम भी पीपीओ में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में ऐसे नि:शक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों से पूर्व कुटुंब पेंशन देने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं हो।

च. विशेष प्राधिकार मोहर जारी करना और पेंशन का संवितरण - लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा। सीपीएओ एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करेगा और पेंशन संदाय आदेश की प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन संदाय आदेश की प्रति के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा। पेंशन संवितरण प्राधिकारी जिस तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन पत्रों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

सं. 11(15)/2022-P&PW(H)-8363 (1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Timelines for completion of various activities in the process of authorisation of pension and gratuity on retirement on superannuation of a Government servant.

The undersigned is directed to say that Department of Pension & Pensioners Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Chapter X of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with the procedure for determination and authorisation of the amounts of pension and gratuity on retirement of a Government servant.

2. The process of authorisation of pension and gratuity involves various activities to be performed by different offices/authorities. Timelines have been prescribed in the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 for completion of each of these activities. The details of the offices/authorities involved, the action to be taken by each of these offices/authorities and the timeline for completing these actions are summarised below:

A. Preparation of list of Government servants due for retirement- As per Rule 54, every Head of Department (HOD) is required to have a list prepared by 15th day of every month, of all Government servants who are due to retire within the next fifteen months of that date.

B. Intimation to the Directorate of Estates regarding issue of "No Demand Certificate"- As per Rule 55, complete details regarding the Government accommodation are required to be obtained from the Government servant at least one year before retirement and send these details, within 10 days to the Directorate of Estates for issuing a 'No demand certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the Government servant. If the Government servant is/was not in occupation of any residential accommodation, HOO shall issue the 'No Demand Certificate' on the basis of a declaration from the Government servant in this regard and after verification of the records and no separate 'No Demand Certificate' from the Directorate of Estates shall be necessary in such cases.

C. Preparation for processing of pension case- Elaborate procedure has been laid down in Rules 56 and 57 for preparatory work for processing of pension case on superannuation during the period of one year before retirement. This includes verification of service, making good the omissions, imperfections or deficiencies in the service book. In order to ensure that the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months preceding the date of retirement of a Government servant, and not for any period prior to that date.

At least, eight months prior to the date of retirement of the Government servant, the HOO shall furnish to the retiring Government servant a certificate regarding the length of qualifying service and the emoluments/average emoluments to be reckoned for retirement gratuity and pension and advise the retiring Government servant to submit/fill the required pension Forms .

The Government servant shall submit the completed Forms not later than six months prior to his date of retirement.

D. Completion of pension case.-Detailed procedure for completion of pension papers (i.e. Form 7) by the HOO has been laid down in Rule 59 and 60. The HOO is required to send the pension case to the Pay & Accounts Office with a covering letter in Format 10, within two months from the date of receipt of pension forms from the Government servant.

E. Authorisation of pension and gratuity by the Accounts Officer- On receipt of pension case the Accounts Officer shall apply the requisite checks and issue the pension payment order not later than two months in advance of the date of the retirement of a Government servant on attaining the age of superannuation. The Accounts Officer shall indicate in the PPO, the name of the spouse of the Government servant, if alive, as family pensioner. The names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings Accounts Officer shall also be indicated in the PPO, the as family pensioners, if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

F. Issue of Special Seal of Authority and disbursement of pension- The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order to the Central Pension Accounting Office, within two months from the date of receipt of pension papers from the HOO. The CPAO shall issue the Special Seal of Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order within twenty one days from the date of receipt of the Pension Payment Order. The Pension Disbursing Authority shall thereafter take action to disburse the pension to the retired Government servant on the date on which it becomes due.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding timelines for processing of a pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-11/(15)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363(2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: (i) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूप जमा करने की स्थिति में नहीं है, और (ii) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप

जमा किए बिना हो जाती है, की बावत पेंशन/कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत करने की प्रक्रिया।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57(3)(क) और नियम 58 के अनुसार, जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त होता है, पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पतिमें अनुपस्थिति की पत्नी/पति या पत्नी/, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप की करने प्रस्तुत 6 प्ररूप और 4 भी कोई का कुटुंब लिए के करने प्राप्त पेंशन कुटुंब पर होने मृत्यु की कर्मचारी सरकारी यदि सकेगा। दे अनुज्ञा है नहीं पात्र सदस्य, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, उक्त प्ररूपों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी। जहां उक्त प्ररूप पतिहैं जाते किए प्रस्तुत द्वारा सदस्य अन्य किसी के कुटुंब या पत्नी/6, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा का पेंशन) (संराशीकरण, नियमावली करता। नहीं आवेदन स्वयं वह में बाद लिए के संराशीकरण ऐसे अनुसार के 1981

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 80(5) के साथ पठित नियम 59(2) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप जमा किए बिना ही मृत्यु हो जाती है, की बावत पेंशन, उपदान और कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी:

(1) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृत सरकारी कर्मचारी के पतिपत्नी/, पतिपर होने न के पत्नी/, कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को प्ररूप कर जमा वचनबंध को बैंक में 9 फॉर्मेट और दावा में 10 प्ररूप साथ के 4ने की अनुज्ञा देगा। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, तो कुटुंब का ऐसा सदस्य जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन किया गया था, को प्ररूप स्थान के 10पर प्ररूप जाएगी दी अनुज्ञा की करने जमा 6 होगा। देना विवरण का खाते बैंक अपने में 6 प्ररूप को सदस्य उक्त के कुटुंब और

(2) कार्यालय अध्यक्ष मृत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की बावत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय के लिए प्ररूप मामला उक्त कि दर्शाएगा भी को आशय इस में 7 प्ररूप वह और भरेगा को 7 ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित है, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व प्ररूप 6 और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे और यदि कुटुंब पेंशन के लिए प्ररूप गया किया प्रस्तुत दावा कोई में 10 है, तो कार्यालय अध्यक्ष कुटुंब के पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के लिए फॉर्मेट में 13 करेगा। जारी भी पत्र संस्वीकृति एक

(3) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, प्ररूप 4, प्ररूप 7, प्ररूप 10 प्ररूप या 6, फॉर्मेट और 9 13 फॉर्मेट(यदि लागू होपेंशन को अधिकारी लेखा साथ के पत्र अग्रेषण एक में 10 फॉर्मेट को (, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन ,हो लागू यदि ,प्राधिकृत करने के लिए भेजेगा।

(4) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश के भाग-II में पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन को सदस्य उस के कुटुंब को अध्यक्ष कार्यालय वह और करेगा प्राधिकृत को (हो लागू यदि), जिसको कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख से मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए पेंशन के बकायों का संदाय करने के लिए भी प्राधिकृत करेगा। यदि कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई सदस्य पात्र नहीं है, तो पेंशन के बकायों का संदाय कुटुंब के उस सदस्य को किया जाएगा जिसे सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(5) यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की गई है, तो लेखा अधिकारी, विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने और कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए फॉर्मेट के वचनबंध को बैंक में 9 एक की आदेश संदाय पेंशन साथप्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि (i) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूप जमा करने की स्थिति में नहीं है, और (ii) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप जमा किए बिना हो जाती है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

सं. 11(15)/2022-P&PW(H)-8363 (2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Processing of cases for authorisation of pension/family pension in respect of (i) a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, and (ii) a Government servant who dies after retirement without having submitted the pension forms.

The undersigned is directed to say that Department of Pension & Pensioners Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 57(3)(a) and Rule 58 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, where the Head of Office is satisfied that a Government servant, who retires on superannuation or otherwise, is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, he may allow the spouse of the Government servant or, in the absence of the spouse, the member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, to submit Form 4 and Form 6. If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the Government servant for payment of gratuity, may be allowed to submit the said Forms. In cases where the forms are submitted by the spouse or any other member of the family, the Government servant shall not be entitled to the benefit of commutation of a percentage of pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

3. In accordance with Rule 59(2) read with Rule 80(5) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the case for authorisation of pension, gratuity and family pension in respect of a Government servant, who has died after retirement without submission of pension forms, is required to be processed in the following manner:

(1) The Head of Office shall allow the spouse of the deceased Government servant or, in the absence of the spouse, any other member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant to submit the claim in Form 10 along with Form 4 and an undertaking to the Bank in Format 9. If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the Government servant for payment of gratuity, shall be allowed to submit Form 6 in place of Form 10 and the said member of the family shall indicate, the details of his or her Bank Account in Form 6.

(2) The Head of Office shall fill up Form 7 for payment of pension and retirement gratuity in respect of the deceased retired Government servant and he shall also make an indication in Form 7 to the effect that the case pertains to a retired Government

servant, who did not submit Form 6 and other documents before his death and if a claim for family pension has been submitted in Form 10, the Head of Office shall also issue a sanction in Format 13 for authorisation of family pension to the eligible member of the family.

(3) The Head of Office shall send Form 4, Form 7, Form 10 or Form 6, as the case may be, Format 9 and Format 13 (if applicable) with a forwarding letter in Format 10 to the Accounts Officer for authorisation of pension, retirement gratuity and family pension, if applicable.

(4) The Accounts Officer shall authorise the pension, retirement gratuity and family pension (if applicable) in Part-II of the Pension Payment Order and he shall also authorise the Head of Office to make payment of arrears of pension for the period from the date following the date of retirement up to the date of death to the member of the family who is authorised to receive family pension. If there is no member of the family eligible to receive family pension, the arrears of pension shall be paid to the member of the family who has been authorised to receive retirement gratuity.

(5) If a family pension has been authorised to a member of the family, the Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order along with the undertaking to the Bank in Format 9 to the Central Pension Accounting Office, for issuing a Special Seal of Authority and for disbursement of family pension.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding processing of cases for authorisation of pension/family pension in respect of (i) a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, and (ii) a Government servant who dies after retirement without having submitted the pension forms, may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.- 57/03/2022-पी&पीडब्लू(बी)/8361(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक: 28 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब के लिए हकदारी- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों और उपदान की मंजूरी को प्रशासित करने के लिए क्रमशः केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है, जो भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 20 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की हकदारी का प्रावधान करता है। नियम 20 के अनुसार, किसी अभिदाता की मृत्यु होने पर, जिसने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले केंद्रीय सिविल सेवानियमावली (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन), 2021 के नियम 10 के अधीन डिफाल्ट विकल्प है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। तथापि, यदि सरकारी सेवा के कारण मृत्यु होती है, तो उन नियमों के अंतर्गत हितलाभों की मंजूरी की सभी शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

3. यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अंतर्गत कुटुंब को हितलाभ देय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का एकमुश्त भुगतान उस व्यक्ति/व्यक्तियों को किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत नामनिर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन आस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को किया जाएगा।

जारी-

4. अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन डिफाल्ट विकल्प है; ऐसे हितलाभ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार दिए जा सकेंगे।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में, और जिसके मामले में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संचित पेंशन कॉर्पस से हितलाभ लिया गया है, ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अनुसार मृत्यु उपदान का भी पात्र होगा। मृत्यु उपदान के लिए नियमों में दी गयी दर निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**अर्हक सेवा की अवधि**	**मृत्यु उपदान की दर**
(i)	एक वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का दोगुना
(ii)	एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का छह गुना
(iii)	पांच वर्ष या अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बारह गुना
(iv)	ग्यारह वर्ष या अधिक किन्तु बीस वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बीस गुना
(v)	बीस वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, किन्तु अधिकतम परिलब्धियों के तैंतीस गुने के अधीन रहते हुए

इस नियम के अधीन संदेय मृत्यु उपदान की अधिकतम रकम किसी भी दशा में बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361 (1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 28th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement for family on death of a Central Government servant covered under National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 which are applicable from the date of its publication in the Official Gazette, to govern service related matters and for grant of gratuity respectively to Central Government civil employees covered under National Pension System.

2. Rule 20 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for the entitlement of family members on death of a Central Government covered under National Pension System. As per rule 20, on death of a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of the CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 is for availing benefits under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules , further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules. However, if the death is attributable to Government service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules subject to fulfillment of all the conditions for grant of benefits under those rules.

3. If on death of the Subscriber, benefits are payable to the family under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules or the Central Civil Services (Pension) Rules, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir(s).

Contd.

4. In the case of death of a Subscriber who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of the CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 is for availing benefits under the National Pension System, such benefits may be granted in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

5. In the event of death of Government employees covered under NPS during service, and in whose case benefits from accumulated pension corpus under NPS have been availed, family member of such deceased Government employee would also be eligible for death gratuity in accordance with rule 22 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021. The rates provided in the rules for death gratuity is as under:

Sl. No.	Length of qualifying service	Rate of death gratuity
(i)	Less than one year	Two times of emoluments.
(ii)	One year or more but less than five years	Six times of emoluments
(iii)	Five years or more but less than eleven years	Twelve times of emoluments
(iv)	Eleven years or more but less than twenty years	Twenty times of emoluments
(v)	Twenty years or more	Half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of thirty three times of emoluments:

The maximum amount of death gratuity payable under this rule shall in no case exceed twenty lakh rupees.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement in respect to Central Government employees covered under National Pension System may be brought to the notice of the Government servants covered under NPS and personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा मुक्ति होने पर हकदारी से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा से संबंधित मामलों को शासित करने और उपदान की मंजूरी के लिए क्रमशः केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के उपदान का संदाय) नियमावली, 2021, को अधिसूचित किया है, जो भारत के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 16 और 17 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा मुक्ति होने पर हकदारी का प्रावधान है। इन नियमों के नियम 16 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया कोई अभिदाता, ऐसे मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के धारा के 20 उपबंध लागू नहीं हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम करती है, के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, वह अशक्तता सेवानिवृत्ति पर हितलाभों के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा। अशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभों के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, ऐसा न होने पर अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

3. कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष आवेदन की अभिप्राप्ति होने के पंद्रह दिनों के भीतर, निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अभिदाता की जांच के लिए अनुरोध करेगा। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की एक प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

4. अभिदाता उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकरी के समक्ष उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं या फिर वह जिस कार्य में कार्यरत है, उससे कम श्रम वाले कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए योग्य है।

5. सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

6. जहां चिकित्सा प्राधिकारी ने किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया है, तो वह प्रपत्र 3 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

7. यदि अभिदाता को उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से ,कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित किया जा सकेगा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे अशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

8. जहां अभिदाता ने, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत हितलाभ प्राप्त करने के लिए तहत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत डिफाल्ट विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत होता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

जारी-

9. यदि अभिदाता, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

10. जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम के अंतर्गत 10 डिफ़ाल्ट विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

11. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 17 में निःशक्तता के कारण सेवामुक्त होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हकदारी का प्रावधान है। इन नियमों में प्रावधान है कि जहां अभिदाता ने, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत डिफाल्ट विकल्प है; सरकारी सेवा के कारण होने वाली नि:शक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

12. यदि अभिदाता, केंद्रीय सिविल सेवानियमावली (असाधारण पेंशन) के तहत हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

13. जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम के अंतर्गत 10 डिफ़ाल्ट विकल्प है; सरकारी सेवा के कारण होने वाली नि शक्तता:के कारण सेवामुक्त किया जाता है, उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के

जारी-

अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार, अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

14. यदि अभिदाता केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 16 और नियम 17 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

15. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवामुक्त करने की स्थिति में और जिसने ऐसी सेवामुक्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उसकी संचित पेंशन कॉर्पस से उपलब्ध हितलाभ के अतिरिक्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने संचित पेंशन कॉर्पस से हितलाभ प्राप्त किए हैं, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अनुसार मृत्यु उपदान के लिए भी पात्र होगा।

16. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361 (2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 28th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on discharge from service on account of invalidation or disablement to a Central Government servant covered under National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 which are applicable from the date of its publication in the Official Gazette, to govern service related matters and for grant of gratuity respectively to Central Government civil employees covered under National Pension System.

2. Rule 16 and 17 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for entitlement on discharge from service on account of invalidation or disablement of a Central Government servant covered under National Pension System. Rule 16 of these rules provides that if a Central Government employee covered under National Pension System, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, intends to retire from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may apply to the Head of Department for benefits on retirement on invalidation. An application for benefits on retirement on invalidation may also be submitted by the spouse of the Subscriber failing which by a member of the family of the Subscriber, if the Head of Department is satisfied that the Subscriber himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity.

3. The Head of Office or the Head of Department shall, within fifteen days of the receipt of application, request the specified medical authority for examination of the Subscriber within thirty days of receipt of such request. A copy of the letter requesting for examination by the medical authority shall be endorsed to the Subscriber.

4. The Subscriber shall appear before the concerned medical authority for medical examination on the date fixed by that authority. The medical authority shall examine the Subscriber to ascertain whether or not the Subscriber is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.

Contd-

5. No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the medical authority has received a request from the Head of his Office or Head of Department for medical examination of the Subscriber.

6. Where the medical authority has found a Subscriber not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall issue a Medical Certificate in Form 3. If the Subscriber is found to be unfit for further service, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

7. If the Subscriber, has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

8. Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules.

9. If the Subscriber, avails the benefits under the Central Civil Services (Pension) Rules, the individual pension account of the Subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid to the Subscriber in lump sum.

10. Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a Subscriber on superannuation.

11. Rule 17 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for the entitlement available to Government servants covered under the National Pension System on boarding out from service on account of disablement. These rules provides that where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules.

Contd.

12. If the Subscriber avails the benefits under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, the individual pension account of the Subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid to the Subscriber in lump sum.

13. Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a Subscriber on superannuation.

14. If a Subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System under rule 16 of rule 17 of CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021, intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

15. In the event of discharge of a Central Government servant covered under National Pension System from service on account of invalidation or disablement and who on such discharge has availed benefits from his accumulated pension corpus under NPS, in addition to the benefits available from his accumulated pension corpus under NPS, employee would also be eligible for death gratuity in accordance with rule 22 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021.

16. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding disciplinary proceeding in respect to Central Government employees covered under National Pension System may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/6

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 31 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एक से अधिक अवसरों पर पेंशन का संराशीकरण- स्पष्टीकरण के संबंध में।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी मूल पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है।

2. इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपनी मूल पेंशन के प्रतिशत, जो कि उसकी मूल पेंशन के 40 प्रतिशत से कम है का संराशीकरण कराया है, को मूल पेंशन के प्रतिशत को दूसरी या उत्तरवर्ती अवसर पर 40 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर संराशीकृत कराने की अनुमति दी जा सकती है।

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 के अनुसार, ऐसे आवेदक को, जिसने अपनी अंतिम पेंशन के किसी प्रतिशत को संराशीकृत कराया है और संराशीकरण के पश्चात उसकी पेंशन सरकारी विनिश्चय के परिणामस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित की गई है और बढ़ा दी गई है, तो आवेदक को बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश अवधारित संराशीकृत मूल्य और पहले से प्राधिकृत संराशीकृत मूल्य के अंतर का संदाय किया जाएगा। अंतर के संदाय के लिए आवेदक से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। इस विभाग के दिनांक 24.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/14/2016-पी&पीडब्लू(ज़ी) में यह प्रावधान है कि वे पेंशनभोगी जो दिनांक 01.01.2016 से 04.08.2016 तक अर्थात 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन/पेंशन के लिए आदेश जारी करने की तिथि से सेवानिवृत्त हुए हैं, को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से संराशीकृत पेंशन का संराशीकरण नहीं करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 में ढील देने का विकल्प दिया जा सकता है।

4. तथापि, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 में मूल पेंशन के प्रतिशत को 40 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर दूसरी या उत्तरवर्ती अवसर पर संराशीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है, यदि पेंशनभोगी ने मूल रूप से अपनी मूल पेंशन का प्रतिशत जो उनकी मूल पेंशन के 40 प्रतिशत से कम था, को संराशीकृत किया हो।

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/6
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 31st Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Commutation of pension on more than one occasion – Clarification regarding

In accordance with Rule 5 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, a Government servant can commute for a lump-sum payment of an amount not exceeding 40 per cent of his basic pension.

2 References/representations have been received in this Department seeking clarification whether it is permissible for a person, who has commuted a percentage of his basic pension which is less than 40% of his basic pension, to commute a percentage of basic pension on a second or subsequent occasion within the overall maximum limit of 40%.

3. As per Rule 10 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, an applicant who has commuted a percentage of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively as a result of Government's decision, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorized. For the payment of difference, the applicant shall not be required to apply afresh. This Department's OM No. 42/14/2016-P&PW (G) dated 24.10.2016 provides that those pensioners who retired from 01.01.2016 till 04.08.2016, i.e. the date of issue of orders for revised pay/pension based on the recommendations of the 7th CPC, may be given an option, in relaxation of Rule 10 of CCS (Commutation of Pension), Rules, 1981, not to commute the pension which has become additionally commutable on revision of pay/pension on implementation of recommendations of the 7th CPC.

4. There is, however, no provision in the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 for commutation of a percentage of basic pension on a second or subsequent occasion within the overall maximum limit of 40%, if the pensioner had originally commuted a percentage of his basic pension which was less than 40% of his basic pension.

5. The above clarification may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. C&AG of India, UPSC, etc.

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/7

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 31 अक्तूबर, 2022

__कार्यालय ज्ञापन__

विषय:- पेंशन के संराशीकृत मूल्य के विलंबित संदाय पर ब्याज- स्पष्टीकरण के संबंध में।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी मूल पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने अधिवर्षिता से पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है, तो पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय सेवानिवृत्ति के समय किया जाएगा। अन्य मामलों में, पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय इसके प्रभावी होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

2. इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उन मामलों में कोई ब्याज का संदाय अपेक्षित है जहां पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय इसे प्रभावी होने के पश्चात विलंब से किया गया है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 6 के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां संराशीकृत मूल्य का संदाय सेवानिवृत्ति के पश्चात किया जाता है, मासिक पेंशन से संराशीकृत पेंशन की राशि में कटौती उस तारीख से लागू हो जाती है जिस तारीख को पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय किया जाता है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली के नियम 10-क के अनुसार, पेंशन की संराशीकृत राशि को नियम 6 के अनुसार संराशीकृत पेंशन की राशि में कटौती जिस तारीख से लागू होती है उस तारीख से पंद्रह साल पूरे होने पर बहाल किया जाता है। चूंकि पेंशनभोगी को पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय की तिथि तक पूर्ण पेंशन प्राप्त होती रहती है, पेंशन के संराशीकरण के विलंबित संदाय पर किसी ब्याज के संदाय का प्रश्न ही नहीं उठता।

4. उपर्युक्त स्पष्टीकरण का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं। नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को इस मुद्दे पर अदालती मामलों में दायर किए जाने वाले प्रत्युतरों में भी उपयुक्त रूप से शामिल किया जाये।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार

No. 42/15/2022-P&PW(D)/7
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 31st Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Interest on delayed payment of commuted value of pension-Clarification regarding

In accordance with Rule 5 of CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, a Government servant can commute for a lump-sum payment of an amount not exceeding 40 per cent of his pension. In cases where a Government servant has applied for commutation of pension before superannuation, the commuted value of pension is to be paid at the time of retirement. In other cases, the commuted value of pension should be paid as soon as possible after it has become absolute

2. References are received in this Department seeking clarification whether any interest is required to be paid to the retired Government servant in cases where there is a delay in payment of commuted value of pension after it has become absolute.

3. It is clarified that in accordance with Rule 6 of the CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, in cases where the commuted value of pension is paid after retirement, the reduction of the amount of commuted pension from the monthly pension becomes operative from the date on which the Commuted value of pension is paid. As per Rule 10A of CCS(Commutation of Pension) Rules, the commuted amount of the pension is restored on completion of fifteen years from the date the reduction of pension on account of commutation becomes operative in accordance with Rule 6. Since the pensioner continues to receive full pension till the date of payment of commuted value of pension, the question of payment of any interest on delayed payment of commutation of pension does not arise.

4. The above clarification may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation. The above provisions of the rules may also be suitably incorporated in the replies to be filed in the court cases on this issue.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. C&AG of India, UPSC, etc.

सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/8
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 31 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकार्यता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 के अनुसार, नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों सहित पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के सापेक्ष पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत, ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, महंगाई राहत के रूप में दी जाती है।

2. इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत भी देय है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 में निर्दिष्ट पेंशन/अनुकंपा भत्ता और कुटुंब पेंशन संदर्भ में अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन भी सम्मिलित है।

4. कृपया इस विभाग के दिनांक 03.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी&पीडब्लू(ए) भाग I का संदर्भ लें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार महंगाई राहत पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए भी स्वीकार्य होगी।

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंक के सीपीपीसी

No. 42/15/2022-P&PW(D)/8
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 31st Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Admissibility of Dearness Relief on additional pension/additional compassionate allowance and additional family pension -Clarification regarding

In accordance with Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021, Dearness Relief on Pension and Family Pension against price rise is granted to Pensioners including the persons drawing compassionate allowance under Rule 41 and Family Pensioners at such rates and subject to such conditions as the Central Government may specify from time to time.

2. References/Representations have been received in this Department seeking clarification whether the Dearness Relief is also payable on additional pension/additional compassionate allowance and additional family pension.

3. It is clarified that the terms pension/compassionate allowance and family pension refer to in Rule 52 of the CCS (Pension) Rules, 2021 also include additional pension/additional compassionate allowance and additional family pension.

4. Reference is also invited to this Department's OM No. 38/37/08-P&PW(A).pt.I dated 03.10.2008 wherein it was clarified that Dearness Relief will also be admissible to additional quantum of pension available to the old pensioners in accordance with the orders issued from time to time.

5. The above clarification may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits for strict implementation.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. C&AG of India, UPSC, etc.
3. CPPCs of all authorized Pension Disbursing Banks.

सं.55/14/2014-पी&पीडब्ल्यू(सी)-भाग I/ई-4217

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
31 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 01.01.2017 से पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए भविष्य पोर्टल का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के संबंध में।

1. यह दोहराया जाता है कि पेंशन और संबंधित हितलाभों के लिए पारदर्शी, सटीक और सामयिक मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों के लिए एक समान सॉफ्टवेयर मॉड्यूल 'भविष्य' विकसित किया, जो अब दिनांक 01.01.2017 से केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के पेंशन और संबंधित हितलाभों पर कार्रवाई करने के लिए एक अनिवार्य मंच के रूप में कार्य कर रहा है (दिनांक 29.11.2016 का समसंख्यक का.ज्ञा.-संलग्न)।

2. हाल ही में, इस विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ कार्यालयों ने विभिन्न कारणों से पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने में विलंब किया है जिससे 100 प्रतिशत सामयिक निपटान का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इसे इस विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है कि ***सभी प्रकार के पेंशन मामलों पर 'भविष्य' के माध्यम से कार्रवाई की जाए।*** तथापि, यदि अपवादी परिस्थितियों में किसी मामले को निपटाने में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष(एचओओ) समस्या सहित, यदि कोई हो, इस विभाग से यथाशीघ्र संपर्क करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग या तो 'भविष्य' सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे अपवादी मामले पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेगा या छूट प्रदान करेगा ताकि संबंधित कार्यालय अध्यक्ष उस पर मैन्युअल रूप से कार्रवाई कर सके।

4. जैसा कि दिनांक 29.11.2016 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 के तहत पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, तथापि यह दोहराया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पेंशन मामले को प्रोसेस करने में निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

म.कुमार
(मनोज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
(रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

तकनिकी निदेशक/एनआईसी-पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग: भविष्य पर पंजीकृत सभी कार्यालय अध्यक्ष को ईमेल।

File No.55/4/2014-P&PW(C)-Part I/E-4217

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pensions & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi-11003

October 31, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Mandatory use of BHAVISHYA PORTAL for Processing of Pension Cases w.e.f 01.01.2017-reg.

1. It may be recalled that to ensure transparent, accurate and timely sanction of pension and related benefits, Department of Pension & Pensioners' Welfare had developed *'Bhavishya'*, a common software module for Ministries, which has now been functioning as a mandatory platform for processing Pension & related benefits of Central Civil Pensioners w.e.f. 01.01.2017 (O.M. of even number dated 29.11.2016-enclosed).

2. Of late, it has come to the notice of this Department that some Offices have delayed processing of pension cases for varied reasons defeating the objective of 100% timely settlement. The same has been viewed seriously by this Department.

3. DoPPW has been taking all possible steps to ensure that **all types of pension cases are processed through *'Bhavishya'*.** However, in case any difficulty arises in settling a case under exceptional circumstances, the concerned HOO (Head of Office) shall contact this Department, at the earliest, with the issue arising, if any. DoPPW shall either ensure processing such an exceptional case through 'Bhavishya' software or grant exemption so that the concerned HOO can process the same manually.

4. As already mentioned under Para 5 of the O.M dated 29.11.2016, it is reiterated that, under no circumstances, shall any pension settlement be delayed beyond prescribed timelines.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Manoj Kumar)
Under Secretary to the Government of India

To

The Secretary
(as per list attached except Railways, Defence, Post and Telecommunications)

Copy to:

Tech Director/NIC-DoPPW: Email to all HOOs registered on Bhavishya.

No. 55/14/2014/P&PW(C)Part-1
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi

Dated : 29th November, 2016

OFFICE MEMEORANDUM

Sub: Processing of Pension cases mandatorily through Bhavishya (Online Pension Sanction & Payment Tracking System) w.e.f 01/01/2017 – reg.

Department of Pension and Pensioners' Welfare is responsible for formulation of policy and coordination of matters relating to pension policy and welfare of Central Government pensioners. It has been seen that despite detailed guidelines and instructions to the contrary a large proportion of retiring employees do not get their retirement benefits and the Pension Payment Order(PPO) in time. It is likely that such retired employees find it difficult to get the process completed after retirement. The sanction process starts more than a year before the date of retirement and requires cooperation amongst various agencies. This department has, therefore, launched Bhavishya – an online pension sanction and payment tracking system. The system by keeping track of the progress of each case introduces transparency and accountability. Both the retiring employees as well as administrative authorities can monitor progress at each stage.

2. The system has been running successfully in the main Secretariat of all ministries/departments for the last one year. It has since been extended to cover over 3000 Drawing and Disbursing Officers and Pay and Accounts Offices from various ministries/departments and their attached offices.

3. It has now been decided that all Heads of Offices will henceforth mandatorily process all pension cases only through Bhavishya. In this, where necessary, they will assist the retiring employee to submit the online application form. The Pay and Accounts Offices will process cases generated through Bhavishya through the pension module in COMPACT till the Public Financial Management System(PFMS) is made operational and integrated with Bhavishya.

4. It is to be noted that all authorities will strictly follow the timelines prescribed under the CCS(Pension) Rules and in no case will the pension case be delayed on account of electronic processing through Bhavishya.

5. These instructions take effect from 1st January, 2017.

6. This issues with the approval of competent authority.

(Seema Gupta)
Director
Tel-fax: 24624802

To

Secretaries of all Ministries/Departments
(as per list attached except Railway, Defence, Post & Telecommunications)

सं.55/14/2014-पी&पीडब्ल्यू(सी)-भाग I/ई-4217

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
31अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भविष्य प्रणाली में पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ संख्या) को अद्यतित(Update) करने की प्रक्रिया- के संबंध में।

भविष्य पर पेंशन मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, यह देखा गया है कि कई पेंशन मामलों में पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं, किंतु पीपीओ संख्या के अभाव में भविष्य प्रणाली पर इसे लंबित दिखाया जा रहा है।

2. यह पाया गया है कि ऐसे सभी पेंशन मामलों पर भविष्य प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की गई है, किंतु पीपीओ संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा पीएफएमएस प्रणाली से बाहर जनरेट किए गए हैं अर्थात मैन्युअल रूप से जारी किए गए हैं। चूंकि भविष्य पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से पीपीओ संख्या को कैप्चर करता है, ऐसे पेंशन मामलों को भविष्य प्रणाली द्वारा तब तक लंबित दिखाया जाएगा जब तक कि भविष्य प्रणाली में प्रत्येक पेंशन मामले के संबंध में पीपीओ संख्या अद्यतित(**Update**) नहीं कर दी जाती।

3. तदनुसार, भविष्य प्रणाली में पीपीओ संख्या को अद्यतित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया तैयार की गई है:

स्टेप 1: bhavishya@nic.in पर पैन, नाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति तिथि सहित पेंशनभोगियों की सूची भेजें, जिनके पीपीओ मैन्युअल रूप से अर्थात पीएफएमएस के बाहर जारी किए गए हैं किंतु पेंशन मामले पर कार्रवाई भविष्य के माध्यम से की गई।

स्टेप 2: संलग्न अनुबंध में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पीपीओ को अद्यतित(Update) करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

म. कुमार

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
संलग्नक: यथोक्त

सेवा में

सचिव, भारत सरकार (रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

तकनिकी निदेशक/एनआईसी-पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग: भविष्य पर पंजीकृत सभी कार्यालय अध्यक्ष को ईमेल।

File No.55/14/2014-P&PW(C)-Part I/E-4217

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pensions & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi-11003

October 31, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure to Update the Pension Payment Order (PPO No) in the Bhavishya System-regd.

While reviewing the status of pension cases on Bhavishya, it has been noticed that the Pension Payment Order (PPOs) have been issued in several pension cases but the same are reflecting as pending on the Bhavishya system in the absence of PPO number.

2. It is found that all such pension cases are although processed through Bhavishya system but the PPOs are generated by the concerned Pay & Accounts outside the PFMS system i.e manually. Since the Bhavishya captures the PPO No through the PFMS system, such pension cases will be shown as pending until the PPO number with respect to each pension case is updated in the Bhavishya system.

3. Accordingly, the following procedure to update the PPO No in the Bhavishya system has been devised:

Step 1: Send the List of Pensioners with PAN, Name, DOB, DOR to the bhavishya@nic.in, whose PPO are issued manually i.e. outside PFMS but the case was processed through Bhavishya.

Step 2: Update the PPO as per the procedure mentioned in the attached Annexure.

This issue with the approval of the competent authority.

(Manoj Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Encl: a/a

To

The Secretary
(as per list attached except Railways, Defence, Post and Telecommunications)

Copy to:

Tech Director/NIC-DoPPW: Email to all HOOs registered on Bhavishya.

Solution for Updation of PPO no. issued manually

- Please appoint a Nodal officer for centralized communication of conveying messages and also for monitoring of pension cases at each stakeholder level.

- We will provide the option to update PPO(issued manually) in Bhavishya portal for your mentioned cases via **HOO login → Actions → PPO not Issued**

Steps for updating PPO

1. In HOO login , Click on the **Action** tab

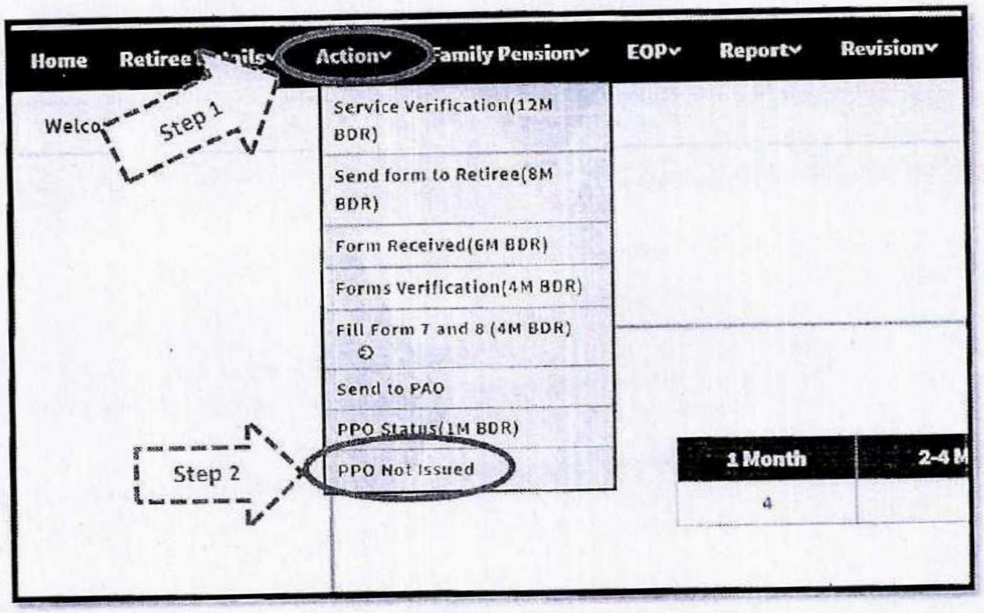

2. Then click on last Action **"PPO not Issued"**

3. After that you will see below page where you must click on "**List of Retiree(s)PPO not issued**

:"

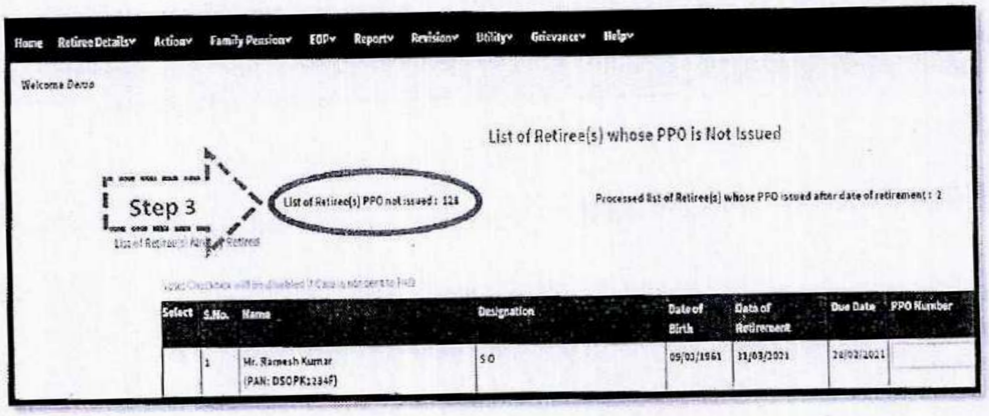

4. Then click on the ***check box*** available against the Name whose PPO is required to be entered and then ***enter the PPO in given text box.***

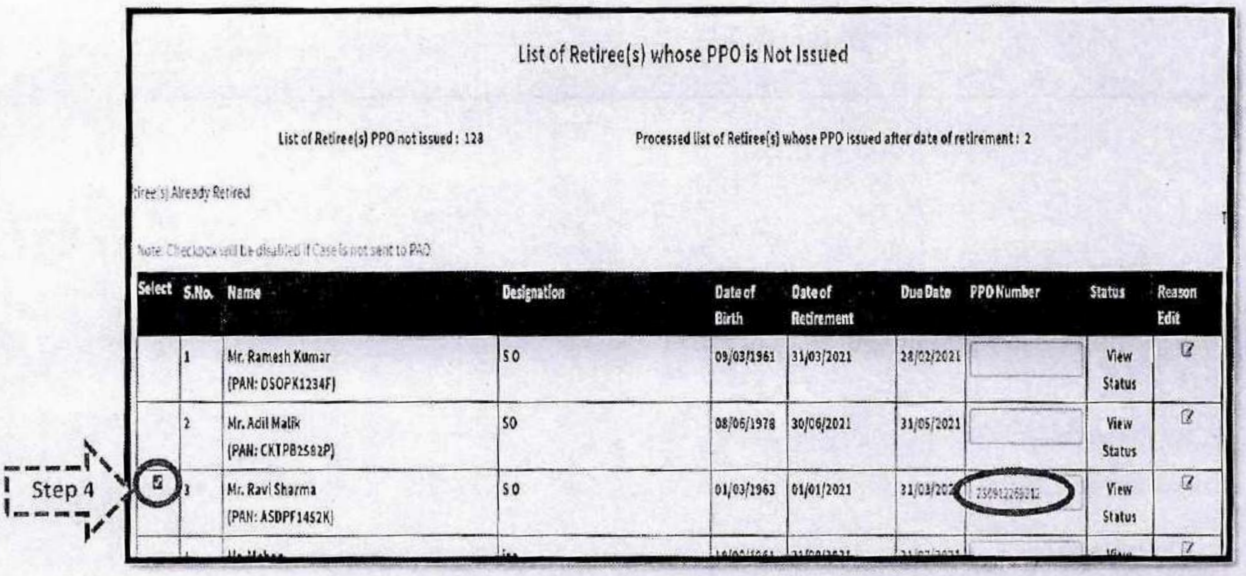

5. Finally , enter **"Date of Issue of PPO"** and click on **"Submit"** button

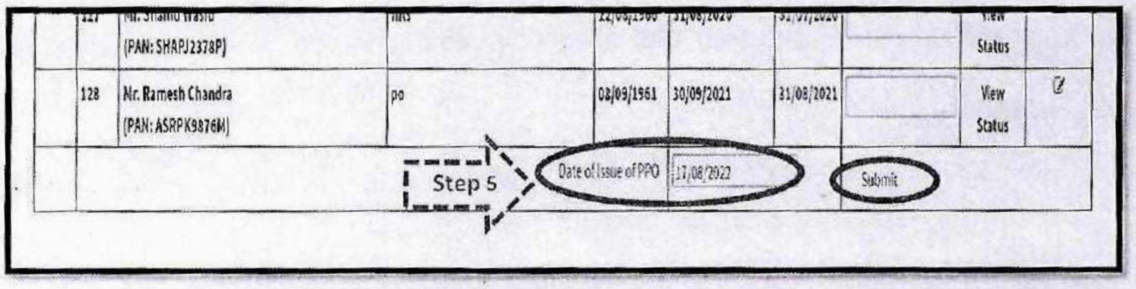

<u>Note</u>: - You can do the above processing only for those cases which are already intimated to us via email from concerned HOO registered mail.

सं. 42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 31 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मूल अनुग्रह राशि पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2022 से लागू पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 11.05.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि मूल अनुग्रह राशि पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रृंखला में अनुज्ञेय महंगाई राहत को **दिनांक 01.07.2022** से निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जाएगा:-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो दिनांक 18.11.1960 तथा दिनांक 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 4 जून 2013 से समूह क, ख, ग और घ के लिए क्रमश: 3000रू., 1000रू., 750रू. और 650रू. की दर से मूल अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं, **दिनांक 01.07.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **381%** से मूल अनुग्रह राशि के **396%** संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी दिनांक **दिनांक 01.07.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **373%** से मूल अनुग्रह राशि के **388%** संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे:-

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए दिनांक 01.01.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित संतानें दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 4 जून 2013 से 645/-रू. प्रतिमाह की दर से संशोधित अनुग्रह राशि के हकदार हैं।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ़ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें 654/- रूपए, 659/- रूपए, 703/- रूपए और 965/- रूपए की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में यदि रूपए का कोई भाग हो, तो उसे अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. प्रत्येक वैयक्तिक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्र का परिकलन करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों का होगा।

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12 अक्तूबर, 2022 के का.ज्ञा.सं.1/3(2)/2008-ई.II(बी) के अनुसरण में जारी किया गया है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव एयर महालेखाकार।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/ सीपीपीसी।
4. भारत के सी&एजी, यूपीएससी, इत्यादि मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/07/2022-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated 31st Oct, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.07.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even no. dated 11.05.2022 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.07.2022** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **381%** of the basic ex-gratia to **396%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.07.2022.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **373%** of the basic ex-gratia to **388%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.07.2022**:-

(a) The widows and eligible dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 12th October, 2022.

6. Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पता– तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

Address- 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

www.pensionersportal.gov.in